Thoroughly Revised and Updated

An Institute for IAS & RAS

राजस्थान

की

राजव्यवस्था

(POLITY OF RAJASTHAN)

Springboard ACADEMY

JAIPUR
A-1, Keshav Vihar, Riddhi Siddhi Chouraha, Gopalpura By Pass, Jaipur, Rajasthan – 302018
Mob. : 0141-3597948, 9636977490
JODHPUR
P. No 145 Samrathal Tower Manji Ka Hattha, Paota, Jodhpur (Rajasthan) 342006
Mob. : 7726944080

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	2 – 2
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	3 – 3
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग	4 – 12
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	13 – 14
3. राज्य मानवाधिकार आयोग	15 – 18
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	18 – 18
4. राजस्थान के लोकायुक्त	19 – 22
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	22 – 22
5. राजस्थान राज्य सूचना आयोग	23 – 24
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	24 – 24
6. राजस्थान वित्त आयोग	25 – 25
7. राजस्थान के राज्यपाल	26 – 35
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	36 – 37
8. राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल	38 – 45
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	45 – 46
9. राजस्थान विधानसभा	47 – 65
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	66 – 67
10. राजस्थान उच्च न्यायालय	68 – 74
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	75 – 76
11. मुख्य सचिव	77 – 78
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	79 – 79
12. राजस्थान के महाधिवक्ता	80 – 80
ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य	81 – 81
13. पचायतीराज	82 – 90
14. विधिक अधिकार	91 – 115

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

आयुक्तों का विवरण–

क्र.स.	आयुक्त का नाम	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री अमर सिंह राठौड़	01-07-1994	30-03-2000	• प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त। • सर्वाधिक कार्यकाल • सेवानिवृत्त IAS अधिकारी
2.	श्री एन.आर. भसीन	01-07-2000	10-08-2002	• सेवानिवृत्त IAS अधिकारी • भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, पद पर रहते हुए मृत्यु तथा प्रबंध निदेशक रहे। • 1979 में इन्होंने राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की। • इन्हें ''राजस्थान के कुरियन'' की उपाधि प्राप्त है। • न्यूनतम कार्यकाल।
3.	श्री इन्द्रजीत खन्ना	26-12-2002	26-12-2007	• 1966 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। • राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव रहे। (जनवरी 2000 से दिसम्बर 2002)। • सेबी ने इन्हे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड में जनप्रतिनिधि के रूप में नामित किया। • भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के विजिटिंग प्रोफेसर। • वित्त मंत्रालय के प्रवर्तक निदेशक एवं पदेन सचिव रहें।
4.	श्री अशोक कुमार पाण्डे	01-10-2008	30-09-2013	• सेवानिवृत्त IAS अधिकारी।
5.	श्री राम लुभाया	01-10-2013	02-04-2017	• वरिष्ठ IAS अधिकारी। • हाईपावर कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख। • नये जिलों हेतु बनी समिति के अध्यक्ष (इस समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया।)
6.	श्री प्रेमसिंह मेहरा	03-07-2017	03-07-2022	• वरिष्ठ IAS अधिकारी • राज्य वित्त आयोग के मुख्य सचिव रहे। • सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार। • टैक्स बोर्ड के चेयरमैन। • भू–जल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख। **नोट** : प्रेमसिंह मेहरा को आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए सरकार को सेवा नियमों में संशोधन करना पड़ा।
7.	श्री मधुकर गुप्ता	14-08-2022	17-09-2025	• भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी। • नई दिल्ली बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त रहे। • भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम एवं भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव व अतिरिक्त सचिव रहे। • इंदिरा गाँधी नहर बोर्ड के चैयरमैन। • संभागीय आयुक्त–जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर। • राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे।
8.	श्री राजेश्वर सिंह (वर्तमान आयुक्त)	19-09-2025	निरंतर	• ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के ACS रहे। • राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष रहे (जुलाई 2021 – जुलाई 2024)। • जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव रहे। • राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. के अध्यक्ष रहे। (RSRTC)

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 को हुआ।
- राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243K (पंचायती राज संबंधी) एवं अनुच्छेद 243 Z(A) (नगरीय निकायों संबंधी) के तहत किया गया।
- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।
- राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है।
- राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है।
- राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर–दिसम्बर 2020 में राजस्थान के 21 जिलों में पंचायतीराज के आम चुनाव आयोजित करवाये गये।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन आयोग का सचिव करता है।
- राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान पंचायतीराज अधिनियम– 1994 की धारा-120 में किया हैं।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम– 1950 की धारा-13(A) में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है।
- 27 जून, 2022 को राज्य स्तरीय EVM वेयर हाउस का शिलान्यास जयपुर में किया गया।
- EVM मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार चौदहवाँ विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था।

Springboard ACADEMY

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.सं.	अध्यक्ष का नाम	कब से	कब तक	विवरण
1.	सर एस. के. घोष, (शरत कुमार, मुख्य न्यायाधीश), कार्यवाहक	22-12-1949	25-01-1950	• 1938 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित। • चटगाँव के अतिरिक्त न्यायाधीश। • कोमिला के जिला न्यायाधीश। • 1929 में हुगली के जिला न्यायाधीश। • 29 मार्च, 1946 से 29 मार्च, 1948 तक जयपुर रियासत के मुख्य न्यायाधीश और फिर कश्मीर की भारतीय रियासत के अंतिम मुख्य न्यायाधीश बने। • भारत की स्वतंत्रता के समय ये राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश रहे। • वरिष्ठ IAS अधिकारी।
2.	श्री एस.सी. त्रिपाठी	28-07-1950	07-08-1951	• यूपीएससी सदस्य भी रहे
3.	श्री डी.एस. तिवारी (अधिकतम कार्यकाल)	08-08-1951	17-01-1958	--
4.	श्री एम. एम. वर्मा	18-01-1958	03-12-1958	--
5.	श्री एल. एल. जोशी, आईएएस (कार्यवाहक)	04-12-1958	31-07-1960	• बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रोफेसर। • पूना विश्वविद्यालय प्रोफेसर। • प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष। • कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल।
6.	श्री वी. वी. नार्लिकर (विष्णु वासुदेव) (प्रोफेसर BHU के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष रहे)	01-08-1960	31-07-1966	• सामान्य सापेक्षता में विशेषज्ञता वाले एक भारतीय भौतिक विज्ञानी। • सैद्धांतिक भौतिकी केन्द्र ''जामिया मिलिया इस्लामिया'' ने इनकी स्मृति में वार्षिक ''वीवी नार्लीकर मेमोरियल लेक्चर'' की शुरूआत की। • कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणितीय ट्रिपोज पूरा करने के बाद विष्णु नार्लीकर ''स्टार रैंगलर'' बन गए। • आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप और रैले पुरस्कार प्राप्तकर्ता। • 1966 में पूना विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर। • 1931 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का ''फेलो'' चुना गया। • 1981 – 82 तक इंण्डियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे।
7.	डॉ बी. एल. रावत, आईएएस	01-08-1966	03-09-1966	--
8.	श्री आर. सी. चौधरी, आरएचजेएस	04-09-1966	08-10-1971	--
9.	श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी)	09-10-1971	23-06-1973	--
10.	श्री आर.एस. कपूर (निदेशक कॉलेज शिक्षा।)	24-06-1973	10-06-1975	--

Springboard Academy

11.	श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस	27-06-1975	30-06-1979	• प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष।
12.	श्री राम सिंह चौहान, आईएएस	01-07-1979	10-09-1980	--
13.	श्री हरिदत्त गुप्ता (मुख्य अभियंता)	11-09-1980	09-06-1983	--
14.	श्री एस. अदवियाप्पा (मुख्य अभियंता)	10-06-1983	26-03-1985	--
15.	डॉ. डी. डी. चौहान (प्रो.)	27-03-1985	07-11-1985	--
16.	श्री जे.एम. खान, (आईएएस)	08-11-1985	27-11-1989	--
17.	श्री एस.सी. सिंगारिया (कार्यवाहक)	28-11-1989	04-09-1990	--
18.	श्री यतींद्र सिंह, (आईएएस)	05-09-1990	06-10-1995	--
19.	श्री हनुमान प्रसाद (आईएएस)	06-10-1995	30-09-1997	• SC आयोग के चैयरमेन भी रहे। • झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से विधायक रहे एवं जिलाप्रमुख भी रहे।
20.	श्री पी.एस. यादव, (आईपीएस)	01-10-1997	06-11-1997	• अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल।
21.	श्री देवेंद्र सिंह, (आईपीएस)	06-11-1997	30-12-2000	• प्रथम अध्यक्ष जो राजस्थान के डी.जी.पी. रहे है।
22.	श्री एन. के. बैरवा, (आईएएस)	31-12-2000	22-03-2004	• अध्यक्ष एवं सचिव दोनों रहे।
23.	डॉ. एस.एस. टाक (कार्यवाहक) (प्रोफेसर)	26-03-2004	15-07-2004	--
24.	श्री गोविंद सिंह तौक	15-07-2004	04-07-2006	• उदयपुर के महापौर भी रहे। • सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी। • लोक निर्माण विभाग के अभियंता भी रहे।
25.	श्री एच.एन. मीना, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक)	04-07-2006	19-09-2006	• MPUAT, उदयपुर स्पोर्टस बोर्ड चेयरमैन।
26.	श्री सी.आर. चौधरी (छोटू राम चौधरी)	29-09-2006	28-02-2010	• भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। • नागौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे।(2014-2019) • आरएएस बने फिर आईएएस प्रमोट हुए। • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्यमंत्री रहे। • सितम्बर, 2017 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का राज्यमंत्री नियुक्त किया गया। • 1971 – 1977 तक सरकारी कॉलेज सिरोही, दौसा, अजमेर में व्याख्याता रहे। • वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा के मानद अध्यक्ष रहे। • मकराना परबतसर रेलवे सेवा प्रारंभ की। (19 जनवरी, 2016) • राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के विभागाध्यक्ष(2000-2011)। • 2001 – 2002 तक कृषि विपणन विभाग के प्रमुख व निदेशक। • राजस्थान सरकार में लॉटरी विभाग के प्रमुख एवं निदेशक।

27.	श्री महेंद्र लाल कुमावत (सेवानिवृत्त) IPS	28-02-2010	01-07-2011	• बीएसएफ के महानिदेशक रहे। • सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वी.सी रहे। • आंध्रप्रदेश में एंटी नक्सल कमांडो फोर्स में GREY HOUNDS के चीफ रहे। • विजय व्यास समिति के सदस्य रहे। • पुरस्कार–विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (1997)। • राजस्थान आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। • इन्होनें राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा। • 1989 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक।
28.	प्रो. बी.एम. शर्मा	01-07-2011	31-08-2012	• कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी. रहे। • राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में राजनीति विज्ञान विभाग के एचओडी रहे। • मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्य अधिकारी रहे।
29.	डॉ हबीब खान गौरान, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	31-08-2012	22-09-2014	---
30.	डॉ. आर.डी. सैनी (कार्यवाहक)	24-09-2014	10-08-2015	---
31.	डॉ एल. के. पंवार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	10-08-2015	10-07-2017	• भारत सरकार में पर्यटन मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व सचिव। • राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के वी.सी. हैं।
32.	श्री श्याम सुंदर शर्मा	11-07-2017	28-09-2017	• पेशे से वकील थे व RPSC के सदस्य भी रहे (इस्तीफा दिया → 10 जुलाई, 2017) • मनोहर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ा (हारे)।
33.	डॉ. राधे श्याम गर्ग	18-12-2017	01-05-2018	• RSS के कार्यकर्त्ता रहे व नर्सिंग होम चलाते थे।
34.	श्री दीपक उप्रेती आईएएस (सेवानिवृत्त)	23-07-2018	14-10-2020	• संयुक्त सचिव रहे। • परिवहन आयुक्त। • चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव। • खान और पेट्रोलियम विभाग और सहकारी विभाग प्रमुख सचिव। • संभागीय आयुक्त अजमेर। • वाणिज्यिक बिक्री कर विभाग में आयुक्त। • अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), होम गार्ड, जेल और मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर तैनात थे।
35.	डॉ. भूपेंद्र सिंह आईपीएस (सेवानिवृत्त)	14-10-2020	01-12-2021	• राजस्थान के डीजीपी रहे। • RPA के निदेशक रहे। • सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के वी.सी रहे। • पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्तकर्ता। • SP के रूप में 4 साल तक CBI में प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया।

36.	डॉ. शिवसिंह राठौड़ (कार्यवाहक)	02-12-2021	29-01-2022	• इन्हें विश्व में जल–भू–विज्ञानी पर्यटन शब्द गढ़ने का श्रेय जाता है। • मारवाड़ रत्न से सम्मानित (2015)। • नगर सुधार न्यास जोधपुर में न्यासी रहे। • सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड निदेशक (2008-2013)। • अध्यक्ष के पद का निर्वहन करने वाले सबसे युवा व्यक्ति। • ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। • आर्द्र भूमि संरक्षण संबंधी शोध–पत्र व जियो पार्क के निर्माण संबंधी आलेख प्रकाशित किए।
37.	श्री जसवंत सिंह राठी (कार्यवाहक)	01-02-2022	15-02-2022	• राजस्थान पोलो क्लब के मानद सदस्य। • किताब लिखी–''मेरा युद्ध कैंसर के विरूद्ध''। • इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के सदस्य। • राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सदस्य। • राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक। • कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल। **पुरस्कार–** • राजस्थान वर्किंग जर्नलिज्म यूनियन द्वारा ''कलमश्री पुरस्कार'' (2012)।
38.	श्री संजय श्रोत्रिय आईपीएस (सेवानिवृत)	16-02-2022	01-08-2024 (सेवानिवृत)	• जयपुर रेंज के महानिरीक्षक रहे। • SOG में पुलिस अधीक्षक पद पर रहे। • महामहिम राज्यपाल के A.D.C. के रूप में कार्य। • 2014 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर में पुलिस अधीक्षक। • मुख्यमंत्री कार्यालय के सतर्कता एवं सुरक्षा के महानिरीक्षक। • 2007 में भारतीय पुलिस पदक। • 2020 में राष्ट्रपति पुलिस पदक।
39.	श्री कैलाश चंद मीना (कार्यवाहक)	06.08.2024	11.06.2025	• राजस्थान के राज्यपाल द्वारा आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।
40.	श्री उत्कल रजंन साहू (आईपीएस)	12.06.2025	19.06.2026 को सेवानिवृत होगें	• राजस्थान के डीजीपी रहे। • मूलतः ओडिशा से है। • 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। • इंटेलिजेंस विभाग में एडीजी के पद पर रहे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विशेष विवरण
1.	श्री देवी शंकर तिवारी (अध्यक्ष भी रहे)	26-01-1950	07-08-1951	• भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। • 1946 से 1949 तक जयपुर प्रजामण्डल आंदोलन के अध्यक्ष। • जयपुर के पहले शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे। • RPSC के अध्यक्ष (1951-58) • हरिजनों या दलितों की शिक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका। • आजाद मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। • जमनालाल बजाज, गुलाबचन्द कासलीवाल और दौलतमल भण्डारी से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए।
2.	श्री एन.आर. चांडोरकर	26-01-1950	31-12-1950	---
3.	श्री वी.आर. अडिगे	17-02-1951	16-02-1957	---
4.	श्री एम. एम. वर्मा (अध्यक्ष भी रहे)	28-06-1952	20-01-1958	---
5.	श्री एल. एल. जोशी, आईएएस (कार्यवाहक अध्यक्ष रहे)	01-03-1957 और 01-08-1960	03-12-1958 और 20-11-1961	---
6.	श्री रघुकुल तिलक, कुलपति	04-02-1958	07-01-1960	• राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। • असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। • भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे तथा राजस्थान के राज्यपाल रहे। (1977-80) • उत्तरप्रदेश विधानसभा में पुस्तकालयाध्यक्ष रहे। • गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार (1932)। • उत्तरप्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (1939 - 46)। • भारत छोड़ो आंन्दोलन के कारण 1942–44 तक पुनः जेल। • उत्तरप्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त (1944)।
7.	श्री एस.एल. आहूजा, आईएएस	01-12-1959	17-11-1964	---
8.	श्री श्याम लाल, आईएएस	17-04-1961	15-04-1966	---
9.	डॉ बी एल रावत, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	04-09-1961	04-09-1966	---
10.	श्री आर सी चौधरी, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	20-03-1965	07-02-1967	---
11.	श्री आर.एन. हवा, आईएएस	27-07-1967	19-07-1970	---
12.	श्री एस. डी. उज्ज्वल, आईएएस	31-05-1967	04-01-1970	• मुख्य सचिव भी रहे।

13.	श्री शिव शंकर, आईएएस	29-07-1967	10-09-1970	---
14.	श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी)	11-11-1968	08-10-1971	---
15.	श्री वी.डी. शर्मा, आईएएस	11-06-1970	06-03-1973	---
16.	श्री आर.एस. कपूर (अध्यक्ष भी रहे)	11-06-1970	23-06-1973	---
17.	श्री धूलेश्वर मीना (पूर्व एम.पी.)	01-01-1972	02-01-1978	• लोकसभा व राज्यसभा सदस्य रहे।
18.	श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	07-08-1972	26-06-1975	---
19.	श्री डी.एन. हांडा, आईएएस	05-04-1973	10-12-1974	---
20.	श्री एन.एल. जैन, पूर्व. अध्यक्ष, आर.एल.ए.	27-07-1974	03-10-1979	---
21.	श्री हरि दत्त गुप्ता (अध्यक्ष भी रहे)	26-04-1975	10-09-1980	---
22.	श्री राम सिंह चौहान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	30-07-1977	30-06-1979	---
23.	श्री एस. अदवियप्पा (अध्यक्ष भी रहे)	12-09-1979	09-06-1983	---
24.	डॉ. दीन दयाल चव्हाण (अध्यक्ष भी रहे) (प्रोफेसर)	08-11-1979	26-03-1985	---
25.	श्री जे.एम. खान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	06-11-1982	07-11-1985	---
26.	श्री बनवारी मल, आईपीएस	04-07-1984	27-06-1988	---
27.	प्रो. दूल सिंह	06-07-1984	22-09-1986	---
28.	डॉ. देवी सिंह सारस्वत	16-12-1985	22-01-1988	---
29.	श्री सुगन चंद सिंगारिया (कार्यवाहक अध्यक्ष)	28-05-1986 और 05-09-1990	26-11-1989 और 27-05-1992	---
30.	श्री सुभाष चंद्र टंडन, आईपीएस	01-12-1987	06-11-1991	---
31.	प्रो. के. एल. कमल	16-09-1988	11-09-1992	---
32.	डॉ जी पी पिलानिया, आईपीएस	22-12-1989	17-02-1994	• डीजीपी, राज्यसभा सांसद भी रहे।
33.	श्रीमती कांता कथूरिया	22-12-1989	23-04-1995 (इस्तीफा)	• पूर्व विधायक व बीकानेर में वकील रही। • सदस्य के पद से इस्तीफा। • राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। • राणा प्रताप सागर बाँध व जवाहर सागर बाँध के विवाद में सरकारी वकील। • यूपीएससी सदस्या। • प्रथम महिला सदस्य।

34.	श्री हनुमान प्रसाद, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	31-10-1992	06-10-1995	---
35.	श्री पी.एस. यादव, आईपीएस (अध्यक्ष भी रहे)	28-07-1993	30-09-1997	---
36.	श्रीमती कमला भील	28-07-1993	27-07-1999	• राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
37.	श्री शंकर सिंह सोलंकी	03-04-1995	05-08-2000	---
38.	डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	18-01-1996	18-01-2002	• संघीय लोक सेवा आयोग की सदस्य। • चिन्मय मिशन जयपुर केन्द्र की संरक्षिका।
39.	श्री ओ.पी. गुप्ता	26-12-1997	04-06-2003	• पूर्व मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा।
40.	श्री दलीप सिंह	27-12-1997	30-06-1999	---
41.	डॉ. श्याम सिंह टाक (कार्यवाहक अध्यक्ष) (प्रोफेसर)	10-11-1999	09-11-2005	---
42.	श्री एम.एल. परिहार	14-12-1999	14-03-2001	---
43.	प्रो. (डॉ.) एच.ए.एस. जाफरी	01-02-2001	18-06-2006	---
44.	श्री एच.एन. मीना, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे)	25-02-2002	19-09-2006	---
45.	श्री सी.आर. चौधरी (अध्यक्ष भी रहे)	27-02-2002	23-02-2008	---
46.	श्री विनोद बिहारी शर्मा	25-08-2003	06-02-2008	---
47.	श्री एच.एल. मीना	18-04-2008	31-01-2012	---
48.	श्री शिव पाल सिंह नांगल	18-04-2008	13-11-2013 (इस्तीफा)	• RPSC के सदस्य रहते हुए इस्तीफा।
49.	श्री कन्हैया लाल बैरवा, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	18-04-2008	17-04-2014	---
50.	श्री पी.के. दशोरा	04-07-2008	03-07-2014	---
51.	श्री ब्रह्म सिंह गुर्जर	04-07-2008	03-07-2014	---
52.	श्री एच.के.गौरान, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (अध्यक्ष भी रहे) (कोटा विश्वविद्यालय के वी. सी. रहे)	04-07-2008	03-07-2014	---
53.	श्रीमती दिव्या सिंह	30-11-2011	30-09-2012 (इस्तीफा)	• पूर्व सांसद। • भरतपुर जिला परिषद की सदस्य बनी। (1996) • 11वीं लोकसभा में चुनी गई (भरतपुर)। • RPSC सदस्या रहते हुए इस्तीफा।
54.	श्री हरि किशन खीचर, आरएचजेएस	30-01-2016	05-03-2017	---

Springboard ACADEMY

55.	श्री श्याम सुंदर शर्मा	30-01-2016	10-07-2017 (इस्तीफा)	---
56.	डॉ. आर.डी. सैनी	18-06-2013	12-04-2019	• कार्यवाहक अध्यक्ष रहे।
57.	श्री एस.एल. मीना	18-06-2013	17-06-2019	---
58.	डॉ. के.आर. बगरिया	18-06-2013	17-06-2019	---
59.	डॉ. शिवसिंह राठौड़	30-01-2016	29-01-2022	• कार्यवाहक अध्यक्ष रहे।
60.	श्री रामू राम रायका	04-07-2018	03-07-2022	---
61.	श्रीमती राजकुमारी गुर्जर	07-12-2016	06-12-2022	---
62.	श्री जसवंत सिंह राठी	14-10-2020	02-06-2024	• कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। • पुस्तक–मेरा युद्ध कैंसर के विरूद्ध। • न्यूनतम कार्यकाल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में (15 दिन)।
63.	श्रीमती मंजू शर्मा	15-10-2020	01-09-2025 (इस्तीफा)	• निवासी–अजमेर • शिक्षाविद (M.S.J., भरतपुर) • गाजियाबाद कॉलेज में व्याख्याता। • नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स इंडिया की सदस्य। • राजस्थान भूगोल संगठन की सदस्य। • गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में सहायक आचार्य।
64.	डॉ. संगीता आर्य	14-10-2020	06-01-2026 (इस्तीफा)	• ऑल इंण्डिया रेडियो, नई दिल्ली की ग्रेडेड आर्टिस्ट रही। • राजस्थान संगीत संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर। • राजनीतिक करियर 2013 में सोजत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- **7 सदस्यों का प्रावधान** – जून 2011 से, (1949–2, 1962–3, 1965–4, 1985–5)
- **10 सदस्यों का प्रावधान** – 17 जुलाई, 2025 को राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कि गई। (राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा शर्ते) विनियम–1974 के विनियम–3(1) में संशोधन।) (राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा शर्ते) (संशोधन) विनियम 2025)
- **प्रथम अध्यक्ष** – एस.के. घोष (मुख्य न्यायाधीश)
- **अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति** – एन.के. बैरवा
- **सर्वाधिक कार्यकाल (अध्यक्ष के रूप में)** – डी.एस. तिवाड़ी।
- **प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष** – श्री एल.एल. जोशी (कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा)
- **पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल** – पी.एस. यादव (37 दिन)
- **कार्यवाहक अध्यक्ष रहे (9)** – एल.एल. जोशी, बी.एल. रावत, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टांक, एच.एन. मीणा, आर.डी. सैनी, शिवसिंह राठौड़, जसवन्त सिंह राठी, कैलाश चन्द्र मीणा।
- **आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे है–** सी.आर. चौधरी
- **आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे है–** धुलेश्वर मीणा, दिव्या सिंह
- **आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे है–** सांवलदान उज्जवल
- **आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे है–** एन.एल. जैन
- **आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है–** श्रीमती कमला भील
- **प्रथम सचिव** – श्री श्यामसुन्दर शर्मा

- **प्रथम महिला सचिव –** श्रीमती ऑटिमा बोरड़िया
- **आयोग की अन्य महिला सचिव रही–**रोली सिंह, मुग्धा सिन्हा (कार्यवाहक), रेणू जयपाल, शुभम चौधरी
- **वर्तमान सचिव –** रामनिवास मेहता
- **भारतीय प्रशासनिक सेवा से आयोग के अध्यक्ष –** श्री एल.एल. जोशी, (कार्यवाहक), डॉ बी.एल. रावत, श्री राम सिंह चौहान, श्री जे.एम. खान, श्री यतींद्र सिंह, श्री हनुमान प्रसाद, श्री एन. के. बैरवा, डॉ. एल के पंवार, श्री दीपक उप्रेती, सी आर चौधरी
- **भारतीय पुलिस सेवा से आयोग के अध्यक्ष –** श्री पी.एस. यादव, श्री देवेंद्र सिंह, श्री एच.एन. मीणा, (कार्यवाहक), श्री महेंद्रलाल कुमावत (राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के उप–कुलपति रहे है।) डॉ हबीब खान गौरान, डॉ. भूपेन्द्र सिंह यादव, उत्कल रजंन साहू
- **आयोग में पूर्व महिला सदस्य –** श्रीमती कांता कथूरिया, श्रीमती कमला भील, डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती संगीता आर्य।
- **आयोग में वर्तमान महिला सदस्य** – एक भी नहीं।
- **कार्यकाल के पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य** – 1. श्रीमती कान्ता कथूरिया, 2. श्री शिवपाल सिंह नांगल 3. श्रीमती दिव्या सिंह, 4. श्री श्याम सुन्दर शर्मा 5. श्रीमती मंजू शर्मा 6. श्रीमती संगीता आर्य।
- **विधानसभा मुख्य सचेतक सदस्य के रूप में** – श्री ओपी गुप्ता
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में 17 दिन एक सदस्य आयोग भी रहा। सीआर चौधरी अकेले सदस्य व अध्यक्ष भी रहे।
- **आयोग के सदस्य जो बाद में राज्यपाल भी रहे** – रघुकुल तिलक
- **आयोग के सदस्य जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे –** के.एल. कमल

सदस्य जो अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे – (i) रघुकुल तिलक (कुलपति), (ii) एस.डी. उज्ज्वल (मुख्य सचिव), (iii) धूलेश्वर मीना (सांसद), (iv) कान्ता कथूरिया (विधायक), (v) कमला भील (मंत्री), (vi) ओ.पी. गुप्ता (मुख्य सचेतक), (vii) दिव्या सिंह (सांसद)

वर्तमान सदस्य				
1.	लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़	9-10-2023	लगातार	• निवासी–नागौर • भारतीय सेना में 21 वर्षों तक सेवा देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति ली। • ऑपरेशन/वार सर्विस–पराक्रम, राइनो, फॉलकान, ऑरचिड। • **पुरस्कार एवं सम्मान –** ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सुरक्षा एवं स्पेशल सर्विस मेडल (ऑपरेशन राइनो)
2.	श्री कैलाश चन्द मीना	9-10-2023	लगातार	• संजय श्रोत्रिय के सेवानिवृत होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष बने।
3.	प्रो. अय्यूब खान	9-10-2023	लगातार	• जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गणित विभाग के प्रोफेसर। • राजस्थान विधानसभा की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य का चुनाव 2018 लड़ा।
4.	श्री बाबूलाल कटारा	15-10-2020	निलम्बन (अनुच्छेद 317(2) के तहत)	• निवासी–डूँगरपुर। • अर्थशास्त्र के व्याख्याता। • जिला सांख्यिकी अधिकारी व विकास अधिकारी रहे। • संयुक्त निदेशक सांख्यिकी सचिवालय में। • माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक। (उदयपुर) **नोट–**SOG (राजस्थान) व ATS ने वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में इन्हें गिरफ्तार किया। (वर्तमान में निलम्बित)
5.	डॉ. सुशील कुमार बिस्सू	24-09-2025	लगातार	• Principal College Education
6.	डॉ. अशोक कुमार कलवार	24-09-2025	लगातार	• Senior Consultant, Medical and Hemato Oncology.
7.	श्री हेमन्त प्रियदर्शी	24-09-2025	लगातार	• DGP, SCRB and Cyber Crime, Raj. Police.

- **श्री रामनिवास मेहता (वर्तमान सचिव) -** (कार्यकाल – 25-07-2023 से 31 जुलाई, 2026), सचिव JDA जयपुर, महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर, जिला आबकारी अधिकारी।
- **श्री आशुतोष गुप्ता (वर्तमान परीक्षा नियंत्रक) –** कार्यकाल : 08 नवम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2028

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिये संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डी.एस. तिवाडी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष (अनुच्छेद 323) प्रस्तुत करता है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटांए जा सकते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 320(3) के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रांवधान है।
- एन.के. बैरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहें है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम सचिव श्याम सुन्दर शर्मा थे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग की श्रीमती कान्ता कथुरिया एवं डॉ. प्रकाशवती शर्मा पूर्व महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है।
- राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु संवीक्षा परीक्षा का प्रारम्भ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1984 से किया गया था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320(3) में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने के लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों।
- राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य को तब तक के लिए पद से निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश (अनुच्छेद 317(1) में उल्लिखित) पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं कर देता है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है।
- अनुच्छेद 315 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसम्बर, 1949 को हुई।
- दो या अधिक राज्यों के लिये संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संसद करेगा।
- आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं।
- कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर, उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल तीन प्रांत–जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।
- भारतीय संविधान के अनुच्देद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है।

- जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग अगस्त, 1949 को समाप्त कर दिये गये।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निश्चित करता है।
- 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानान्तरित किया गया।
- राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग-14 , अनुच्छेद 315 - 323 में है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं हैं।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक, परामर्शकारी निकाय हैं।
- 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनके सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र कर दी गई हैं।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानसभा करता/करती है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारम्भ 29 नवम्बर, 2021 को किया गया।
- MEMORY का संबंध राजस्थान लोक सेवा आयोग से है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वादकरण को कम करने के लिए 'प्री–लिटीगेशन कमेटी' का गठन 2019 में किया गया।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR)' की शुरूआत 10 जनवरी, 2022 को किया गया।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का दूसरा लोक सेवा आयोग है।
- अनुच्छेद 315(4) के अनुसार राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किये जा सकते है।
- अनुच्छेद 320(5) में प्रावधान है कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा संसद व राज्य विधानमण्डल में कम से कम 14 दिन के लिए रखे जायेगे।
- पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय जयपुर से अजमेर 1958 में स्थानांतरित किया गया।

Springboard Academy

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति कांता भटनागर	23.03.2000	11.08.2000	• मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रहने वाली पहली महिला। • 1968 में राजस्थान में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। • अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल।
2.	न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद	16.02.2001	03.06.2004	• उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व स्थायी न्यायाधीश रहे। • उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर रेलवे के स्थायी वकील रहे। • जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश रहे। • आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे। • एकमात्र पूर्णकालिक अध्यक्ष जिनका संबंध राजस्थान उच्च न्यायालय से नहीं है।
3.	न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह गौदारा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	04.06.2004	06.07.2005	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। • प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष।
4.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन (नगेन्द्र कुमार जैन)	16.07.2005	15.07.2010	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रहे। • जोधपुर विश्वविद्यालय में अंशकालिक व्याख्याता रहे। • कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। • हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त व हिमाचल प्रदेश में ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।
5.	न्यायमूर्ति श्री जगत सिंह (कार्यवाहक अध्यक्ष)	19.07.2010	09.10.2010	• राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में न्यायाधीश।
6.	न्यायमूर्ति पुखराज सिरवी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	26.10.2010	13.04.2011	• पुलिस महानिरीक्षक व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक। • राष्ट्रपति पुलिस पदक से दो बार सम्मानित। • 1967 में आर.पी.एस. बने।
7.	न्यायमूर्ति एच.आर. कुडी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	14.06.2012	10.03.2016	• विधानसभा सचिव भी रहे है।
8.	न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया	11.03.2016	25.11.2019	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश भी रहे। • झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश।
9.	न्यायमूर्ति श्री महेशचन्द शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	05.12.2019	24.01.2021	• राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश।
10.	न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास	25 जनवरी, 2021	24 जनवरी, 2024	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। • राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के सदस्य रहे। • राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष। • राजस्थान न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष। • न्यायिक मजिस्ट्रेटो के चयन की निचली न्यायिक समिति व चयन बोर्ड के अध्यक्ष।

11.	न्यायमूर्ति श्री रामचन्द्र सिंह झाला (कार्यवाहक अध्यक्ष)	12.02.2024	27.06.2024	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। • राजस्थान क्रिकेट अकादमी में नैतिकता आयुक्त।
12.	न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी	28 जून 2024	लगातार	• सेवानिवृत न्यायाधीश।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य

क्र.स.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	07.07.2000	06.07.2005	• राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
2.	श्री आर.के. आकोदिया	25.03.2000	24.03.2005	---
3.	श्री बी.एल. जोशी	25.03.2000	31.03.2004	• 1957 में राजस्थान राज्य पुलिस सेवा से करियर शुरू। • इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस्लामाबाद और लंदन में भारतीय उच्चायोगों और वॉशिगंटनडीसी में भारतीय दूतावास के साथ कार्य किया। • 9 जून 2004 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला। • अप्रैल 2007 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हुए। • अक्टूबर 2007 में उत्तराखण्ड राज्यपाल नियुक्त। • उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे।
4.	प्रो. आलमशाह खान	24.03.2000	16.05.2003	---
5.	श्री नमोनारायण मीणा	11.09.2003	23.03.2004	• राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक • राष्ट्रपति पुलिस पदक और राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित। • 2004 से 2009 में UPA सरकार के दौरान– ✓ पर्यावरण और वन राज्यमंत्री। ✓ वित्त मंत्रालय के व्यय, बैकिंग और बीमा विभाग में राज्यमंत्री।
6.	श्री धर्म सिंह मीणा	07.07.2005	06.07.2010	• पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
7.	न्यायमूर्ति जगत सिंह (कार्यवाहक अध्यक्ष)	10.10.2005	09.10.2010	• राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में न्यायाधीश रहे।
8.	श्री पुखराज सीरवी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	15.04.2006	13.04.2011	• पुलिस महानिरीक्षक व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक रहे। • 1967 में RPS बने। • राष्ट्रपति पुलिस पदक से दो बार सम्मानित।
9.	श्री एच.आर. कुरी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	01.09.2011	31.08.2016	---
10.	डॉ. एम.के. देवराजन	01.09.2011	31.08.2016	• राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक। • सहायक निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो। • राजस्थान पुलिस के सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभारी। • पुलिस महानिरीक्षक • राजस्थान पुलिस के सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों में नोडल अधिकारी। • चार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते जिनमें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस से प्राप्त तीन पुरस्कार शामिल।

11.	न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	03.10.2018	29.04.2021	---
12.	श्री महेश गोयल	25-01-2021	24-10-2024	• कमाण्डेट RAC, DIG राजस्थान, व IGP (इंटेलीजेंश) राजस्थान। • राष्ट्रपति पुलिस पदक (वर्ष 2000 में)।
13.	राम चन्द्र सिंह झाला (कार्यवाहक अध्यक्ष)	16-01-2023	निरन्तर	• राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। • RCA में नैतिकता आयुक्त रहे।
14.	अशोक गुप्ता	28 June 2024	निरन्तर	सेवानिवृत IPS

राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित धाराएँ –

अध्याय	धारा	प्रावधान
5 (राज्य मानव अधिकार आयोग)	21	राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन
	22	राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
	23	राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना
	24	राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि
	25	कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन
	26	राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें
	27	राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द
	28	राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट
	29	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों पर लागू होना
6 (मानव अधिकार न्यायालय)	30	मानवाधिकार न्यायालय
	31	विशेष लोक अभियोजक
7 (वित्त, लेखा और संपरीक्षा)	32	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान
	33	राज्य सरकार द्वारा अनुदान
	34	लेखा और संपरीक्षा
	35	राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा
8 (प्रकीर्ण)	36	आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय
	37	विशेष अन्वेषण दलों का गठन
	38	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
	39	सदस्यों और अधिकारियों का लोकसेवक होना
	40	नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति
	40क	भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति
	40ख	आयोग की विनियम बनाने की शक्ति
	41	नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
	42	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
	43	निरसन और व्यावृत्ति

Springboard ACADEMY

महत्वपूर्ण तथ्य –

- **प्रथम अध्यक्ष** – कान्ता भटनागर, **वर्तमान अध्यक्ष** – न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी
- **वर्तमान सदस्य** – रामचन्द्र सिंह झाला, अशोक गुप्ता
- **अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल** – कान्ता भटनागर
- **पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे है** – नमोनारायण मीणा
- **सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल** – पुखराज सीरवी (7 वर्ष)
- **सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल** – नमोनारायण मीणा (1 वर्ष)
- **अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल** – एन.के. जैन (5 वर्ष)
- **आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे–** अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सीरवी, एच.आर. कुरी, महेश चन्द्र शर्मा, राम चन्द्र सिंह झाला।
- **एकमात्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष–** एस. सगीर अहमद (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश)

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी, 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च, 2000 से क्रियाशील हुआ।
- मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का प्रावधान है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा थे जिनका कार्यकाल 7 जुलाई, 2000 से 6 जुलाई, 2005 तक था।
- राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश अधिकृत है (2019 से)।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होगा। (2019 से)
- राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जो मुख्यमंत्री (समिति का अध्यक्ष), विधानसभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता से मिलकर बनती है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचन्दानी (28 जून, 2024) है।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनिमय– 2001 को 19 जनवरी 2001 से प्रभावी किया गया।
- राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 24 में किया गया है।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22 राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबधित है।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कांता भटनागर थी।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एस. सगीर अहमद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे है।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।
- आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेन्सी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। जो कि पुलिस महानिरीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए।

राजस्थान के लोकायुक्त

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ	28-08-1973	27-08-1978	• पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। • जन्म :– पाकिस्तान। • दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
2.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक लोकायुक्त)	28-08-1978	05-08-1979	• राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश। • राजस्थान राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • शिकारपुर सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे।
3.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जोशी	06-08-1979	07-08-1982	• पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय
4.	न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिद्धू (कार्यवाहक लोकायुक्त)	04-04-1984	03-01-1985	• राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश।
5.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. श्रीमाल	04-01-1985	03-01-1990	• पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय। • महाराणा मेवाड़ पुरस्कार से सम्मानित। • राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश। • सरकारी अधिवक्ता सह–अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान।
6.	न्यायमूर्ति श्री पी.डी. कुदाल	16-01-1990	06-03-1990	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • इनकी अध्यक्षता में कुदाल आयोग बना (फरवरी 1982)।
7.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा (कार्यवाहक लोकायुक्त)	10-08-1990	30-09-1993	• न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
8.	न्यायमूर्ति श्री वी.एस. दवे (कार्यवाहक लोकायुक्त)	21-07-1994	16-02-1994	• न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यूनतम कार्यकाल)।
9.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा	06-07-1994	06-07-1999	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
10.	न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन	26-11-1999	26-11-2004	• पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय। • पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाये गये जैन आयोग के अध्यक्ष। • राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल।
11.	न्यायमूर्ति श्री जी.एल. गुप्ता	01-05-2007	30-04-2012	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
12.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी	25-03-2013	07-03-2019	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • एकमात्र लोकायुक्त जिनका कार्यकाल अध्यादेश के जरिए 3 वर्ष बढ़ाया गया। (अनुभाग 5 में संशोधन) • 24 मार्च, 2019 को ही पद से हटा दिया गया (लोकायुक्त एक्ट के खिलाफ होने के कारण)
13.	न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा	09-03-2021	निरंतर	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय

सचिव की पदस्थापन अवधि

क्र.सं.	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	श्री के.वी. शंकरन, IAS	20-09-1973	04-01-1974
2.	श्री एच.एस. रावत, IAS	21-01-1974	01-08-1977
3.	श्री टी.आर. अग्रवाल, IAS	04-12-1978	06-01-1981
4.	श्री एस.एन. मोदी, IAS	23-08-1983	31-03-1984
5.	श्री परमेश चन्द्र, IAS	31-03-1984	04-05-1984
6.	श्री ए.के. सिंह, RHJS	04-05-1984	24-11-1990
7.	श्री एस.एन. शाह, RHJS	24-11-1990	01-02-1992
8.	श्री हरबन्स लाल, RHJS	01-02-1992	06-05-1996
9.	श्री मनफूल राम, RHJS	06-05-1996	08-08-1999
10.	श्री प्रेमप्रताप सिंह, RHJS	06-01-2000	31-03-2002
11.	श्री भंवरु खां, RHJS	22-07-2002	06-01-2004
12.	डॉ. पदम कुमार जैन, RHJS	07-01-2004	12-01-2006
13.	श्री प्रकाश गुप्ता, RHJS	14-11-2007	22-12-2010
14.	श्री आर.के. बंसल, RHJS	19-01-2011	06-08-2012
15.	श्री पवन एन. चन्द्र, RHJS	18-04-2013	22-04-2014
16.	श्री प्रकाश चन्द जैन, RHJS (R)	14-05-2015	28-03-2017
17.	श्री उमाशंकर शर्मा, RJS (DJ)	31-03-2017	15-10-2019
18.	श्री गौरी शंकर शर्मा, RJS (DJ)	01-04-2021	निरन्तर

लॉन्च तिथि: 24 दिसंबर, 2025 (बुधवार).
मुख्य अतिथि: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास
अनावरण : लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा
ध्येयवाक्य : न्यायो नीतिः च शासनम्

लोकायुक्त की धाराएँ

धारा	प्रावधान
1	संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ
2	परिभाषाए
3	लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तो की नियुक्ति
4	लोकायुक्त उपलोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण न करना
5	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्त
6	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त का हटाया जाना
7	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले
8	वे मामले, जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा
9	शिकायतो के संबंध में उपबंध
10	अन्वेषणो के संबंध में प्रक्रिया
11	साक्ष्य
11(3)	कार्य न्यायिक कार्यवाही
12	लोकायुक्त व उपलोकायुक्त के प्रतिवेदन
12(1)	अनुशासनात्मक कार्यवाही
12(4)	वार्षिक प्रतिवेदन
13	मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन
14	लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्तो का कर्मचारी वर्ग
15	जानकारी की गोपनीयता
16	लोकायुक्त या उपलोकायुक्त का साशय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना
17	परित्राण (पूर्ण रक्षा पूरा बचाव)
18	लोकायुक्त और उपलोकायुक्तो आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना
19	लोक सेवकों के कतिपय वर्गो के विरूद्ध शिकायतो को अपवर्जित करने की शक्ति
20	प्रत्यायोजन की शक्ति
21	नियम बनाने की शक्ति
22	शंकाओ का निराकरण
23	निरसन तथा व्यावृतिया

लोकायुक्त में सुधार हेतु समिति :– हरिशंकर भाभडा समिति (1997), बी.डी. कल्ला समिति (2000), नरपतमल लोढ़ा समिति (2014)

लोकायुक्त की शपथ :– प्रथम अनुसूची, धारा 3(2)

राजस्थान के उपलोकायुक्त

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विवरण
1.	श्री के.पी.यू. मेनन आईएएस	05-06-1973	25-06-1974	• पूर्व मुख्य सचिव

महत्वपूर्ण तथ्य –

- राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त –आई.डी. दुआ
- प्रथम उप–लोकायुक्त –के.पी.यू. मेनन (पूर्व मुख्यसचिव)
- न्यूनतम कार्यकाल –विनोद शंकर दवे (26 दिन)
- सर्वाधिक कार्यकाल – महेन्द्र भूषण शर्मा
- **अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो राजस्थान के लोकायुक्त पद पर रहे –** एम.एल. श्रीमाल (सिक्किम उच्च न्यायालय), मिलाप चन्द जैन (दिल्ली उच्च न्यायालय)।
- सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे –आई. डी. दुआ
- न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे –डी.पी. गुप्ता

- वर्तमान लोकायुक्त –पी.के. (प्रताप कृष्ण) लोहरा
- लोकायुक्त को 5 वर्ष से पुराने मामलो में शिकायत नहीं की जा सकती है।
- लोकायुक्त स्वयं कार्यवाही करने में असक्षम है क्योंकि यह केवल सलाहकारी निकाय है। इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती।
- केन्द्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2014 को लोकायुक्त व लोकपाल अधिनियम –2013 लागू किया गया।
- वर्तमान लोकपाल चेयरपर्सन –न्यायमूर्ति अजय मलिक राव खानविलकर
- प्रथम लोकपाल चेयरपर्सन – श्री पीसी घोष
- सर्वप्रथम लोकपाल नाम –एल.एम. सिंघवी द्वारा सुझाया गया।
- **लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे–** डी.पी. गुप्ता, मिलाप चन्द जैन।
- **कार्यवाहक लोकायुक्त–** डी.पी. गुप्ता, के.एस. सिद्धू, वी.एस. दवे, एम.बी. शर्मा।
- **अपील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य**
  - ✓ पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं
  - ✓ शिकायत केवल लोक सेवक के विरूद्ध
  - ✓ स्वतः संज्ञान
  - ✓ शिकायत 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर
  - ✓ पाँच वर्ष से पुराने मामलों में जाँच नहीं
  - ✓ लोकायुक्त द्वारा शिकायत की जाँच करते समय यदि कोई व्यक्ति कार्य में बाधा डालता है तो उसके दोषी सिद्ध होने पर 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों प्रकार के दण्ड दिए जा सकते है।

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने की।
- राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ओम्बुड्समैन जैसे संस्था की स्थापना की सिफारिश राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 (हरिशचन्द्र माथुर) ने की।
- राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना 3 फरवरी, 1973 को हुई।
- राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ थे।
- राजस्थान के प्रथम उप–लोकायुक्त के.पी.यू. मैनन थे।
- राजस्थान के वर्तमान एवं 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा (9 मार्च 2021 से) है।
- राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 8 के तहत राजस्थान लोकायुक्त 5 वर्ष से पुरानी कोई शिकायत की जाँच नहीं कर सकता है।
- 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति लोकायुक्त से संबंधित है।
- लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो है।
- लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होगे।
- राजस्थान लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत आरोप से अभिप्राय –
  - लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके, कुछ करके या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया हैं।
  - लोकसेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना।
  - लोक सेवक ने अपना कर्त्तव्यपालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया हैं।
  - लोकसेवक भ्रष्टाचार या लोकसेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी हैं।
- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध आरोपित अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है। ये अभिकथन –
  - लोक सेवकों द्वारा किसी को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने,
  - अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु लोकसेवक के रूप में अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करने,
  - अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित हेतुओं से प्रेरित होने,
  - लोकसेवक की हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने से संबंधित हो सकते हैं।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित धाराएँ

अध्याय	धारा	प्रावधान
4 **(राज्य सूचना आयोग)**	15	राज्य सूचना आयोग का गठन
	16	पदावधि और सेवा की शर्तें
	17	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना
5 **(सूचना आयोगो की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियां)**	18	सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य
	19	अपील
	20	शास्ति
6 **(प्रकीर्ण)**	21	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण
	22	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
	23	न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन
	24	अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना
	25	मानीटर करना और रिपोर्ट करना
	26	समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना
	27	नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति
	28	नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति
	29	नियमों का रखा जाना
	30	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
	31	निरसन

राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त

क्र.सं.	नाम	कब से	कब तक	विवरण
1.	**श्री एम.डी. कोरानी**	18 अप्रैल, 2006	18 अप्रैल, 2011	• सर्वाधिक कार्यकाल
2.	**श्री टी. श्रीनिवासन**	05 सितम्बर 2011	13 अगस्त 2015	• ये सदस्य व अध्यक्ष दोनों रहे।
3.	**श्री सुरेश चौधरी**	06 नवम्बर 2015	25 दिसम्बर 2018	• न्यूनतम कार्यकाल
4.	**श्री सी.एम. मीणा**	04 फरवरी 2019	10 अप्रैल 2019	• कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त
5.	**श्री आशुतोष शर्मा**	06 दिसम्बर 2019	05 नवम्बर 2020	• कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त
6.	**श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड**	06 नवम्बर 2020	10 दिसम्बर 2020	• कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त
7.	**श्री डी.बी. गुप्ता (देवन्द्र भूषण)**	11 दिसम्बर 2020	10 दिसम्बर 2023	• राजस्थान में लम्बे समय तक मुख्य सचिव रहे।
8.	**श्री मोहन लाल लाठर**	09 जुलाई 2024	लगातार	• वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त • पुलिस महानिदेशक, डीजीपी अपराध शाखा, राष्ट्रपति पुलिस पदक (2016), ऑपरेशन पराक्रम पदक (2005), भारतीय पुलिस पदक वीरता के लिए (2003), मेधावी सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक (2002), राष्ट्रपति गैलेंट्री मेडल (1997).

सदस्य

1. T. श्री निवासन (न्यूनतम कार्यकाल)
2. P.L. अग्रवाल
3. चन्द्रमोहन मीणा
4. आशुतोष शर्मा (सर्वाधिक कार्यकाल)
5. लक्ष्मण राठौड़
6. राजेन्द्र बरवड़
7. नारायण बारेठ
8. शीतल धनखड (प्रथम महिला सदस्य)

वर्तमान सूचना आयुक्त : 09 जुलाई 2024 से लगातार

9. **महेन्द्र कुमार पारख** – पूर्व प्रमोटी आई.ए.एस.,
10. **सुरेश चन्द गुप्ता** – पूर्व आई.ए.एस.,
11. **टीकाराम शर्मा** – विधि विभाग के संयुक्त संचिव
12. **सुनील शर्मा** : राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने 8 दिसम्बर, 2025 को अधिसूचना जारी की, मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर ने 10 दिसम्बर, 2025 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल, 2006 को जारी अधिसूचना द्वारा 18 अप्रैल, 2006 को हुआ।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।
- राज्य सूचना आयोग की जोधपुर पीठ की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में की गई।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। जो मुख्यमंत्री (समिति का अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनती है। (RTI Act. – 2005 की धारा-15(3) के तहत)
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।
- राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम -2007 RTI Act. – 2005 की धारा 15(4) के तहत इसमें कुल अध्याय 6 में कुल 38 धारायें है।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार रखता है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। (RTI Act. -2005 की धारा 18 के तहत)।
- राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में निम्नलिखित शामिल है–
    - अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना।
    - सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने।
    - सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में निम्नलिखित का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता होगी–
    - सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान–मण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा।
    - किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
    - सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है।
- राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य–''आवदानि जनेभ्यः''।
- सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम 2007 24 जुलाई, 2007 को लागू हुए।
- राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 14 अक्टूबर, 2005 को गृह विभाग द्वारा जारी किये गये जिसकी कार्यवाही हिन्दी/अंग्रेजी में होती है।

राजस्थान वित्त आयोग

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I में प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 243-Y में नगरपालिकाओं के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 243-I और 243-Y में प्रावधान है कि
  - (i) राज्य वित्त आयोग राज्य और पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करेगा, जिसे उनके बीच विभाजित किया जा सकता है।
  - (ii) आयोग राज्य की समेकित निधि से पंचायतों और नगरपालिकाओं को अनुदानों और इन स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों के बारे में भी सिफारिश करेगा।
  - (iii) राज्यपाल द्वारा सौंपा गया अतिरिक्त कार्य।

  राज्यपाल अनुच्छेद 243-I और 243-Y के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
- राजस्थान में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जाता रहा है। पूर्व के राज्य वित्त आयोगों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	अध्यक्ष	कब से	कब तक	सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या	राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का हस्तांतरण प्रतिशत अनुशंसित	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत हस्तांतरण प्रतिशत
1.	**श्री के.के गोयल** (24 अप्रैल, 1994 को गठन)	01 अप्रैल, 1995	31 मार्च, 2000	तीन	2.18	2.18
2.	**श्री हीरालाल देवपुरा** (पूर्व मुख्यमंत्री)	01 अप्रैल, 2000	31 मार्च, 2005	तीन	2.25 (प्रोत्साहन के रूप में 0.05 सहित)	2.25
3.	**श्री माणिकचन्द सुराणा**	01 अप्रैल, 2005	31 मार्च, 2010	तीन	3.50 (प्रोत्साहन के रूप में 0. 50 सहित)	3.50
4.	**श्री बी.डी. कल्ला** (पूर्व केबिनेट मंत्री)	01 अप्रैल, 2010	31 मार्च, 2015	तीन	5.0 और कुछ करों का निर्धारण	7.182
5.	**श्रीमती ज्योति किरण** (एकमात्र महिला अध्यक्ष)	01 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2020	दो	8.5	7.182
6.	**श्री प्रद्युम्मन सिंह** (अधिसूचना 12 अप्रैल, 2021)	01 अप्रैल, 2020	31 मार्च, 2025		7.25	6.75 (2020-21 से 2023-24) 7.0 (2024-25)
7.	**श्री अरूण चतुर्वेदी**	01 अगस्त, 2025	लगातार	एक		

सातवाँ वित्त आयोग

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते है जो **श्री अरुण चतुर्वेदी** अध्यक्ष तथा **श्री नरेश कुमार ठकराल** सेवानिवृत आईएस सदस्य सचिव से मिलकर बनेगा।
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव इस अधिसूचना की दिनांक (01 अगस्त, 2025) से डेढ़ वर्ष की कालावधि के लिए पदधारण करेंगे।
- आयोग अपने कार्यकाल की समाप्ति अथवा समाप्ति के पूर्व 1 अप्रैल, 2025 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों की कालावधि के लिए प्रत्येक मामले पर अपनी रिपोर्ट (English & Hindi) में उपलब्ध करवायेगा।

राजस्थान के राज्यपाल

क्र. सं.	राज्यपाल	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री सवाई मानसिंह (राजप्रमुख)	31.03.1949	31.10.1956	• जयपुर के पूर्व महाराजा, (राजप्रमुख पद को सातवें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश)। • प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी। • चैम्बर ऑफ प्रिन्सेस व बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोर्ट के वंशानुगत सदस्य। • इण्डियन पोलो एसोंसिएशन के अध्यक्ष (1961) • मेयो कॉलेज अजमेर की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष। • जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के संरक्षक।
2.	सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	01.11.1956	15.04.1962	• सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। • पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। • दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष। • राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा के स्थान पर राजभवन में रखा गया। • राज्यपाल के रूप में सबसे लम्बा कार्यकाल • सर्वाधिक बार विधानसभा में अभिभाषण
3.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	16.04.1962	15.04.1967	• उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री (1954–60 तक) रहे। • असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। • जयपुर के सांगानेर की खुली जेल इन्हीं की देन है। • इनके कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन (1967) लगा। • डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य रहे। • अपनी समाजवाद पुस्तक के लिए "मंगलाप्रसार" पुरस्कार से सम्मानित। • अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए (1940)। • नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष व संरक्षक। • प्रेम महाविद्यालय (वृंदावन) तथा डूंगर कॉलेज (बीकानेर) के प्रधानाध्यापक रहे। सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा। • ज्ञानमण्डल संस्था में रहकर "अंतर्राष्ट्रीय विधान" लिखी और मर्यादा पत्रिका का संपादनभार भी संभाला। • उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के तीन बार सचिव रहे। • गृह एवं सूचना विभाग के मंत्री रहे तथा वित्त व श्रम मंत्री भी रहे। • भारत–चीन युद्ध 1962 के समय राज्यपाल
4.	सरदार श्री हुकुम सिंह	16.04.1967 24.12.1970	19.11.1970 30.06.1972	• लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी (1962–1967) रहे। • राज्य उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती न्यायाधीश भी रहे। • संविधान सभा, अंतरिम संसद, प्रथम व द्वितीय लोकसभा सदस्य। • अकाली दल के सदस्य व अध्यक्ष रहे। • राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। (लंदन 1961) • संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया (1962 – सोवियत संघ, 1963 – संयुक्त राज्य अमेरिका) • 2 वर्ष राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन की संचालन परिषद के चयनित सदस्य रहे। • दो अंग्रेजी पुस्तक (i) दि सिख कॉस, (ii) दि प्रॉब्लम ऑफ सिखिज्म। • हॉकी खिलाड़ी।
5.	न्यायमूर्ति जगत नारायण (कार्यवाहक)	20.11.1970	23.12.1970	• प्रथम न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल।

6.	सरदार श्री जोगिन्दर सिंह	01.07.1972	14.02.1977	• संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य। • नेशनल राईफल एसोसिएशन के महासचिव रहे। • जन लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सदस्य। • कृषि आयोग के सदस्य। • राज्य सभा की गृह समिति के अध्यक्ष • ओडिशा के कार्यवाहक राज्यपाल (1971–1972) • राज्यपाल सहायता कोष की स्थापना।
7.	न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15.02.1977	11.05.1977	• द्वितीय न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल। • द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल • कैबिनेट मंत्री रहे। • राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। • राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
8.	श्री रघुकुल तिलक	12.05.1977	08.08.1981	• अप्रैल 1977 से जून 1977 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। • वर्ष 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। • काशी विद्यापीठ के वाईस चांसलर रहे। • सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल। • सरकारी नीतियों के विरोध स्वरूप राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। • उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। • असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। • उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त। • गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार (प्रथम बार) • राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। • भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग। • प्रथम गर्वनर जिन्हें बर्खास्त किया गया। • राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी, 1980 को लगाया गया व 5 जून 1980 को हटाया गया, राष्ट्रपति शासन हटाते व लगाते दोनों समय राज्यपाल – रघुकुल तिलक
9.	न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	08.08.1981	05.03.1982	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे। • राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल।
10.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	06.03.1982 01.02.1985	04.01.1985 03.11.1985	• एयर चीफ़ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेनाध्यक्ष थे। • उन्हें 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। • हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स के अध्यक्ष रहे। • पद्मविभूषण। • भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष। • इनकी आत्मकथा – स्वीट एण्ड सॉर • महाराष्ट्र के 11वें राज्यपाल रहे। • गोल्फ के शोकीन तथा सेन्टर फॉर एयर पावर स्टडीज के सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष। • प्राथमिक उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के कमाड़ेंट (जोधपुर) 1980–82। • एशियाई खेल महासंघ के अध्यक्ष। • राजीव रत्न पुरस्कार (1991)। • मेयर इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली निदेशक। • भारतीय हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष।

11.	न्यायमूर्ति पी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	05.01.1985	31.01.1985	• राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
12.	न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	04.11.1985	19.11.1985	• राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे। • राजस्थान के कार्यवाहक लोकायुक्त पद पर रहे।
13.	श्री वसंतराव (वसंतदादा) पाटिल	15.10.1987	19.02.1988	• महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। • महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। • लोक सभा सदस्य रहे। • पद्मभूषण • भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। • प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया। • अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव। • महाराष्ट्र राज्य सहकारी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष। • शिवाजी विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य (1962 – 64)। • राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष भी रहे।
14.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (कार्यवाहक)	20.11.1985 03.02.1989	14.10.1987 19.02.1989	• राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई। • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। • 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामलें के बाद आपराधिक कानून में संशोधन हेतु बनी समिति के अध्यक्ष (तीन सदस्यीय आयोग) • भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश • राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश। • 2002 की गुजरात हिंसा में न्याय के लिए 'मंच तैयार करने' के लिए जाना जाता है। • इनके उल्लेखनीय निर्णय–(i) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (ii) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। • दो बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे।
15.	श्री सुखदेव प्रसाद	20.02.1988 20.02.1989	02.02.1989 02.02.1990	• राज्यसभा सदस्य व कैबीनेट मंत्री रहे। • कार्यकाल के बीच में विदेश में चिकित्सा हेतु गए इस दौरान जे. एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • भारत छोड़ों आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। (1942) • भारतीय खेल परिषद व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य। • अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्य।
16.	श्री मिलापचन्द जैन (कार्यवाहक)	03.02.1990	13.02.1990	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। • राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाये गये जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। • दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • राजस्थान के लोकायुक्त रहे। • कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल 10 दिन।
17.	प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	14.02.1990	25.08.1991	• राज्यसभा सदस्य।

18.	डॉ. स्वरूप सिंह (अतिरिक्त प्रभार)	26.08.1991	04.02.1993	• दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाईस चांसलर • गुजरात (इस समय राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार) व केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। • संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। • राज्यसभा सदस्य रहे। • राजस्थान में राज्यपाल का पहली बार अतिरिक्त प्रभार दिया गया। • दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल व उप–प्रिंसिपल। • कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रमुख (1961)। • हरियाणा से राज्यसभा सदस्य।
19.	डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी (मर्री चेन्ना रेड्डी)	05.02.1992	30.05.1993	• आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। • वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। • तेलंगाना आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। • अंतिम राज्यपाल जिनके कार्यकाल में राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन (1992) लगा। • राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर पुनः सक्रिय राजनीति से जुड़े। • हैदराबाद राज्य में कृषि, खाद्य, योजना व पुनर्वास मंत्री। • कृषि विशेषज्ञों के विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया (1953 रोम) • इन्होंने आंध्र राज्य के साथ तेलंगाना के विलय का विरोध किया और जेंटलमैन समझौते (1956) के चार हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। • लोक लेखा समिति सदस्य व दो बार प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। • केंद्रीय मंत्रिमण्डल में इस्पात, खान और धातु मंत्री के रूप में नियुक्ति। • पुदुचेरी के राज्यपाल।
20.	श्री धनिक लाल मण्डल (राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	31.05.1993	29.06.1993	• राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। • लोकसभा सदस्य। • बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। • भारत छोडो आंदोलन में भाग लिया। • सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव। • जयप्रकाश नारायण के 'सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन' में शामिल हुए। • हरिजन सेवक संघ बिहार के अध्यक्ष। • शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित। • हरियाणा के राज्यपाल (1990-95) • मोरारजी देसाई सरकार में केन्द्रीय गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री रहे।
21.	श्री बलिराम भगत	30.06.1993	30.04.1998	• भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 2 समाचार पत्रों का संपादन किया – क्विट इंडिया, आवर स्ट्रगल • भारत सरकार में योजना राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश व्यापार आपूर्ति मंत्री, इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री रहे। • छठे लोक सभा अध्यक्ष भी रहे। • अंतरिम संसद के सदस्य रहे। • पहली से पांचवी तक एवं सातवीं व आठवीं लोकसभा के सदस्य रहे। • केंद्रीय सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। • राष्ट्रदूत पत्र (हिंदी साप्ताहिक) का प्रकाशन पटना से शुरु किया। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के वैकल्पिक गवर्नर।

22.	श्री सरदार दरबारा सिंह	01.05.1998	24.05.1998 (मृत्यु)	• पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रहे। • राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। • मृत्यु का कारण–पोकरण मे भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से मृत्यु हुई। • पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल 23 दिन।
23.	श्री एन.एल. टिबरेवाल (नवरंग लाल टिबरेवाल) (कार्यवाहक)	24.05.1998	15.01.1999	• राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध व राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। • राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे ।
24.	न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह	16.01.1999	13.05.2003	• इलाहाबाद व राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। • 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • हाल ही में कोविड–19 से मृत्यु। • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। • गुजरात के राज्यपाल। • राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश।
25.	श्री निर्मल चन्द्र जैन	14.05.2003	22.09.2003 (मृत्यु)	• भारतीय वित्त आयोग के सदस्य • पद पर रहते हुए मृत्यु। • लोकसभा सदस्य रहे। • मध्यप्रदेश राज्य के महाधिवक्ता रहे।
26.	श्री कैलाशपति मिश्र (राज्यपाल गुजरात) अतिरिक्त प्रभार	22.09.2003	13.01.2004	• भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। • भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। (गिरफ्तार हुए) • बिहार के वित्त मंत्री। • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। • राज्यसभा सदस्य • चेतना के स्वर – काव्यसंग्रह • पथ का साराशं – आत्मकथा • इनके नाम पर 2016 में 500 रु. का डाक टिकट जारी हुआ।
27.	श्री मदनलाल खुराना	14.01.2004	31.10.2004	• दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री • वाजपेयी सरकार में संसदीय मामलात एवं पर्यटन मंत्री • इन्हें 'दिल्ली का शेर' भी कहा जाता था। • राज्यपाल रहते राजस्थान में "जनता दरबार" लगाने के कारण सुर्खियों में रहे। • कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र दिया। • लोकसभा सदस्य (सदन 9 से 12)
28.	श्री टी.वी. राजेश्वर (राज्यपाल उत्तरप्रदेश) अतिरिक्त प्रभार	01.11.2004	07.11.2004	• भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी। • इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख। • सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। • भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव। • उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। • सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे। • अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल। • आंध्रप्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर।

29.	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	08.11.2004	23.06.2007 (त्याग पत्र)	• विधायक (महाराष्ट्र) व लोकसभा सदस्या रही। • 2007 से 2012 तक भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। • मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "**ऑर्डेन मेक्सिकाना डेल एग्वेला एज्टेका**" (ऑर्डर ऑफ एज्टेक ईगल) से सम्मानित किया गया। • राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। • महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों में मंत्री रहीं। • राज्यसभा की उपसभापति। • लोकसभा की गृहसमिति की अध्यक्षा। • बिजिंग में हुए विश्व महिला सम्मेलन में भाग। • महिला कॉ–ओपरेटिव बैंक की स्थापना • कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र।
30.	डॉ. ए. आर. किदवई (अख्लाक उर रहमान किदवई) (राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	23.06.2007	05.09.2007	• एक भारतीय रसायनज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, जो हरियाणा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। • किदवई 1974 से 1977 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य रहे। • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। • अध्यक्ष, चयन बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट्स पूल। • राज्यसभा सदस्य भी रहे। • जम्मू एवं कश्मीर बैंक के निदेशक भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। • यू.जी.सी. चेयरमैन
31.	श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह (कार्यवाहक)	06.09.2007 23.07.2009	09.07.2009 01.12.2009	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पद पर रहते हुए (01.12.2009) मृत्यु। • संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप 77 के अध्यक्ष रहे। • अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। • अतिरिक्त विदेश सचिव व सचिव रहे। • यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवानिया इंस्टिट्यूट फॉर दी एडवांस स्टडी ऑफ इण्डिया के महासचिव (दिल्ली)। • भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में निदेशक। • न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में ''परमानेंट मिशन ऑफ इण्डिया'' के सदस्य। • जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (दिल्ली) के विजिटिंग प्रोफेसर। • अम्बेसेंडर (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया)
32.	श्री रामेश्वर ठाकुर अतिरिक्त प्रभार (राज्यपाल, मध्यप्रदेश)	10.07.2009	22.07.2009	• भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। • कर्नाटक, ओडिशा और आन्ध्रप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार), मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। • सिरी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्याता। • दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर। • राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गाँधी पुरस्कार के साथ राजीव गाँधी सद्भावना पुरस्कार के संस्थापक सचिव। • इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (छठी परिषद) के अध्यक्ष। • आर.बी.आई. के पूर्व संयोजक व पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक। • पूर्व निदेशक, पंजाब–हरियाणा और दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (3 वर्ष)। • केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य। • राज्यसभा के लिए निर्वाचित (दो बार)। • राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति व लोक लेखा समिति के सदस्य।

33.	श्रीमती प्रभा राव (कार्यवाहक) अतिरिक्त प्रभार (राज्यपाल हिमाचल प्रदेश)	03.12.2009 25.01.2010	24.01.2010 26.04.2010	• लोकसभा सदस्य रही। • पद पर रहते हुए मृत्यु। • 6 बार विधानसभा सदस्य (महाराष्ट्र) • महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री। • महाराष्ट्र में विपक्ष की नेता। • हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)। • 13वीं लोकसभा की सांसद निर्वाचित। • राजस्व एवं सांस्कृतिक मामलात विभाग की मंत्री। • महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। • अतिरिक्त प्रभार वाली प्रथम महिला राज्यपाल।
34.	श्री शिवराज पाटिल (राज्यपाल पंजाब) अतिरिक्त प्रभार	28.04.2010	11.05.2012	• भारत के विदेश मंत्री • भारत के गृहमंत्री रहते समय मुम्बई में आतंकवादी हमला। • CSIR के उपाध्यक्ष रहे। • 10वीं लोक सभा अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार प्रारम्भ किया गया। (1992) • केंद्रीय सरकार में रक्षामंत्री भी रहे। • राज्यसभा सांसद भी रहे। • केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। • कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अधिकतम कार्यकाल।
35.	श्रीमती मार्गरेट अल्वा (कार्यवाहक)	12.05.2012	07.08.2014	• उत्तराखण्ड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया। • वे मर्सी रवि अवॉर्ड से सम्मानित हैं। • दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उन्हें वहाँ के स्वाधीनता संग्राम में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। • चार बार लगातार राज्यसभा सदस्या रही। • 13वीं लोकसभा सदस्या रही। • राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं। • गुजरात व गोवा की राज्यपाल रही। • इनके प्रयासों से 1987 को सार्क देशों के ''बालिका वर्ष'' घोषित किया। • कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल। • राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल • रीगन गार्बोचोव समिट वाशिगटन बैठक के प्रतिनिधि मण्डल की सदस्य।
36.	श्री राम नाइक अतिरिक्त प्रभार (राज्यपाल, उत्तर प्रदेश)	08.08.2014	03.09.2014	• भारत सरकार में ऑयल एवं नेचुरल गैस मंत्री। • केंद्रीय सरकार में रेलमंत्री भी रहे। • 6 बार लोकसभा सदस्य भी रहे। • उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे। • माननीय (Honourable) राज्यपाल संबोधन से प्रारम्भ।
37.	श्री कल्याण सिंह	04.09.2014	09.09.2019	• दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। • विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगस्त 2021 में मृत्यु। • 14वीं एवं 15वीं लोकसभा सदस्य भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)।

38.	श्री कलराज मिश्र	09.09.2019	30.07.2024 को सेवानिवृत	• भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे। तीन बार राज्यसभा सदस्य। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। • उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य व विधानपरिषद के सदस्य भी रहे। लोकसभा सदस्य भी रहे। • 'निमित्त मात्र हूँ मैं' आत्मकथा लिखी। • उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा और पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री। 16वीं लोकसभा सदस्य। • पुस्तके प्रकाशित – (i) न्यायिक जबावदेही, (ii) हिन्दुत्व एक जीवन शैली। • संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक। • मोदी 1.O में केन्द्रीय मंत्री • इंफोरमास (INFORMAS) पोर्टल।
39.	श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े	31.07.2024	लगातार	• राजस्थान के 45वें राज्यपाल। • 2 नवम्बर, 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। • महाराष्ट्र में दो बार मंत्री। • राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव द्वारा शपथ। • साप्ताहिक पत्रिका विश्वकैश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। • वर्ष 1985, 1990, 1995 1999 में छत्रपती संभाजीनगर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र और 2014, 2019 में औरंगाबाद जिले के फुलंब्री निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहे (निरंतर छह बार विधायक)। • ये महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके है। • 1981 में देवगिरी नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद की स्थापना की और 1985 में क्रांति चौक, औरंगाबाद में अपनी पहली शाखा खोली। • देवगिरि नगरी सहकारी बैंक, औरंगाबाद के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष • 1974 से संस्थापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, चित्तेपिंपलगाव, जिला औरंगाबाद • संस्थापक सदस्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संस्थान, वरुड (1985 से जुलाई, 2024 अध्यक्ष) • जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, औरंगाबाद (अगस्त 2011 से 2024 तक अध्यक्ष रहे।) परोपकार की अवधि में, महासंघ ने आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में फेडरेशन को सहकार भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया • संस्थापक और अध्यक्ष, छत्रपति संभाजी राजे शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चित्तेपिंपलगाव, 2001। • संस्थापक और अध्यक्ष, संभाजी राजे ग्रामीण गैर.कृषि सहकारी ऋण समिति, चिट्टेपम्पल गाँव। (**वकतव्य** : अध्यात्म भारतीय जीवन का अंग है। हमारी संस्कृति में व्यक्ति की बजाय मनुष्य बनने पर जोर दिया गया है। मनुष्य बनने का अर्थ है, अपने लिए नहीं सम्पूर्ण समाज के लिए जीना। यही भारतीय संस्कृति है, जिससे स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।)

- **राजस्थान के राज्यपाल जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ** – दरबारा सिंह, निर्मलचन्द जैन, शीलेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव।
- **1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री** – हरिदेव जोशी,
- **1975 के आपातकाल के समय राज्यपाल** – सरदार जोगिन्दर सिंह
- **वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनो के सदस्य रहे है** – कलराज मिश्र, सरदार जोगिंदर सिंह, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल।
- **राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दिया** – मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल।
- **कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल** – मार्गरेट अल्वा
- **राज्यपाल जिन्हें सबसे पहले राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया**– स्वरूप सिंह

- **वह राज्यपाल जो राज्यसभा की उपसभापति भी रही –** प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा।
- **सर्वाधिक समय तक राज्यपाल–**गुरुमुख निहाल सिंह
- **राज्यपाल पद पर महिलाएँ –** श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती मार्गरेट अल्वा।
- **वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे है –** नवरंग लाल टिबरेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चन्द जैन, जगत नारायण, के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी, डॉ. पी. गुप्ता, जे.एस. वर्मा, अंशुमान सिंह।
- **सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे है –**टी.वी. राजेश्वर (अतिरिक्त प्रभार के रूप में)
- **सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे है –**मिलापचन्द जैन (कार्यवाहक के रूप में)
- **सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे है –**दरबारा सिंह
- **मुस्लिम राज्यपाल जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार था–** ए.आर. किदवई
- **04 राज्यपाल पद्मभूषण से सम्मानित–** ओ.पी. मेहरा, ए.आर. किदवई, बंसतराव पाटिल, टी.वी. राजेश्वर
- **राज्यपाल जिन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित –** कल्याण सिंह
- **राज्यपाल जिन पर डाक टिकट जारी किया गया –** कैलाशपति मिश्र, वंसन्त राव पाटिल।

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिनके पास राजस्थान राज्यपाल का प्रभार रहा हैं–07

- न्यायमूर्ति जगत नारायण – प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल
- न्यायमूर्ति श्री वेदपाल त्यागी (मुख्य न्यायाधीश)
- न्यायमूर्ति श्री के.डी. शर्मा (मुख्य न्यायाधीश)
- न्यायमूर्ति श्री पी.के. बनर्जी (मुख्य न्यायाधीश)
- न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता (मुख्य न्यायाधीश)
- न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन
- न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण वर्मा (मुख्य न्यायाधीश) – दो बार कार्यवाहक राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश
- न्यायमूर्ति नवरंग लाल टिबरेवाल कार्यवाहक (मुख्य न्यायाधीश)

अन्य राज्य के राज्यपाल जिनके पास राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा हैं– 09

- डॉ. स्वरूप सिंह (गुजरात राज्यपाल)
- डॉ. धनिकलाल मण्डल (हरियाणा राज्यपाल)
- श्री कैलाशपति मिश्र (गुजरात राज्यपाल)
- टी.वी. राजेश्वर (उत्तर प्रदेश राज्यपाल)
- डॉ. ए.आर. किदवई (हरियाणा राज्यपाल)
- श्री रामेश्वर ठाकुर (मध्यप्रदेश राज्यपाल)
- श्रीमती प्रभा राव (हिमाचल प्रदेश राज्यपाल)
- शिवराज पाटिल (पंजाब राज्यपाल)
- श्री राम नाईक (उत्तर प्रदेश राज्यपाल)

राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल – 10

- श्रीजगत नारायण
- वेदपाल त्यागी
- के.डी. शर्मा
- पी.के बनर्जी
- डी.पी. गुप्ता
- जे.एस. वर्मा
- मिलापचन्द जैन
- एन.एल टिबरेवाल
- शीलेन्द्र कुमार सिंह
- मारग्रेट अल्वा

महिला राज्यपाल

- श्रीमती प्रतिभा पाटिल (प्रथम)
- श्रीमती प्रभा राव
- श्रीमती मार्गरेट अल्वा

पद से त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल -02

- मदनलाल खुराना
- प्रतिभा पाटिल

राज्यपाल जो किसी विधानसभा में स्पीकर भी रहे– 04

- गुरूमुख निहाल सिंह (दिल्ली)
- श्री दरबारा सिंह (पंजाब)
- धनिकलाल मण्डल (बिहार)
- हरिभाऊ किशनराव वागड़े (महाराष्ट्र)

राज्यपाल जो लोकसभा में स्पीकर रहे – 03

- श्री बलिराम भगत (छठी लोकसभा)
- शिवराज पाटिल
- सरदार हुकुम सिंह

वह राज्यपाल जो किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं–

- श्री गुरूमुख निहाल सिंह (दिल्ली)
- श्री सम्पूर्णानन्द (उत्तर प्रदेश)
- श्री कल्याण सिंह (उत्तर प्रदेश)
- श्री मदनलाल खुराणा (दिल्ली)
- श्री एम. चेन्नारेड्डी (आंध्रप्रदेश)
- श्री वसन्त राव पाटिल (महाराष्ट्र)
- दरबारा सिंह (पंजाब)

राजस्थान में प्रथम

- **प्रथम एवं एकमात्र राजप्रमुख** – सवाई मानसिंह द्वितीय
- **प्रथम राज्यपाल** – सरदार गुरूमुख निहाल सिंह
- **प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल** – न्यायमूर्ति जगतनाराण
- **प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल** – श्री स्वरूपसिंह
- **प्रथम महिला राज्यपाल –** श्रीमती प्रतिभा पाटिल

पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राज्यपाल - 04

- श्री दरबारा सिंह
- श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
- श्री निर्मल चन्द जैन
- श्रीमती प्रभा राव

कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल-07

- श्री गुरूमुख निहाल सिंह
- सरदार हुकूम सिंह
- श्री बलिराम भगत
- श्री कलराज मिश्र
- डॉ. सम्पूर्णानन्द
- श्री जोगिंदर सिंह
- श्री कल्याण सिंह
- राज्यपाल को सरोजनी नायडू ने **"सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया"**, विजय लक्ष्मी पण्डित ने **"वेतन का आकर्षण"**, पट्टाभी सीतारमैया ने **"अतिथि सत्कार करने वाला"**, मार्गरेट अल्वा ने **"सरदर्द"** कहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **रेडक्रॉस सोसायटी 1951 –** जयपुर (उपाध्यक्ष – मुख्यमंत्री, 24 जिला शाखा)
- राष्ट्रपति के निदेश पर राज्यपाल द्वारा जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सदस्यों में ¾ विधायक जनजाति से होते हैं।
- अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा जाता है।
- **गवर्नर रिलीफ फण्ड** – (उपाध्यक्ष – मुख्यमंत्री)। **स्थापना –** जोगिंदर सिंह के समय
- **गवर्नर रिलीफ फण्ड विनियम 1973 :** समस्त वैधानिक/प्रशासनिक प्रयोजनार्थ इस कोष का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया।
- **फण्ड का उद्देश्य**
  1. अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता
  2. प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकांड बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता
  3. प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता।
  4. माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे, जहां तात्कालिक आवश्यकता हो
- **फण्ड की आय के स्त्रोत**
  1. किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं निकाय से प्राप्त आर्थिक सहायता,
  2. कोष में संग्रहित पूँजी के बैंकों/निगमों में विनियोजन पर ब्याज,
  3. कोई भी अन्य वैधानिक योगदान।
- **फण्ड से व्यय :** फण्ड से महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जाता हैं।
- **आयकर में छूट :** गवर्नर रिलीफ फण्ड के अंतर्गत प्राप्त दान राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी की उप धारा 2 (a)(v) के अंतर्गत 50 प्रतिशत की छूट दी जाती हैं।

स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव (USR)

- राजस्थान के माननीय राज्यपाल ने स्मार्ट गांव विकसित करने के लिए राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने की पहल की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह एक आदर्श गांव बने, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों और संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की गई नवीन परियोजनाओं के साथ समन्वित हों।
- 22 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों ने चरण I और II के अंतर्गत कुल 54 गाँवों को गोद लिया है। USR के चरण III के अंतर्गत 23 गाँवों को गोद लिया गया है। 13 गाँव अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के हैं।

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान का राज्यपाल **राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष** को पद की शपथ नहीं दिलाता है।
- गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त 25 अक्टूबर, 1956 को किया गया था।
- **अनुच्छेद 213** में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है।
- जब कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ–साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी जब पद धारण करता है, तो उसे उपलब्धियाँ एवं भत्ते के विषय में निर्णय **राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा**।
- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई।
- राजस्थान के राज्यपाल की **'स्मार्ट विलेज पहल'** राज्य विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- राजस्थान में 'राजप्रमुख' के पद को समाप्त कर 'राज्यपाल' पद का सृजन सातवा संविधान संशोधन (1 नवम्बर, 1956) द्वारा किया गया।
- 1956 के उपरांत, **नौ राज्य** के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। (स्वरूप सिंह, धनिक लाल मंण्डल, कैलाशपति मिश्र, टी.वी. राजेश्वर, ए.आर. किदवई, प्रभाराव, शिवराज पाटिल, राम नाईक, रामेश्वर ठाकुर)
- भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में **दो या दो से अधिक** राज्य/राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
- अपने कार्यो के निष्पादन में राज्यपाल को स्वविवेक के अनसुार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है।
- अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते **राष्ट्रपति** निर्धारित करता है।
- 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तब सम्पूर्णानन्द राज्यपाल थे एवं जब हटाया गया तब हुकुम सिंह राज्यपाल थे।
- राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल–एम. चैन्नारेड्डी, धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत।
- राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से सम्बन्धी मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है।
- राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे है– हुकुम सिंह, शिवराज पाटिल, बलिराम भगत
- विधानसभा से पारित धन विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह उसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है।
- राजस्थान के राज्यपाल ओ.पी. मेहरा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल और राजप्रमुखों के संरक्षण से संबंधित है।
- संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन, अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का/की **शक्ति** है।
- राज्यपाल को विधानमण्डल के सत्रावसान का अधिकार है।
- राज्यपाल अपना त्याग–पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है।
- राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
- राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल **संपूर्णानन्द** थे।
- संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल के परामर्श से अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।
- राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमण्डल का सत्र प्रारम्भ होने के छह सप्ताह तक विधानमण्डल में रखा जाना अनिवार्य है अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जायेगा।
- राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में है।
- राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख **राज्य के राज्यपाल** होते हैं।
- 1 नवम्बर, 1956 से पहले राजस्थान राज्य के राज्यपाल **राजप्रमुख** नाम से जाने जाते थे।
- नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल हेतु संबोधित अभिवादन–'Honourable' (माननीय राज्यपाल/राज्यपाल महोदय)
- राजस्थान के राज्यपाल मदन लाल खुराना एवं प्रतिभा पाटिल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था।

- विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का सविधानतः अधिकार है।
- राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ **तीसरी अनुसूची** के तहत दिलायी जाती है।
- राजस्थान के राज्यपाल जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया एवं हटाया गया–**रघुकूल तिलक**
- राजस्थान के राज्यपाल जो राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे है– **रघुकूल तिलक**
- राजस्थान के राज्यपाल का सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार स्वरूप सिंह को दिया गया।
- एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है–**7वें संविधान संशोधन**
- राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान, विधानसभा को भंग, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करता है। लेकिन उसके पास विधानसभा की बैठक स्थगित करने का अधिकार नहीं है।
- राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है–**मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद् की सलाह पर**
- राज्य में जिला न्यायाधिशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल रघुकुल तिलक की पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा दो अवसरो पर जारी की गई।
- राजस्थान के राज्यपाल जो भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं– **ओ.पी. मेहरा**
- राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है।
- राजस्थान का राज्यपाल राज्य निधि से पोषित राज्य विश्वविद्यालयों का **कुलाधिपति** होता है।
- हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार 31 जुलाई, 2024 को ग्रहण किया।
- **नबाम रेबिया वाद, 2016** में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है, कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है।
- राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय **निर्वाचन आयोग** की सलाह पर करता है।
- राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है।
- भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य/राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ये संख्या निर्धारित नहीं है।
- संविधान का अनच्छेद 153 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 361(3) में उपबंध है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी।
- संविधान का अनच्छेद 200 उपबंध करता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।
- संविधान का अनच्छेद 201 उपबंध करता है कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गये विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है।
- अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है।
- राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निवर्हन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है।
- राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।
- विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल संघीय सरकार के प्रतिनिधी के तौर पर कार्य करता है।
- प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलवाता है।
- पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए पाँच वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की।
- सरकारियाँ आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हैं।
- श्री गुरूमुख निहालसिंह ने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार अभिभाषण दिया?
- राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जायेगा।
- सरदार जोगिन्दर सिंह के समय राज्यपाल सहायता कोष का गठन किया गया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य

मुख्यमंत्री	विशिष्ट कार्य
श्री टीकाराम पालीवाल	भूमि सुधारों का जनक
श्री जयनारायण व्यास	दस्यु आतंक उन्मूलन
श्री मोहनलाल सुखाड़िया	इंदिरा गांधी नहर एवं पंचायती राज संस्था
श्री भैरोसिंह शेखावत	अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना
श्री हरिदेव जोशी	माही बांध
श्री अशोक गहलोत	• प्रशासनिक मितव्ययता, विद्युत सुधार, अतिक्रमण मुक्त अभियान, सूचना का अधिकार अधिनियम, सुनवाई का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम • पानी बचाओ, बिजली बचाओ। • सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ।
श्रीमती वसुंधरा राजे	महिला सशक्तिकरण

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल

क्र. सं.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री हीरालाल शास्त्री (प्रथम मनोनित मुख्यमंत्री)	07.04.1949	05.01.1951	• वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना। • वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना (यहीं इनका समाधि स्थल है)। • 1947 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। • 1948 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • लोक सभा सदस्य रहे। • 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। • जयपुर राज्य प्रजामंडल के दो बार अध्यक्ष रहे। • आत्मकथा– 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र' • लोकप्रिय गीत– 'प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः' • हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्म श्री व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। • मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी आवास में नहीं रहे।
2.	श्री सी.एस. वेंकटाचारी (मनोनित मुख्यमंत्री)	06.01.1951	25.04.1951	• उत्तर प्रदेश में नौकरशाह के बतौर सेवाएँ दी। • बीकानेर व जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। • राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के सचिव रहे। • कनाड़ा में भारत के उच्चायुक्त रहे। • Witness to the Century नामक पुस्तक लिखी। • संविधान सभा के सदस्य रहे।(उदयपुर रियासत) • राजप्रमुख के सलाहकार भी रहे। • इनके कार्यकाल की अवधि में ICS अधिकारियों का मंत्रिमण्डल कार्यरत रहा। • प्रथम गैर–राजस्थानी मुख्यमंत्री। **Book-** Witness to the Century

3.	श्री जयनारायण व्यास	26.04.1951	03.03.1952	• 1948 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • राज्यसभा के 2 बार सदस्य चुने गए। • मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हार गए। • केंद्र द्वारा मनोनीत होने वाले तीसरे मुख्यमंत्री। • प्रथम विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में। • मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे। • एक मात्र व्यक्ति जो मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। • मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। • संस्थापक : मारवाड़ लोक परिषद्, मारवाड़ यूथ लीग • अखबार : तरूण राजस्थान
4.	श्री टीकाराम पालीवाल (प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री)	03.03.1952	31.10.1952	• भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। • अध्यक्ष जयपुर प्रजामण्डल। • प्रथम उप–मुख्यमंत्री (राजस्थान)। • एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप–मुख्यमंत्री रहे। • 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव में जयनारायण व्यास के हारने पर मुख्यमंत्री बने। • प्रथम आम चुनाव में 140 निर्वाचित क्षेत्रों से 160 सीटों पर चुनाव हुए (120 निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय, 20 निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय) • जय नारायण व्यास की सरकार में मंत्री रहे। फिर मुख्यमंत्री बने। • 2 बार एम.एल.ए. एक बार लोक सभा (स्वतंत्र) सदस्य रहे। • राज्यसभा सदस्य भी रहे। • मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री रहे (ऐसे पहले व्यक्ति) • दो विधानसभा क्षेत्र मलारना चौड़ व महवा से विधायक रहे।
5.	श्री जयनारायण व्यास (दो बार मुख्यमंत्री रहे)	01.11.1952	12.11.1954	• 'किशनगढ़' के उपचुनाव में जीतने पर पुनः मुख्यमंत्री बने (1 नवम्बर 1952)
6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया (निरन्तर 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे)	13.11.1954 11.04.1957 12.03.1962 26.04.1967	11.04.1957 11.03.1962 13.03.1967 09.07.1971	• सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। • संसदीय सचिव व उपमंत्री पद की शुरूआत (चौथी विधानसभा से) • इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) लगा। • सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव। • मुम्बई की छात्र राजनीति में रहते हुए अंग्रेजों का विरोध किया। • मेवाड़ प्रजामण्डल में शामिल हुए। नाथद्वारा निवासी। क्रिकेट खिलाड़ी थे। • राजस्थान संघ के समय सिंचाई व श्रम मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास सरकार में राजस्व, सिंचाई व श्रम जैसे विभागों में मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास द्वारा 'राम राज्य परिषद' को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध हुआ। जिसके बाद हुए विश्वास मत में मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 मतों से हराया एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम–1959 इनके समय में पारित हुआ। • तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। • इन्हें "आधुनिक राजस्थान का निर्माता" भी कहा जाता है। • 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने। जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है।

				• पंचायती राज व्यवस्था– 1959 शुरु की। नागौर के बगदरी गांव में शुभारंभ हुआ। • सर्वाधिक अवधि के लिए व सर्वाधिक चार बार मुख्यमंत्री रहे। • इनके कार्यकाल में पहली महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल बनी। • 1962 में 1949 से शुरु की गई संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर चालू हुई। • मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना करने वाले नेता रहे। • स्वतंत्रता पश्चात् किसी राज्य में सत्तारुढ़ दल के विधायक दल के नेता पद के लिए पहला मुकाबला राजस्थान में 06 नवम्बर 1954 में रहा जिसमें मोहन लाल सुखाड़िया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को हराया।
7.	श्री बरकतुल्लाह खान	09.07.1971	11.10.1973	• मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद में मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री। • लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य रहे। • जोधपुर निवासी बरकतुल्लाह खान की 11 अक्टूबर 1973 को हार्ट अटैक से उनके कार्यालय में मृत्यु हुई। • 1971 के भारत–पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री थे।
8.	श्री हरिदेव जोशी	11.10.1973	29.04.1977	• दिव्यांग मुख्यमंत्री • नवी विधानसभा में नेता प्रति पक्ष। • बांसवाड़ा से लगातार 8 बार विधायक। • असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। • इनके नाम पर जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। • सम्पूर्ण देश में एकमात्र विधायक जो प्रथम दस विधानसभा चुनाव में लगातार जीते। • देश में लगे आपातकाल (1975) के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। • तीन बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। • विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक भी रहे। • विधानसभा में सती प्रथा विरोधी कानून पास करवाया। • इनके कार्यकाल में सरिस्का में केंद्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी।
9.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	22.06.1977	16.02.1980	• 8वें मुख्यमंत्री। • उपराष्ट्रपति रहे। • मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। • 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी। • सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव (1990) • सर्वाधिक विश्वास प्रस्ताव (तीन बार) • 2002 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुशील कुमार शिंदे को हराया • 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रपति का चुनाव हारे। • 3 बार विपक्ष के नेता रहे (विधानसभा सदन संख्या 7, 8, 11)। • किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। • पहली बार जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान पुलिस में निरीक्षक पद पर कार्य किया। • दस बार विधायक रहे। • इनके कार्यकाल में पहली बार विधानसभा समय से पहले भंग की गई। • राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए।

				• प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तब राज्यसभा सदस्य थे, फिर कोर्ट छबड़ा से चुनाव लड़ा। • राज्य के प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री। • पद्म विभूषण से सम्मानित। • सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना
10.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया (इंडियन नेशनल कांग्रेस)	06.06.1980	13.07.1981	• हरियाणा व बिहार के राज्यपाल रहे। • 4 बार लोक सभा सदस्य रहे एवं राज्यसभा सदस्य भी रहे। • राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। • 25 वर्ष तीन महीने की आयु में पहली बार सांसद चुने गए। द्वितीय लोकसभा में सबसे युवा सांसद बने। • इनकी पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया भी लोकसभा सदस्या रही। • राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू की। • कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। • जब मुख्यमंत्री बने उस समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि बयाना से लोकसभा सदस्य व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में वित्त राज्य मंत्री थे। • चार बार विधायक (विधानसभा संदन संख्या 7, 8, 9 एवं 12)
11.	श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981	23.02.1985	• जन्म– मध्य प्रदेश • असम के राज्यपाल रहे। • लोकसभा सदस्य रहे। • राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। • विधानसभा चुनाव के दौरान डीग विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार श्री मानसिंह की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु होने के बाद माथुर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। • सॉशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट, जयपुर की स्थापना।
12.	श्री हीरालाल देवपुरा (16 दिन कार्यकाल)	23.02.1985	10.03.1985	• मुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल। • 8वीं विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। • राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। • मुख्यमंत्री रहते हुए कभी विधानसभा नहीं गए।
13.	श्री हरिदेव जोशी	10.03.1985	20.01.1988	• 1987 में संभागीय व्यवस्था को वापस शुरु किया।
14.	श्री शिवचरण माथुर	20.01.1988	04.12.1989	
15.	श्री हरिदेव जोशी	04.12.1989	04.03.1990	• मुख्यमंत्री बनने से पहले पत्रकार
16.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	04.03.1990 04.12.1993	15.12.1992 01.12.1998	• अपनी सरकार बचाने के लिए 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक मंत्रिपरिषद में शामिल किए। • राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी देखी।
17.	श्री अशोक गहलोत	01.12.1998	08.12.2003	• 3 बार मुख्यमंत्री। • मारवाड़ का युवा गाँधी • सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे। • AICC के महासचिव रहे। • केन्द्र सरकार में पर्यटन, नागरिक उड्डयन, खेल और टैक्सटाइल मंत्री रहे। • 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। • 6 बार विधायक रहे (1999 से लगातार)

				• NSUI के अध्यक्ष रहे। • राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। • इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के मंत्रिपरिषद में मंत्री रहे। • शिवचरण माथुर की सरकार में गृहमंत्री रहे। • लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
18.	श्रीमती वसुंधरा राजे	08.12.2003	13.12.2008	• राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री (नोट–देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश) • केंद्र सरकार में विदेश राज्यमंत्री रही। • 6 बार विधानसभा सदस्या और 5 बार लोकसभा सदस्या रही। • केंद्र सरकार में लघु उद्योग, कार्मिक, प्रशिक्षण, पेंशन प्रशासनिक सुधार, परमाणु ऊर्जा की राज्य मंत्री रही। • अंतरिक्ष विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाला। • राजस्थान प्रदेश भाजपा की अध्यक्षा रही। • राजस्थान 13वीं विधानसभा में विपक्ष की नेता रही। • वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। • 2003 से लगातार विधायक रही। 1985–90 में भी विधायक रही। • राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला। • 12वीं विधानसभा में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। • 12वीं विधानसभा में प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल।
19.	श्री अशोक गहलोत	13.12.2008	13.12.2013	
20.	श्रीमती वसुंधरा राजे	13.12.2013	17.12.2018	
21.	श्री अशोक गहलोत	17.12.2018	15.12.2023	
22.	श्री भजन लाल शर्मा	15.12.2023	लगातार	• व्यक्तिगत रूप से 14वें। भरतपुर के अटारी गाँव के निवासी। • सांगानेर विधानसभा क्षेत्र (जयपुर) से निर्वाचित। • सरपंच व पंचायत समिति सदस्य रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री – हीरालाल शास्त्री
- प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक कार्यकाल – मोहनलाल सुखाड़िया (17 वर्ष)
- न्यूनतम कार्यकाल – हीरालाल देवपुरा (16 दिन)
- प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री – बरकतुल्लाह खान (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी।
- पहली महिला मुख्यमंत्री – वसुंधरा राजे
- भारत पाक युद्ध (1971) के समय मुख्यमंत्री – बरकतुल्लाह खान (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री – हरिदेव जोशी
- प्रथम अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री – जगन्नाथ पहाड़ियाँ
- वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे – हरिदेव जोशी एवं मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाडिया।
- मुख्यमंत्री जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे – शिवचरण माथुर
- वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व विधायक नहीं थे – भैरोंसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़ियाँ, अशोक गहलोत
- मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा दो बार शपथ दिलायी गयी – मोहनलाल सुखाड़िया (गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा)

- वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे – जयनारायण व्यास, भैरोंसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाडिया
- वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे – हीरालाल शास्त्री, श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पहाडिया, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर
- वह मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हीरालाल देवपुरा
- वह मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री भी रहे – श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत
- वह मुख्यमंत्री जो उपमुख्यमंत्री भी रहे – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहे – अशोक गहलोत
- राजस्थान के प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- राजस्थान के केयरटेकर सरकार के मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे – भैरोंसिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे
- मुख्यमंत्री जो संविधानसभा के सदस्य रहे – हीरालाल शास्त्री, सी.एस. वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास
- **एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति –**
  1. श्री मोहन लाल सुखाड़िया (4 बार), 2. श्री हरिदेव जोशी (3 बार), 3. श्री भैरोंसिंह शेखावत (3 बार), 4. श्री अशोक गहलोत (3 बार), 5. श्री शिवचरण माथुर (2 बार), 6. श्रीमती वसुंधरा राजे (2 बार), 7. श्री जयनारायण व्यास (2 बार)
- दूसरी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष – श्री नरेन्द्रसिंह
- सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष (तीन) 6, 12, 13वीं विधानसभा में रहे।
- नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह, परसराम मदेरणा दोनों विधानसभा अध्यक्ष भी रहे।
- राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं– हीरालाल शास्त्री, सी.एम. वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास
- राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने जीवनकाल में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे – टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्लाह खान, भैरोंसिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा
- राज्य के मुख्यमंत्री जो किसी राज्य में राज्यपाल रहे – मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया
- 2023 16वीं विधानसभा में महिला विधायक – 21 (अनुसूचित जाति से 7, अनुसूचित जनजाति से 3, सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग से 11), सर्वाधिक महिला विधायक – जयपुर, भरतपुर एवं बीकानेर से 2 – 2 है।
- 16वीं विधानसभा में महिला विधायक वसुन्धरा राजे (छठी बार), अनिता भदेल (पांचवीं बार), सिद्धी कुमारी (चौथी बार)
- 16वीं विधानसभा में निर्दलीय महिला विधायक – 02 (प्रियंका चौधरी, ऋतु बानावत)।
- वर्तमान नेता प्रतिपक्ष – टीकाराम जुली (अलवर ग्रामीण)।
- वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद् में महिला मंत्री (2) दिया कुमारी (विद्याधर नगर, जयपुर), मंजू बाघमार (जायल, नागौर)
- पहली विधानसभा में टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे।
- चौथी विधानसभा (मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खान) पांचवीं विधानसभा (बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी) आठवीं विधानसभा (हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर) इन विधानसभाओं में दो–दो मुख्यमंत्री रहे।
- 7वीं विधानसभा में जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा एवं शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री रहे।
- 1990 या 9वीं विधानसभा से सभी विधानसभा में एक ही मुख्यमंत्री रहे।
- सबसे ज्यादा 13 सत्र 5वीं विधानसभा में हुए।
- सबसे कम 6 सत्र 6वीं विधानसभा में हुए।
- सबसे ज्यादा 306 बैठक दूसरी विधानसभा में हुई।
- सबसे कम 95 बैठक 9वीं विधानसभा में हुई।
- सबसे ज्यादा काम (1665.57 घंटे) दूसरी विधानसभा में हुआ।
- सबसे कम काम (691.52 घंटे) 9वीं विधानसभा में हुआ।
- **राजस्थान विधान सभा में महिला प्रतिनिधित्वः–** पहला आम चुनाव 1952 में सम्पन्न हुआ जिसमें चार महिलाओं ने भाग लिया चारों ही चुनाव हार गईं। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952–57 की अवधि में उप चुनाव संपन्न हुए जिसमें बांसवाड़ा (सामान्य) की विधानसभा से 1953 में यशोदा देवी निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित होकर आई। प्रथम विधानसभा में उप चुनाव में दूसरी महिला श्रीमती कमला बेनीवाल थी जो 1954 में विधायक निर्वाचित हुई। सबसे ज्यादा महिलाओं ने 2018 के चुनाव में भाग लिया।
- सबसे ज्यादा महिला विधायक 2008 (28) व 2013(28) थीं।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री (गैर संवैधानिक पद)

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	दल	मुख्यमंत्री	विशेष विवरण
1.	टीकाराम पालीवाल	1 नवम्बर 1952 से 13 नवम्बर 1954	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	जय नारायण व्यास	
2.	हरिशंकर भाभड़ा	4 दिसम्बर 1993 से 30 नवम्बर 1998	भारतीय जनता पार्टी	भैरोंसिंह शेखावत	• उपमुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा। • राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। • हरिशंकर भाभडा राजस्थान विधानसभा के चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा से विधायक रहे। • निधन :– 25 जनवरी, 2024
3.	बनवारीलाल बैरवा	19 मई 2002 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत	• टोंक (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से संसद सदस्य थे।
4.	कमला बेनीवाल	12 जनवरी 2003 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत	• त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही। • पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें ताम्र–पत्र से सम्मानित किया। • किसी भी पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। • गृह, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि मंत्री रही। • राजस्व मंत्री व कैबिनेट मंत्री रही। • महासचिव, राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर। • इफको द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार प्राप्तकर्ता (1994–95)। • 1954 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी। • 15 मई 2024 को निधन। • उपमुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा।
5.	सचिन पायलट	24 दिसम्बर 2018 से 14 जुलाई 2020	भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस	अशोक गहलोत	• 15वीं लोकसभा के मंत्रिमण्डल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे।
6.	दीया कुमारी	15 दिसम्बर 2023 से लगातार	भारतीय जनता पार्टी	भजन लाल शर्मा	• राजसमन्द से लोकसभा सांसद रही। (2019 – 2023) • सवाईमाधोपुर से विधायक थी। (2013 – 2018) • इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा ''सेव द गर्ल चाइल्ड'' के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था।
7.	प्रेमचन्द बैरवा	15 दिसम्बर 2023 से लगातार	भारतीय जनता पार्टी	भजन लाल शर्मा	• 2013 के बाद 2023 में दूसरी बार दूदू सीट से विधायक बने। • राजस्थान में जिलों की समीक्षा हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष।

Springboard Academy

❖ उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है।

- ✓ राजस्थान में अब तक उपमुख्यमंत्री – 7
- ✓ राजस्थान में महिला उपमुख्यमंत्री – श्रीमती कमला बेनीवाल (प्रथम); श्रीमती दिया कुमारी (द्वितीय)
- ✓ राजस्थान के एक मात्र उपमुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हरिशंकर भाभड़ा
- ✓ उपमुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – हरिशंकर भाभड़ा
- ✓ उपमुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – कमला बेनीवाल
- ✓ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय उपमुख्यमंत्री रहे–बनवारी लाल बैरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल एवं सचिन पायलट

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन

क्र.स.	राष्ट्रपति शासन	कारण	राज्यपाल	मुख्यमंत्री
1.	13 मार्च 1967 – 26 अप्रैल 1967 (सबसे कम समय 42 दिन)	स्पष्ट बहुमत नहीं मिला	डॉ. संपूर्णानन्द सरदार हुकुमसिंह	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
2.	30 अप्रैल 1977 – 21 जून 1977	केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था	श्री वेदपाल त्यागी श्री रघुकुल तिलक	श्री हरिदेव जोशी
3.	17 फरवरी 1980 – 5 जून 1980	केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया।	श्री रघुकुल तिलक	श्री भैरोंसिंह शेखावत
4.	15 दिसम्बर 1992 – 3 दिसम्बर 1993 तक (सर्वाधिक समय तक)	बाबरी मस्जिद ढहा दिए जाने के कारण	डॉ. एम चेन्ना रेड्डी धनिकलाल मण्डल बलिराम भगत	श्री भैरोंसिंह शेखावत

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे– **श्री भैरोसिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुन्धरा राजे**
- राजस्थान के मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे– हीरालाल शास्त्री, वसुन्धरा राजे, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया।
- **मोहनलाल सुखाड़िया** ने सर्वाधिक 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- भैरोंसिंह शेखावत ने सर्वाधिक बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया।
- मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के पश्चात् बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।
- हरिदेव जोशी, भैरोंसिंह शेखावत एवं अशोक गहलोत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे।
- भैरोंसिंह शेखावत ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रीपरिषद् की बर्खास्तगी देखी है।
- वसुन्धरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल (08.12.2003 से 13.12.2008) के दौरान राजस्थान में छह राज्यपाल पदारूढ़ रहे।
- संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री **नियुक्त** किया जाता है।
- **मुख्यमंत्री** राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है।
- अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया शिवचरण माथुर अपने सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन में अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे है।
- संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का **कर्तव्य** है।

- टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप–मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे हैं।
- जयनारायण व्यास, बरकतुल्लाह खान मोहनलाल सुखाड़िया एवं भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद् में मंत्री नहीं रहे हैं।
- **हीरालाल देवपुरा** राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। (16 दिन)
- आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे।
- हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान के उप–मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष रहे है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं।
- एक व्यक्ति जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं है, 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री/मंत्री नियुक्त हो सकता है परन्तु 6 माह के भीतर निर्वाचित नहीं होने पर पद समाप्त हो जाएगा।
- मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित कोई अन्य मंत्री कर सकता है।
- भैरोंसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
- **मुख्यमंत्री** मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान व समय निर्दिष्ट करता है।
- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेंगे।
- राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद 1 दिसम्बर, 1998 को संभाला।
- अनुच्छेद 189(3) में राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान है।
- सावर्जनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधान सभा का सदस्य अनस्थ अवधि के दौरान एक सप्ताह में एक अताराकिंत प्रश्न की सूचना दे सकता है।
- अन्त्योदय योजना भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में लागू की गई।
- राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव थी।
- जगन्नाथ पहाड़ियां को कवयित्री महादेवी वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा।
- मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे का जन्म अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। (8 मार्च)
- अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन–भत्ते से संबंधित है।
- मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को डीग–गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा (23 फरवरी, 1985)।
- मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किये जाते है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2004 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होनी चाहिए।
- राजस्थान की मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 (11+1) हो सकती है।
- कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी।
- 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद, राजस्थान के मंत्रीपरिषद् में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी।
- 91वाँ संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबन्ध 1-अ जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है।
- राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से करेगा।
- राजस्थान में राज्य–मंत्री, जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतन्त्र प्रभार है मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे सम्बद्ध उप–मंत्री को आवंटित करेगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अन्तर्गत राज्य मंत्रिमण्डल अपने कार्यों के लिये विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
- टीका राम पालीवाल 1957 से 1962 की अवधि के दौरान राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए।

राजस्थान विधानसभा सदन कार्यकाल

विधान सभा क्रमांक	सदन का कार्यकाल		कुल सीटें	सत्तारूढ़ दल की सीटें	विपक्ष की सीटें	सत्रों की संख्या	सदन के बैठकों की संख्या	सदन के घंटों की संख्या	प्रोटेम स्पीकर	विधानसभा अध्यक्ष	नेता प्रतिपक्ष का नाम	मुख्यमंत्री का नाम	उप – मुख्यमंत्री	राज्यपाल
	संविधान शपथ तिथि	तक												
पहला	23.02.1952 29-03-1952	23.03.1957	160	82 (कांग्रेस)	78 (RRP और अन्य)	12	303	1182.02	1. संग्राम सिंह 2. जय नारायण व्यास	नरोत्तम लाल जोशी	जसवंत सिंह (स्वतंत्र), तनसिंह	टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहन लाल सुखाड़िया	टीकाराम पालीवाल	गुरुमुख निहाल सिंह
दूसरा	02-04-1957 24-04-1957	01-03-1962	176	119 (कांग्रेस)	57 (प्रजा प्रगतिशील दल एवं अन्य)	11	306	1665.57	नारायण सिंह मसूदा	रामनिवास मिर्धा	नरेन्द्र सिंह	मोहन लाल सुखाड़िया		गुरुमुख निहाल सिंह
तीसरा	03-03-1962 13-03-1962	28-02-1967	176	89 (कांग्रेस)	87 (स्वतंत्र पार्टी एवं अन्य)	10	268	1604.11	नारायण सिंह मसूदा	रामनिवास मिर्धा	लक्ष्मण सिंह	मोहन लाल सुखाड़िया		गुरुमुख निहाल सिंह, श्री सम्पूर्णानन्द
चौथी	13-03-1967 03-05-1967	15-03-1972	184	103(कांग्रेस)	81 (स्वतंत्र पार्टी एवं अन्य)	11	242	1573.18	पूनम चन्द विश्नोई	निरंजननाथ आचार्य	लक्ष्मण सिंह	मोहन लाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खान		श्री सम्पूर्णानन्द, हुकुम सिंह, जगत नारायण, हुकुम सिंह
राष्ट्रपति शासन	13-03-1967	26-04-1967										मोहन लाल सुखाड़िया		श्री सम्पूर्णानन्द, हुकुम सिंह
पांचवां	15-03-1972 20-03-1972	30-04-1977	184	145 (कांग्रेस)	39 (स्वतंत्र पार्टी एवं अन्य)	13	200	1382.44	यशवन्त सिंह नाहर	रामकिशोर व्यास	लक्ष्मण सिंह	बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी		हुकुम सिंह, जोगिन्दर सिंह, वेदपाल त्यागी
राष्ट्रपति शासन	30-04-1977	21-06-1977										हरिदेव जोशी		वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक
छठा	22-06-1977 18-07-1977	17-02-1980	200	150 (जनता पार्टी)	50 (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य)	6	115	910.01	फतेह सिंह	लक्ष्मण सिंह गोपाल सिंह	परसराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी, लक्ष्मण सिंह	भैरों सिंह शेखावत		रघुकुल तिलक
राष्ट्रपति शासन	17-02-1980	05-06-1980										भैरों सिंह शेखावत		रघुकुल तिलक
सातवीं	06-06-1980 04-07-1980	09-03-1985	200	133 (कांग्रेस)	67 (भाजपा और अन्य)	9	168	1253.02	परसराम मदेरणा	पूनमचन्द विश्नोई	भैरों सिंह शेखावत	जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा		रघुकुल तिलक, के.डी. शर्मा, ओ.पी. मेहरा, पी.के. बनर्जी, ओ.पी. मेहरा

आठवाँ	09-03-1985 19-03-1985	01-03-1990	200	113 (कांग्रेस-I)	87 (भाजपा और अन्य)	12	180	1531.4	लक्ष्मण सिंह	हीरालाल देवपुरा, गिरिराज प्रसाद तिवारी	भैरों सिंह शेखावत, प्रोफेसर केदार नाथ शर्मा	हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर		ओ.पी. मेहरा, डी.पी. गुप्ता, वसन्त राव पाटिल, जे.एस. वर्मा, सुखदेव प्रसाद, जे.एस. वर्मा, सुखदेव प्रसाद, मिलापचन्द जैन, देवी प्रसाद चटोपाध्याय
नौवां	02-03-1990 15-03-1990	15-12-1992	200	84 (भाजपा) 54 (जेडी)	62 (कांग्रेस और अन्य)	7	95	691.52	पूनमचन्द विश्नोई	हरिशंकर भाभड़ा	हरिदेव जोशी	भैरों सिंह शेखावत		देवी प्रसाद चटोपाध्याय, स्वरुप सिंह, एम. चेन्ना रेड्डी
राष्ट्रपति शासन	15-12-1992	03-12-1993										भैरों सिंह शेखावत		एम. चेन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल, बलिराम भगत
दसवां	04-12-1993 28-12-1993	30-11-1998	200	124 (भाजपा और अन्य)	76 (कांग्रेस)	11	141	976.53	पूनमचन्द विश्नोई	हरिशंकर भाभड़ा, शान्तिलाल चपलोत, समरथ लाल मीणा	परसराम मदेरणा	भैरों सिंह शेखावत	हरिशंकर भाभड़ा	बलिराम भगत, दरबारा सिंह, एन.एल टिबरेवाल
ग्यारहवें	01-12-1998 04-01-1999	05-12-2003	200	152 (कांग्रेस)	48 (भाजपा और अन्य)	11	143	964.16	भैरोंसिंह शेखावत	परसराम मदेरणा	भैरों सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया	अशोक गहलोत	बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल	एन.एल टिबरेवाल , अंशुमान सिंह, निर्मल चन्द्र जैन, कैलाशपति मिश्र
बारहवें	05-12-2003 15-01-2004	10-12-2008	200	123 (भाजपा)	77 (कांग्रेस और अन्य)	10	140	1037.39	गंगाराम चौधरी	सुमित्रा सिंह	डॉ. बीडी कल्ला	श्रीमती वसुंधरा राजे		कैलाशपति मिश्र, मदनलाल खुराना, टी.वी. राजेश्वर, प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, डॉ. ए.आर. किदवई, शीलेन्द्र कुमार सिंह
तेरहवां	11-12-2008 01-01-2009	09-12-2013	200	102 (कांग्रेस)	98 (भाजपा और अन्य)	11	119	781.46	देवीसिंह भाटी	दीपेन्द्र सिंह शेखावत	श्रीमती. वसुन्धरा राजे, श्रीमती. वसुन्धरा राजे, गुलाब चंद कटारिया	अशोक गहलोत		शीलेन्द्र कुमार सिंह, रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव, शिवराज पाटिल, मार्गरेट अल्वा
चौदहवां	11-12-2013 21-01-2014	12-12-2018	200	163 (भाजपा)	37 (कांग्रेस और अन्य)	11	139	1040.1	प्रद्युमन सिंह	कैलाश मेघवाल	रामेश्वर लाल डूडी	श्रीमती वसुंधरा राजे		मार्गरेट अल्वा, राम नाईक, कल्याण सिंह,
पंद्रहवीं	12-12-2018 15-01-2019	04-12-2023	200	107 (कांग्रेस)	93 (भाजपा और अन्य)	8	147	995.13	गुलाबचन्द कटारिया	सी.पी. जोशी	गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़	अशोक गहलोत	सचिन पायलट	कल्याण सिंह, कलराज मिश्र
सोलहवां (04-09-2025 तक)	04-12-2023	लगातार.....	200	118 (भाजपा)	81 (कांग्रेस और अन्य)	3	54	371.06	कालीचरण सर्राफ	वासुदेव देवनानी	टीका राम जूली	भजन लाल शर्मा	दीया कुमारी, प्रेमचन्द बैरवा	कलराज मिश्र, हरिभाऊ किशन राव बागडे

विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	श्री नरोत्तम लाल जोशी (पहली विधानसभा)	31.03.1952	25.04.1957	• राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष और झुंझुनूं से दो बार कांग्रेस के विधायक रहे। • भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदार व सांमती शोषण के विरूद्ध प्रजामण्डल आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका। • मंत्री रहे।
2.	श्री रामनिवास मिर्धा (दूसरी, तीसरी विधानसभा)	25.04.1957 14.03.1962	13.03.1962 03.05.1967	• विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। • भारत सरकार के राज्य मंत्री रहे (विदेशमंत्री) • यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य व इंडियन हेरिटेज सोसाइटी अध्यक्ष • राज्यसभा के उपसभापति (1977 - 80) • राजस्थान सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे • कृषि, सिंचाई और परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार (1954 - 1957) • प्रतिभूति एवं बैकिंग लेनदेन 1992 में अनियमितताओं की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष • प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विधानसभा में विधायक। • 8वीं, 10वीं लोकसभा में सांसद • दो बार राज्यसभा सांसद (निर्विरोध)
3.	श्री निरंजननाथ आचार्य (चौथी विधानसभा)	03.05.1967	20.03.1972	• इनके समय राज्यमंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई • दल :— भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस • इनके समय प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। • द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम विधानसभा में विधायक। • राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष (1957 से 1962)।
4.	श्री रामकिशोर व्यास (पाँचवी विधानसभा)	20.03. 1972	18.07.1977	• स्वतंत्रता सेनानी। • पुदुचेरी के उपराज्यपाल (1980) • राजस्थान के गृहमंत्री • इनके समय राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। • जयपुर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु (16 अप्रैल, 1981) • प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम विधानसभा में विधायक।
5.	श्री लक्ष्मण सिंह (छठी विधानसभा)	18.07. 1977	20.06.1979	• डूँगरपुर रियासत के अंतिम शासक • तीन बार नेता प्रतिपक्ष (1967 से 1972, 1972 से 1977, 1979) • इनके समय राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा।

Springboard Academy

				• चैंबर ऑफ प्रिसेंस की स्थायी समिति के सदस्य • चित्तौड़ के विधायक के रूप में अध्यक्ष बने। • तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी एवं आठवी विधानसभा में विधायक। • प्रथम गैर–कांग्रेसी अध्यक्ष। • विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, विपक्ष के नेता रहे। • **सम्मान :** नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इण्डिया (1935) भारतीय स्वतंत्रता पदक (1947)
6.	श्री गोपाल सिंह (छठी विधानसभा)	25.09. 1979	07.07. 1980	• अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे • दो बार जालौर जिले के आहोर से विधायक रहे • दल :– जनता पार्टी • इनके समय राज्य में पहली बार विधानसभा समय से पूर्व भंग कर दी गई
7.	श्री पूनमचन्द विश्नोई (सातवीं विधानसभा)	07.07. 1980	20.03.1985	• भीनमाल, फलोदी और लूनी से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए • राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष और राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री • संसदीय सचिव राजस्थान सरकार • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (1967 से 1971), प्रोटेम स्पीकर तीनों रहे। • द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सातवीं, नवीं एवं दसवीं विधानसभा में विधायक।
8.	श्री हीरा लाल देवपुरा (आठवीं विधानसभा)	20.03. 1985	16.10. 1985	• राजस्थान के मुख्यमंत्री। • उदयपुर संभाग के कुम्भलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। • राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे • चतुर्थ, पंचम, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं एवं ग्यारवीं विधानसभा में विधायक।
9.	श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी (आठवीं विधानसभा)	31.01. 1986	11.03. 1990	• उपाध्यक्ष भी रहे। • संपादक साप्ताहिक नवयुग संदेश भरतपुर। • पाचवीं एवं आठवीं विधानसभा में विधायक।
10.	श्री हरि शंकर भाभड़ा (नौवीं, दसवीं विधानसभा)	16.03. 1990 30.02.1993	21.12. 1993 05.10.1994	• दो बार विधानसभा अध्यक्ष। • इनके समय चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा (बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण) • निवासी :– डीडवाना (नागौर) • राजस्थान के उपमुख्यमंत्री रहे। • राजस्थान सरकार में आर्थिक नीति और सुधार परिषद के उपाध्यक्ष रहे • निधन :– 25 जनवरी, 2024 • दल :– भारतीय जनता पार्टी • समय से पूर्व विधानसभा भंग तथा दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए • राज्यसभा सदस्य। • आठवीं, नवीं एवं दसवीं विधानसभा में विधायक।

11.	श्री शांति लाल चपलोत (दसवीं विधानसभा)	07.04. 1995	18.03. 1998	• उदयपुर जिले के मावली से तीन बार विधायक रहे • उदयपुर से 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे • 2008 में ''सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार'' से सम्मानित • दल :— भारतीय जनता पार्टी • उपाध्यक्ष भी रहे। • नवीं, दसवीं एवं बारहवीं विधानसभा में विधायक।
12.	श्री समरथलाल मीणा (दसवीं विधानसभा)	24.07. 1998	04.01. 1999	• अलवर जिले के राजगढ़ से पांच बार विधायक रहे (चौथी, छठी, सातवीं, दसवीं एवं बारहवीं विधानसभा में विधायक।) • दल :— भारतीय जनता पार्टी • संसदीय सचिव व उपमंत्री रहे। • उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा।
13.	श्री परसराम मदेरणा (ग्यारहवीं विधानसभा)	06.01. 1999	15.01. 2004	• 9 बार विधानसभा के सदस्य रहे (दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, नौवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं विधानसभा में विधायक।) • राजस्थान विधानसभा में तीन बार विपक्ष के नेता रहे • लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सदस्य। • केन्द्रीय सहकारी बैंक, अधीनस्थ विधान समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष रहे • इनके समय कांग्रेस स्पष्ट बहुमत (पहली बार 153 सीट) के साथ जीत कर आयी। पहली बार किसी एक दल को तीन चौथाई बहुमत प्राप्त हुआ। • प्रोटेम स्पीकर रहे। • मंत्री भी रहे।
14.	श्रीमती सुमित्रा सिंह (बारहवीं विधानसभा)	16.01. 2004	01.01. 2009	• राजस्थान में अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली महिला • दल :— भारतीय जनता पार्टी • नौ बार निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला विधानसभा सदस्य के रूप में। • दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं विधानसभा में सदस्य। • मंत्री भी रही।
15.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (तेरहवीं विधानसभा)	02.01.2009	20.01. 2014	• किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। 96 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बडा दल • अशोक गहलोत निर्दलीयों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। बाद में बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत 102 सीटे प्राप्त हो गया • दल :— भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस • राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार। • सात, दस, ग्यारह, तेरह एवं पन्द्रह विधानसभा में सदस्य।
16.	श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (चौदहवीं विधानसभा)	22.01. 2014	15.01. 2019	• प्रजा सोशलिस्ट पार्टी संयुक्त सचिव • भारत सरकार के पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष • सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री थे (2003 - 2004)

Springboard Academy

				• गृहमंत्री राजस्थान सरकार • राजस्थान विधानसभा के सदस्य (6 बार – सदन संख्या 6, 7, 9, 10, 14 एवं 15) व उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष • उदयपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य थे • लोकसभा सांसद (सदन संख्या 9, 13 एवं 15)
17.	श्री सी.पी. जोशी (पन्द्रहवीं विधानसभा)	16.01. 2019	20.12. 2023	• नाथद्वारा राजस्थान से 5 बार विधायक (सदन संख्या – 7, 8, 11, 12 एवं 15) व राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। • 15वीं लोकसभा में भीलवाड़ा से सांसद थे। • उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर। • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, रेलमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (केन्द्र सरकार) • राजस्थान क्रिकेट अकादमी अध्यक्ष। •
18.	श्री वासुदेव देवनानी (सोलहवीं विधानसभा) (व्यक्तिगत रूप से 17वें)	21.12. 2023	निरन्तर	• अजमेर उत्तर में विधायक • राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले सिंधी है • भूतपूर्व शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार व राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (राज्य सरकार) • पाँच बार विधायक – बारह, तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलहवीं विधानसभा में लगातार।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

✓ **विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल–** श्री रामनिवास मिर्धा

✓ **विधानसभा अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल–** श्री समरथलाल मीणा

✓ **राजस्थान के मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहें–** श्री हीरालाल देवपुरा

✓ **राजस्थान के उप–मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहें–** श्री हरिशंकर भाभड़ा

✓ **राजस्थान के एकमात्र एवं प्रथम महिला जो विधानसभा अध्यक्ष रही–** श्रीमती सुमित्रा सिंह(12वीं विधानसभा)

✓ **राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष–** श्री नरोत्तम लाल जोशी

✓ **प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा अध्यक्ष–** श्री निरंजननाथ आचार्य(4th विधानसभा)

✓ **अंतिम राष्ट्रपति शासन के समय विधानसभा अध्यक्ष–** श्री हरिशंकर भाभड़ा(9th विधानसभा)

✓ **सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष 10वीं विधानसभा में 3** - (श्री हरिशंकर भाभड़ा, समरथलाल मीणा, शांतिलाल चपलोत) रहे।

✓ **प्रथम बार जब विधानसभा समय से पूर्व भंग हुई तब विधानसभा अध्यक्ष–** श्री गोपाल सिंह

✓ **विधानसभा अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष भी रहे–** श्री निरंजननाथ आचार्य, श्री समरथलाल मीणा, श्री शांतिलाल चपलोत, श्री पूनमचंद विश्नोई, श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी

✓ **विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर तीनों पदो पर रहे–** श्री पूनमचंद विश्नोई

विधानसभा उपाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	श्री लालसिंह शक्तावत	31-03-1952	31-03-1957	
2.	श्री निरंजन नाथ आचार्य	01-05-1957	01-03-1962	
3.	श्री नारायण सिंह मसूदा	07-05-1962	28-02-1967	
4.	श्री पूनम चंद विश्नोई	09-05-1967	09-07-1971	
5.	श्री रामनारायण चौधरी	11-11-1971	15-03-1972	
6.	श्री राम सिंह यादव	25-03-1972	30-04-1977	
7.	श्री रामचन्द्र जाट	08-09-1977	17-02-1980	
8.	श्री अहमद बख्श सिंधी	28-03-1981	14-10-1982	
9.	श्री गिरिराज प्रसाद तिवाडी	29-03-1985	31-01-1986	
10.	श्री किशन मोटवानी	28-10-1986	01-03-1990	
11.	श्री यदुनाथ सिंह	05-07-1990	21-03-1991	
12.	श्री हीरा सिंह चौहान	25-03-1991	14-12-1992	
13.	श्री शान्तिलाल चपलोत	27-09-1994	07-04-1995	
14.	श्री समर्थलाल मीणा	04-05-1995	24-07-1998	
15.	श्रीमती तारा भण्डारी	28-07-1998	30-11-1998	
16.	श्री देवेन्द्र सिंह	26-03-1999	04-12-2003	
17.	श्री रामनारायण विश्नोई	19-07-2004	10-12-2008	
18.	श्री रामनारायण मीणा	29-02-2012	09-12-2013	
19.	श्री राव राजेन्द्र सिंह	18-09-2015	15-01-2019	

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **प्रथम महिला उपाध्यक्ष** – श्रीमती तारा भण्डारी
- ✓ **प्रथम उपाध्यक्ष** – श्री लालसिंह शक्तावत

Springboard ACADEMY

प्रोटेम स्पीकर, राजस्थान विधानसभा

क्र.सं.	नाम	सदन	नियुक्ति की तिथि	शपथ की तिथि	विशेष विवरण
1.	महाराव संग्राम सिंह	I	24-03-1952	27-03-1952	
	श्री जय नारायण व्यास	I	03-12-1956	03-12-1956	
2.	श्री नारायण सिंह मसुदा	II	22-04-1957	23-04-1957	
3.	श्री नारायण सिंह मसुदा	III	07-03-1962	10-03-1962	
4.	श्री पूनम चंद बिश्नोई	IV	28-04-1967	02-05-1967	
5.	श्री यशवंत सिंह नाहर	V	17-03-1972	19-03-1972	
6.	मेजर फतेह सिंह	VI	13-07-1977	17-07-1977	
7.	श्री पारस राम मदेरणा	VII	03-07-1980	03-07-1980	
8.	श्री लक्ष्मण सिंह	VIII	11-03-1985	16-03-1985	
9.	श्री पूनम चंद बिश्नोई	IX	08-03-1990	12-03-1990	
10.	श्री पूनम चंद बिश्नोई	X	22-12-1993 05-04-1995 18-07-1998	22-12-1993 - -	
11.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	XI	14-12-1998	03-01-1999	
12.	श्री गंगाराम चौधरी	XII	06-01-2004	14-01-2004	
13.	श्री देवी सिंह भाटी	XIII	24-12-2008	25-12-2008	
14.	श्री प्रध्युमन सिंह	XIV	02-01-2014	20-01-2014	
15.	श्री गुलाब चंद कटारिया	XV	08-01-2019	14-01-2019	
16.	श्री कालीचरण सराफ	XVI	18-12-2023	18-12-2023	

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **प्रथम विधानसभा में 2 प्रोटेम स्पीकर रहे–** श्री महाराव संग्राम सिंह, श्री जय नारायण व्यास
- ✓ **तीन बार प्रोटेम स्पीकर रहे–** श्री पूनम चंद विश्नोई
- ✓ **दो बार प्रोटेम स्पीकर रहे–** श्री नारायण सिंह मसुदा
- ✓ **राजस्थान के मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे–** श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री जय नारायण व्यास
- ✓ **राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे–** श्री प्रध्युमन सिंह
- ✓ **प्रोटेम स्पीकर एवं विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों पदो पर आसीन रहे–** श्री नारायण सिंह मसुदा, श्री पूनम चंद विश्नोई

पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक

क्र.सं.	नाम	पदावधि
1.	श्री मथुरा दास माथुर	जुलाई, 1953 से फरवरी,1957
2.	श्री हरिदेव जोशी	सितम्बर, 1957 से 21.02.1964
3.	श्री रामप्रसाद लढ्ढ़ा	22.02.1964 से मार्च, 1967
4.	श्री जयकृष्ण शर्मा	08.03.1967 से 05.03.1968
5.	श्री गिरधारी लाल व्यास	06.03.1960 से मार्च,1972
6.	श्री खेत सिंह राठौड़	13.04.1972 से अप्रैल, 1977
		09.07.1980 से 08.03.1985
7.	श्री सम्पत राम	जुलाई,1977 से फरवरी,1978
8.	श्री नवनीत कुमार पालीवाल	10.02.1978 से 15.05.1979
9.	डॉ. बुलाकी दास कल्ला	11.03.1985 से 06.02.1988
10.	श्री रघुनाथ परिहार	06.02.1988 से 19.12.1989
11.	श्री पंकज पंचोली	20.12.1989 से 28.02.1990
12.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	15.03.1990 से 14.12.1992
13.	श्री महावीर प्रसाद जैन	29.12.1993 से 30.11.1998
		21.06.2004 से 10.12.2008
14.	श्री हरी सिंह (महुवा)	23.03.1990 से 05.12.2003
15.	श्री वीरेन्द्र बेनीवाल	29.12.2008 से 23.11.2011
16.	श्री रघु शर्मा	23.11.2011 से 09.12.2013
17.	श्री कालूलाल गूर्जर	21.01.2014 से 12.12.2018
18.	डॉ. महेश जोशी	15.01.2019 से 02.03.2023
19.	श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	09.01.2024 से लगातार

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **एकमात्र मुख्यमंत्री जो सरकारी मुख्य सचेतक भी रहे–** श्री हरिदेव जोशी
- ✓ **राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष जो सरकारी मुख्य सचेतक भी रहे–** श्री बी.डी. कल्ला
- ✓ **मुख्य सचेतक जो उप मुख्य सचेतक भी रहे–**डॉ. महेश जोशी
- ✓ **दो बार सरकारी मुख्य सचेतक रहे–** श्री खेतसिंह राठौड़ (10 वर्ष), श्री महावीर प्रसाद जैन(9 वर्ष)
- ✓ **प्रथम बार उप मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया–** श्री अश्क अली टाक (16 अक्टूबर, 1985 को)

पूर्व सरकारी उप–मुख्य सचेतक

क्र.सं.	नाम	पदावधि	क्र.सं.	नाम	पदावधि
1.	श्री अश्क अली टाक	16.10.1985 से 06.02.1988	**2.**	श्री दीप चन्द राठौड़	06.02.1988 से 30.08.1989
3.	श्री पंकज पंचोली	04-09-1989 से 19-12-1989	**4.**	श्री माणक चन्द डाणी	20-02-1990 से 01-03-1990
5.	श्री भंवरलाल शर्मा	14-03-1990 से 27-10-1990	**6.**	श्री राजेन्द्र राठौड	23-02-1991 से 16-12-1993
7.	श्री सुरेन्द्र गोयल	09.05.1995 से 30.11.1998	**8.**	डॉ. महेश जोशी	22-03-1999 से 04-12-2003
9.	श्री ओ.पी. महेन्द्रा	23-02-2007 से 10-12-2008	**10.**	श्री रतन देवासी	23-11-2011 से 09-12-2013
11.	श्री मदन राठौड़	17-09-2015 से 12-12-2018	**12.**	श्री महेन्द्र चौधरी	15-01-2019 से 04-12-2023

पूर्व नेता प्रतिपक्ष

क्र.सं.	नाम	पदावधि	क्र.सं.	नाम	पदावधि
1.	श्री जसवन्त सिंह	29.03.1952 से 09.04.1956	**2.**	श्री तनसिंह	03.12.1956 से 31.03.1957
3.	श्री नरेन्द्र सिंह	24.04.1957 से 01.03.1962	**4.**	श्री लक्ष्मण सिंह महारावल	13.03.1962 से 28.02.1967 03.05.1967 से 15.03.1972 20.03.1972 से 30.04.1977 24.09.1979 से 11.10.1979
5.	श्री परसराम मदेरणा	18.07.1977 से 13.11.1978 16.02.1979 से 29.08.1979 31.12.1993 से 30.11.1998	**6.**	श्री रामनारायण चौधरी	13.11.1978 से 15.02.1979 27.01.2006 से 22.10.2007
7.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	15.07.1980 से 09.03.1985 28.03.1985 से 30.12.1989 08.01.1989 से 18.08.2002	**8.**	श्री केदार नाथ शर्मा	30.12.1989 से 01.03.1990
9.	श्री हरिदेव जोशी	19.03.1990 से 15.12.1992	**10.**	श्री गुलाबचन्द कटारिया	24.08.2002 से 04.12.2003 21.02.2013 से 09.12.2013 17.01.2019 से 16.02.2023
11.	डॉ. बुलाकी दास कल्ला	16.01.2004 से 26.01.2006	**12.**	श्री हेमा राम चौधरी	23.10.2007 से 10.12.2008
13.	श्रीमती वसुंधरा राजे	02.01.2009 से 25.02.2010 09.03.2011 से 20.02.2013	**14.**	श्री रामेश्वर लाल डूडी	23.01.2014 से 12.12.2018
15.	श्री राजेन्द्र राठौड़	06.04.2023 से 04.12.2023	**16.**	श्री टीकाराम जूली	19.01.2024 से लगातार

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **राजस्थान के मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे–** श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री हरिदेव जोशी, श्रीमती वसुंधरा राजे
- ✓ **राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे–** श्री बी.डी. कल्ला
- ✓ **नेता प्रतिपक्ष जो उप मुख्य सचेतक भी रहे–** श्री राजेन्द्र राठौड़
- ✓ **राजस्थान के मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर एवं नेता प्रतिपक्ष भी रहे–** श्री भैरोंसिंह शेखावत
- ✓ **प्रोटेम स्पीकर जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे–** श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री परसराम मदेरणा, श्री गुलाबचंद कटारिया
- ✓ **प्रोटेम स्पीकर जो नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष भी रहे–** श्री परसराम मदेरणा, श्री लक्ष्मण सिंह
- ✓ **सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष–** श्री लक्ष्मण सिंह (4 बार), श्री परसराम मदेरणा(3 बार), श्री भैरोंसिंह शेखावत(3 बार), श्री गुलाबचंद कटारिया (3 बार), श्री रामनारायण चौधरी (2 बार), श्रीमती वसुंधरा राजे (2 बार)

राजस्थान का वर्तमान मंत्रिमंडल

मुख्यमंत्री :	श्री भजनलाल शर्मा
केबिनेट मंत्री :	श्रीमती दिया कुमारी, डॉ. प्रेम चंद बैरवा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, श्री मदन दिलावर, श्री किरोड़ी लाल मीणा, श्री गजेंद्र सिंह खींवसर, श्री जोगाराम पटेल, श्री सुमित गोदारा, श्री कन्हैया लाल, श्री जोराराम कुमावत, श्री हेमंत मीणा, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री बाबू लाल, श्री अविनाश गहलोत।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) :	श्री गौतम कुमार, श्री हीरालाल नागर, श्री झाबर सिंह खर्रा , श्री संजय शर्मा।
राज्य मंत्री :	श्री ओटा राम देवासी, श्री कृष्ण कुमार के.के. विश्नोई, श्री विजय सिंह, श्री जवाहरसिंह बेढ़म, डॉ. मंजू बाघमार।

विश्वास प्रस्ताव

मुख्यमंत्री का नाम एवं सदन	पार्टी सदस्य /कुल (%)	मूवर और पार्टी	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि	मतदान की तिथि	परिणाम	भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
भैरोंसिंह शेखावत (नौवां सदन) (दो प्रस्ताव)	भाजपा 85/200 (42.50%)	भैरोंसिंह शेखावत, (भाजपा)	23-03-1990	23-03-1990	अनुमति दी गई (ध्वनि मत द्वारा)	15
		ओम प्रकाश गुप्ता, (भाजपा) भैरोंसिंह शेखावत, (भाजपा)	08-11-1990	08-11-1990	अनुमत हाँ – 116 नहीं – 80	47
भैरोंसिंह शेखावत (दसवां सदन)	भाजपा 95/200 (47.50%)	भैरोंसिंह शेखावत, (भाजपा)	31-12-1993	31-12-1993	स्वीकृत (ध्वनि मत द्वारा) स्वीकृत हाँ – 108 नहीं – 00	43
अशोक गहलोत (13वां सदन)	कांग्रेस 96/200 (48.00%)	अशोक गहलोत, (कांग्रेस)	03-01-2009	03-01-2009	अनुमति दी गई (ध्वनि मत द्वारा)	11
अशोक गहलोत (15वां सदन)	कांग्रेस 00/200 (00.00%)	अशोक गहलोत, (कांग्रेस)	2020			

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **प्रथम बार विश्वास प्रस्ताव लाने वाले मुख्यमंत्री–** श्री भैरोंसिंह शेखावत(**9वीं विधानसभा** : 1990)
- ✓ **अंतिम बार विश्वास प्रस्ताव लाने वाले मुख्यमंत्री–** श्री अशोक गहलोत (**15वीं विधानसभा** : 2020)
- ✓ **मुख्यमंत्री जिनके विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या सर्वाधिक–** श्री भैरोंसिंह शेखावत (47 सदस्य)
- ✓ **मुख्यमंत्री जिनके विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या न्यूनतम–** श्री अशोक गहलोत (11 सदस्य)
- ✓ **सर्वाधिक बार विश्वास प्रस्ताव लाने वाले मुख्यमंत्री** –श्री भैरोंसिंह शेखावत (3 बार)

अविश्वास प्रस्ताव

मुख्यमंत्री का नाम एवं सदन	पार्टी सदस्य /कुल (%)	मूवर और पार्टी	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि	मतदान की तिथि	परिणाम	भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
टीकाराम पालीवाल (प्रथम सदन)	कांग्रेस 82/160 (51.25%)	इंद्रनाथ मोदी (स्वतंत्र)	10-10-1952 17-10-1952 21-10-1952	21-10-1952	अनुमति नहीं (ध्वनि मत द्वारा)	20
मोहन लाल सुखाड़िया (द्वितीय सदन)	कांग्रेस 119/176 (67.61%)	राजामान सिंह (स्वतंत्र), भैरोंसिंह शेखावत (जनसंघ)	19-02-1958 20-02-1958	20-02-1958	अनुमति नहीं है हाँ – 23 नहीं – 123	28
मोहन लाल सुखाड़िया (तृतीय सदन) (5 संख्या)	कांग्रेस 89/176 (50.58%)	राम किशन (समाजवादी पार्टी), मुरलीधर व्यास (प्रजा समाजवादी पार्टी)	05-04-1962	--	आवश्यक समर्थन की कमी के कारण सदन में पेश करने की अनुमति नहीं दी गई।	43
		एम. लक्ष्मण सिंह (निर्दलीय), भैरों सिंह शेखावत (जनसंघ), मुरलीधर व्यास (प्रजा समाजवादी पार्टी), उमराव सिंह चौधरी (निर्दलीय), मुकुट बिहारी गोयल (समाजवादी पार्टी)	26-08-1963 27-08-1963 28-08-1963	28-08-1963	अनुमति नहीं (ध्वनि मत द्वारा)	46
		एम. लक्ष्मण सिंह (निर्दलीय), मुरलीधर व्यास (प्रजा समाजवादी पार्टी), भैरों सिंह शेखावत (जनसंघ), हरिराम चौहान (समाजवादी पार्टी)	20-10-1964 28-10-1964 29-10-1964 30-10-1964	30-10-1964	अनुमति नहीं है। हाँ– 61 नहीं–99	55
		सतीश चंद्र अग्रवाल (जनसंघ)	16-04-1965		आवश्यक समर्थन की कमी के कारण सदन में पेश करने की अनुमति नहीं दी गई।	
		एम. लक्ष्मण सिंह (स्वतंत्र)	26-09-1966 27-09-1966 28-09-1966 29-09-1966	29-09-1966	अनुमति नहीं (ध्वनि मत द्वारा)	
बरकतुल्लाह खान (चौथा सदन)	कांग्रेस 108/184 (58.69%)	श्री मनोहर सिंह (स्वतंत्र)	15-11-1971 16-11-1971	16-11-1971	अनुमति नहीं (ध्वनि मत द्वारा)	42

Springboard Academy

हरिदेव जोशी (5वां सदन)	कांग्रेस 143/184 (77.72%)	गुमान मल लोढ़ा (जनसंघ), प्रो. केदार (समाजवादी पार्टी), मीठा लाल (निर्दलीय), भानु कुमार शास्त्री (जनसंघ), मनोहर सिंह (जनसंघ)	28-08-1974	28-08-1974	आवश्यक समर्थन की कमी के कारण सदन में पेश करने की अनुमति नहीं दी गई।	
भैरों सिंह शेखावत (छठा सदन) (2 संख्या)	जनता पार्टी 116/200 (58.00%)	एम. लक्ष्मण सिंह (जनता पार्टी), परसराम मदेरणा (कांग्रेस), मथुरा दास माथुर (कांग्रेस), नवनीत पालीवाल (जनता पार्टी), शोपत सिंह (सीपीआई), नूरा (भारतीय समाजवादी दल)	25-09-1979 26-09-1979 28-09-1979	28-09-1979	अनुमति नहीं है। हाँ– 00 नहीं–115 तटस्थ–2	63
		गुल मोहम्मद (जनता पार्टी), नवनीत पालीवाल (जनता पार्टी)			प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।	
जगन्नाथ पहाड़िया (सातवाँ सदन)	कांग्रेस-I 134/200 (67.00%)	यदु नाथ सिंह (जनता पार्टी), ललित किशोर चतुर्वेदी (बीजेपी), राजा बहादुर (कांग्रेस-I), मेघराज तवर (सीपीआई), त्रिलोक सिंह (सीपीएम)	03-04-1981	03-04-1981	अनुमति नहीं है (ध्वनि मत द्वारा)	39
हरिदेव जोशी (आठवां सदन)	कांग्रेस-I 115/200 (57.50%)	भैरों सिंह शेखावत (भाजपा), नाथूराम मिर्धा (लोकदल), प्रोफेसर केदार (जनता पार्टी), शोपत सिंह (सीपीआई)	29-07-1985	29-07-1985	अनुमति नहीं है (ध्वनि मत द्वारा)	47

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विधायक–** श्री इंद्रनाथ मोदी
- ✓ **प्रथम अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री–** श्री टीकाराम पालीवाल के खिलाफ प्रथम विधानसभा (1952) में लाया गया।
- ✓ **अंतिम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विधायक–** श्री सोपतसिंह, श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री नाथुराम मिर्धा, प्रोफेसर केदार
- ✓ **अंतिम अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री–** श्री हरिदेव जोशी के खिलाफ 8वीं विधानसभा (1985) में लाया गया।
- ✓ **मुख्यमंत्री जिनके अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या सर्वाधिक–** श्री भैरोंसिंह शेखावत (63 सदस्य)
- ✓ **मुख्यमंत्री जिनके अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या न्यूनतम–** श्री टीकाराम पालीवाल (20 सदस्य)

विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव

अध्यक्ष एवं सदन का नाम	पार्टी सदस्य /कुल (%)	मूवर और पार्टी	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि	परिणाम	बहस में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
नरोत्तम लाल जोशी (प्रथम सदन) दो प्रस्ताव	कांग्रेस 82/160 (51.25%)	जसवंत सिंह (स्वतंत्र)	19-02-1953 20-02-1953 26-02-1953	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया	05
		वेद पाल त्यागी (कांग्रेस)	06-08-1954	आवश्यक सहायता के अभाव में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं	04
निरंजन नाथ आचार्य (चतुर्थ सदन)	कांग्रेस 107/184 (58.15%)	सतीश चंद्र अग्रवाल (जनसंघ)	27-02-1969 12-03-1969	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया	06
गिरिराज प्रसाद तिवारी (आठवा सदन)	कांग्रेस-I 115/200 (57.5%)	माणिक चंद सुराणा (जनता पार्टी), यदु नाथ सिंह (लोकदल)	27-10-1986	प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया	30
शांति लाल चपलोत (दसवां सदन) दो प्रस्ताव	भाजपा 99/200 (49.5%)	जगदीप धनखड़ (कांग्रेस)	16-07-1996	नियम 306 के अंतर्गत नियम 134 के निलंबन की मांग स्वीकार्य नहीं है।	36
		लक्ष्मण सिंह रावत (कांग्रेस), माधव सिंह दीवान (कांग्रेस)	06-03-1997	प्रस्तावक की अनुपस्थिति के कारण पेश नहीं किया जा सका।	05

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें हटाने के लिए दो बार प्रस्ताव लाया गया–** श्री नरोत्तम लाल जोशी(प्रथम विधानसभा), श्री शांतिलाल चपलोत (10वीं विधानसभा)
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार लाया गया–** श्री नरोत्तम लाल जोशी (**प्रथम विधानसभा** : 1953)
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें हटाने का प्रस्ताव अंतिम बार लाया गया**– श्री शांतिलाल चपलोत (**10वीं विधानसभा** : 1997)
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें हटाने के प्रस्ताव की बहस में भाग लेने वाले सदस्यों की सर्वाधिक संख्या**– श्री शांतिलाल चपलोत (36 सदस्य)
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें हटाने के प्रस्ताव की बहस में भाग लेने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या** – श्री नरोत्तम लाल जोशी (4 सदस्य)
- ✓ **प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया** – श्री जसवंत सिंह द्वारा (श्री नरोत्तम लाल जोशी के खिलाफ प्रथम विधानसभा में)
- ✓ **भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्होनें विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया** – श्री जगदीप धनखड़ (श्री शांतिलाल चपलोत के खिलाफ 10वीं विधानसभा में)

निजी विधेयक जो विधानसभा में लाए गए

विधानसभा	निजी विधेयक की संख्या	स्वीकृत विधेयक
पहली	9	2 (सर्वाधिक)
दूसरी	8	1
तीसरी	16 (सर्वाधिक)	—
चौथी	5	—
पांचवीं	4	1
छठी	4	—
सातवीं	5	—
आठवीं	0	—
नवीं	3	—
दसवीं	1	—
ग्यारहवी	1	—
बारहवीं	1	—
तेरहवीं — पंद्रहवीं	0	—
कुल	**57**	**04**

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित

क्र.सं.	विधेयक का नाम	विधेयक की शुरू तारीख	विधेयक की उत्तीर्ण तारीख	अधिनियम नम्बर/बर्ष	विधेयक लाने वाले विधायक
1.	राजस्थान कानूनी चिकित्सकों (संशोधन) विधेयक, 1952	24-04-1952	30-10-1952	02/1953	कपिलदेव अग्रवाल (नीम का थाना)
2.	कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1954	14-09-1954	17-04-1956	17/1956	रामरतन टिक्कीवाल (टोंक)
3.	राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक, 1958	28-11-1958	31-03-1961	-	जनार्दनराय नागर (मावली)
4.	राजस्थान पशु और पक्षी बलिदान (निषेध) विधेयक, 1973	30-03-1973	29-03-1975	21/1975	भीम सेन (लूणकरणसर)

राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश व स्वीकृत विधेयक

(दिनांक 04.09.2014 से 11.12.2024 तक प्रकरणों की स्थिति)

वर्ष	अध्यादेश	विधेयक
2014	2	5
2015	7	40
2016	4	26
2017	3	40
2018	8	39
2019	3	37
2020	8	37
2021	0	20
2022	0	15
2023	1	34
2024	3	6
कुल	**39**	**299**

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **प्रथम अध्यक्ष** – नरोत्तम लाल जोशी
- ✓ **प्रथम महिला अध्यक्ष** – श्रीमती सुमित्रा सिंह (12वीं विधानसभा : 2004 से 2009)
- ✓ **सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष** – श्री रामनिवास मिर्धा
- ✓ **सबसे कम समय तक अध्यक्ष** – श्री समरथलाल मीणा
- ✓ **प्रथम उपाध्यक्ष** – लालसिंह शक्तावत
- ✓ **राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष** – श्रीमती तारा भण्डारी
- ✓ **विधानसभा में प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक** – श्री मथुरादास माथुर
- ✓ **विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में दो कार्यकाल**– श्री महावीर प्रसाद जैन
- ✓ **विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष**– श्री लक्ष्मण सिंह
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जो केन्द्र में मंत्री भी रहे**– श्री रामनिवास मिर्धा, श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, श्री सी.पी. जोशी
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे**– श्री रामकिशोर व्यास, श्री गोपाल सिंह
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे**– श्री निरंजननाथ आचार्य, श्री पूनमचन्द विश्नोई, श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, श्री शांति लाल चपलोत, श्री समरथलाल मीणा
- ✓ **तीन बार प्रोटेम स्पीकर रहे**– श्री पूनमचन्द विश्नोई
- ✓ **राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य चुने गये**– श्री नाथूराम मिर्धा (कांग्रेस)
- ✓ **राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता**– श्री जसवंत सिंह
- ✓ **राजस्थान की पहली महिला सांसद**– श्रीमती शारदा भार्गव (राज्यसभा)
- ✓ **राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्या**– श्रीमती महारानी गायत्री देवी
- ✓ **राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी**– डॉ. नारायण सिंह
- ✓ **राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य**– श्री रामनिवास मिर्धा, श्री जसवंत सिंह (दोनों चार–चार बार)
- ✓ **राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्या**– श्रीमती शारदा भार्गव (तीन बार)
- ✓ **राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्या**– श्रीमती सुशीला बंगारू (जालौर)
- ✓ **राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्या**– श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर)
- ✓ **प्रथम महिला उप–सचिव** – श्रीमती इंदिरा शर्मा

❖ **वर्तमान विधानसभा में पदाधिकारी–**

- **वर्तमान अध्यक्ष –** श्री वासुदेव देवनानी (उत्तरी अजमेर)
- **वर्तमान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर–** श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर)
- **वर्तमान विधानसभा में मुख्य सचेतक –** श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)
- **वर्तमान मंत्रिपरिषद् में महिला मंत्री –** दीया कुमारी (विद्याधर नगर), मंजू बाघमार (जायल)
- **संसदीय कार्यमंत्री** – जोगाराम पटेल (लूनी)

लोकसभा चुनाव 2024 – राजस्थान में लोकसभा चुनाव दो चरणों में सम्पन्न कराये गये।

प्रथम चरण – 19 अप्रैल 2024, **द्वितीय चरण –** 26 अप्रैल 2024

राजस्थान में वर्तमान में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं। (SC – 4) (ST - 3). India → **SC- 84**, **ST- 47**

लोकसभा चुनाव परिणाम में विजयी दल–

भाजपा – 14, कांग्रेस – 8, CPI(M)– **01,** RLP – **01,** BAP - **01**

वोट प्रतिशत – भाजपा – (49.24%), कांग्रेस **(37.91%), CPI (M)– 1.97% , BAP** (भारत आदिवासी पार्टी–बाँसवाड़ा) **– 0.75%, RLP – 1.80%, Others – 7.51%, NOTA – (0.84%)**

लोकसभा चुनाव में विजयी महिला सांसद–संजना जाटव (भरतपुर), मंजू शर्मा (जयपुर), महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमंद)।

- सर्वाधिक मतों से विजयी सांसद – महिमा कुमारी मेवाड़, भाजपा (राजसमंद) 392223 मतों से विजयी।
- सबसे कम मतों से विजयी सांसद – राव राजेंद्र सिंह, भाजपा (जयपुर ग्रामीण) 1615 मतों से विजयी।
- राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का नाम – राजनैतिक आख्यान संग्रहालय (Museum on Political Narratives)
- राजस्थान विधानसभा में वन्दे मातरम् दीर्घा का उद्घाटन वासुदेव देवनानी द्वारा 26 नवम्बर, 2025 को किया गया। (4 × 2.8 feet के 38 पोस्टरों के माध्यम से समझ सकेंगे वन्दे मातरम् का इतिहास।)
- NeVA (One Nation One Application)

राजस्थान विधानसभा की पार्टीवार स्थिति – 03 सितम्बर, 2025 को

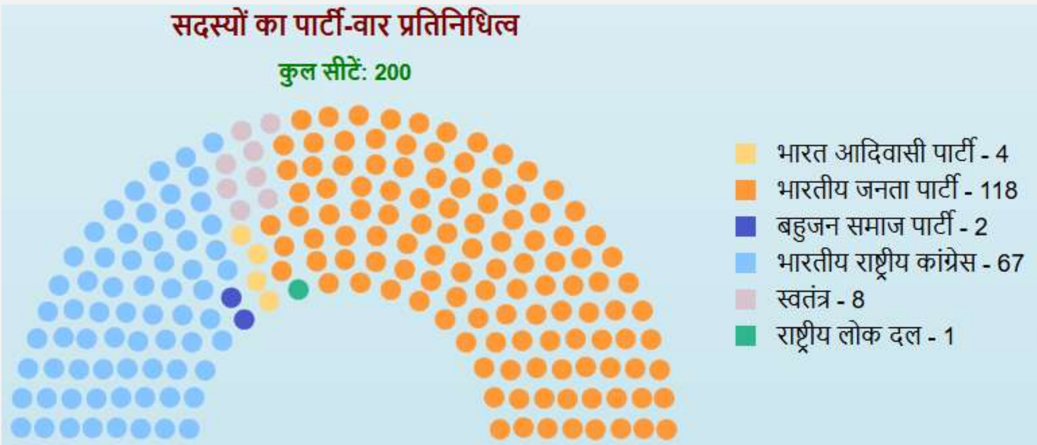

अंता विधानसभा उप–चुनाव (2025)

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बारां जिले के विधानसभा क्षेत्र अंता (क्रमांक 193) में उपचुनाव की घोषणा की गई।
- **उपचुनाव की अधिसूचना :** 13 अक्टूबर, 2025 को जारी।
- **मतदान :** 11 नवम्बर, 2025 (मंगलवार) ।
- **मतगणना :** 14 नवम्बर, 2025 (शुक्रवार) ।
- **विजेता :** प्रमोद जैन भाया (प्राप्त मत 69571 (15612 मतों से विजयी))
- **उप–विजेता :** मोरपाल सुमन (प्राप्त मत 53959)
- **जिला निर्वाचन अधिकारी :** श्री रोहिताश्व सिंह तोमर।
- **कुल पंजीकृत मतदाता (1 अक्टूबर, 2025 तक) :** 2,27,563 [पुरुष : 1,16,405, महिला : 1,11,154, अन्य : 4]

राजस्थान विधानसभा समिति विवरण :

- विधायी समितियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियाँ हैं जिनमें से चार वित्तीय हैं और बाकी विभिन्न अन्य विषयों से संबंधित हैं। वित्तीय समितियाँ हैं – **लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और दो प्राक्कलन समितियाँ। वित्तीय समितियों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और बाकी को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इन सभी समितियों के अध्यक्षों को अध्यक्ष द्वारा इन समितियों के सदस्यों** में से नामित किया जाता है।
- लोक लेखा समिति का मूल कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई विभिन्न अनियमितताओं पर सरकार के सचिवों की जाँच करना है। इसी प्रकार, सार्वजनिक उपक्रम समिति को विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों में जाने की आवश्यकता होती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नियंत्रण में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई विभिन्न अनियमितताओं पर उपक्रमों की जाँच करें।
- दोनों प्राक्कलन समितियों का कार्य यह रिपोर्ट देना है कि किस प्रकार की मितव्ययताएँ की जा सकती हैं और किसी विशेष संगठन में क्या सुधार किए जा सकते हैं। साथ ही, प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियाँ सुझाना और बजट अनुमानों के स्वरूप में भी परिवर्तन करना है।
- उपर्युक्त चार वित्तीय समितियों के अलावा, राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित 18 अन्य स्थायी समितियाँ हैं :

1.	व्यापार सलाहकार समिति	2.	सरकारी आश्वासनों पर समिति
3.	पर्यावरण समिति	4.	नैतिकता समिति
5	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं पर समिति	6.	याचिका समिति
7.	विशेषाधिकार समिति	8.	अधीनस्थ विधान समिति
9.	पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति	10.	अल्पसंख्यक कल्याण समिति
11.	अनुसूचित जाति कल्याण समिति	12.	अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति
13.	महिला एवं बाल कल्याण समिति	14.	सामान्य प्रयोजन समिति
15.	सदन समिति	16.	पुस्तकालय समिति
17.	प्रश्न एवं संदर्भ समिति	18.	नियम समिति/नियम उप समिति

- इन समितियों का गठन सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों से आम तौर पर सदन में उनकी ताकत के अनुपात में किया जाता है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल आम तौर पर एक वर्ष का होता है। सरकारी विधेयकों पर प्रवर समितियों के मामले को छोड़कर कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। जहां तक कार्य मंत्रणा समिति का संबंध है, यह प्रावधान सदन के नेता, जो मुख्यमंत्री होता है, के मामले में लागू नहीं होता है। आम तौर पर, इन समितियों की रिपोर्ट समितियों के अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन अंतर–सत्र अवधि में समिति अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। विशेषाधिकार समिति और कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट के अपवाद के साथ, ये रिपोर्ट आम तौर पर सदन में नहीं उठाई जाती हैं।

विधानसभा समितियाँ (17) : नवम्बर 2025

सामान्य समितियाँ (13) | **वित्तीय समितियाँ (4)**

- **समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।**
  - **विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य बनते हैं तो वह उस समिति के अध्यक्ष होते हैं।**
  - **समितियों का कार्यकाल – एक वर्ष (अपवाद – महिलाएँ एवं बाल विकास समिति – 2 वर्ष)**

नोट : विधानसभा अध्यक्ष समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है।

  - **समितियों के सदस्यों की संख्या : (अधिकतम) – 15 (1 + 14), अपवाद – सदाचार समिति एवं पुस्तकालय समिति – 10 (1 + 9)**
  - **वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष (श्रीवासुदेव देवनानी) 3 समितियों के पदेन अध्यक्ष हैं।**

1. कार्य सलाहकार समिति, 2. नियम समिति, 3. सामान्य उद्देश्य समिति

  - **मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। (अपवाद – कार्य सलाहकार समिति), इसके सदस्य जोगाराम पटेल है।**

वित्तीय समिति			
1.	लोक (जन) लेखा समिति	अध्यक्ष	टीकाराम जूली (नेता प्रतिपक्ष)
2.	प्राक्कलन समिति – क	अध्यक्ष	अर्जुनलाल जीनगर
3.	प्राक्कलन समिति – ख	अध्यक्ष	बाबू सिंह राठौड़
4.	लोक (राजकीय) उपक्रम समिति	अध्यक्ष	कालीचरण सर्राफ
सामान्य समिति			
1.	कार्य सलाहकार समिति	अध्यक्ष	वासुदेव देवनानी
2.	नियम समिति	अध्यक्ष	वासुदेव देवनानी
3.	सामान्य प्रयोजनो संबंधी समिति	अध्यक्ष	वासुदेव देवनानी
4.	अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति	अध्यक्ष	फूलसिंह मीणा
5.	अनुसूचित जाति कल्याण समिति	अध्यक्ष	डॉ. विश्वनाथ मेघवाल
6.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति	अध्यक्ष	दयाराम परमार
7.	प्रश्न व संदर्भ समिति	अध्यक्ष	संदीप शर्मा
8.	पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति	अध्यक्ष	हरिसिंह रावत
9.	पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति	अध्यक्ष	नरेन्द्र बुडानिया
10.	महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति	अध्यक्ष	श्रीमती कल्पना देवी
11.	विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अध्यक्ष	कैसाराम चौधरी
12.	याचिका एवं सदाचार संबंधी समिति	अध्यक्ष	कैलाश चन्द्र वर्मा
13.	आवास (गृह) तथा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति	अध्यक्ष	जितेन्द्र कुमार गौठवाल
प्रवर समिति (इस समिति के अध्यक्ष संबंधित मंत्री होते है।)			
1.	राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 पर गठित प्रवर समिति	अध्यक्ष	डॉ. प्रेमचन्द बैरवा
2.	राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 पर गठित प्रवर समिति	अध्यक्ष	हेमन्त मीणा

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान का सादुलशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है तथा मनोहर थाना क्रमांक 200 पर है।
- राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
- राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद रामराज्य परिषद् को दूसरे स्थान के साथ सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई।
- विधान परिषद् को समाप्त किया जा सकता है।
- पूनम चंद विश्नोई राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे है।
- राज्य विधान परिषद् के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केन्द्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।
- विधान परिषद् की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है।
- भारत के 6 राज्यों में (आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र) द्विसदनीय विधानमण्डल है।
- राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है।
- टीकाराम पालीवाल की 'कामचलाऊ सरकार' (केयरटेकर गवर्नमेन्ट) के विरूद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
- राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलम्बनीय मामलों में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ओर से विधेयक प्रमाणित कर सकता है।
- लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर–कांग्रेसी अध्यक्ष थे।
- छठा विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई।
- विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
- कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधान सभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतय समय नियत करेगी।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व उपाध्यक्ष प्रमाणित करता है।
- 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी।
- राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य–संचालन के नियम पहली बार 1956 में बनाए गए।
- राजस्थान विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर है।
- 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे।
- राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च, 1967 से 26 अप्रैल, 1967 तक लागू रहा।
- राजस्थान विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा है।
- राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के पद की शपथ का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
- 'संसदीय सचिव' मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है।
- राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाये जाने पर वह विधेयक सदन के समक्ष पुनः रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष अधिकृत है।
- राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन जुलाई 2022 में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने किया।
- राजस्थान विधानसभा में अन्तिम बार अविश्वास प्रस्ताव 1985 में प्रस्तुत किया गया।
- यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुँचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा।
- राजस्थान विधानसभा में, यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्त्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो, तो उसकी लिखित सूचना प्रमुख सचिव को देनी होगी।
- राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक निजी सदस्य विधेयक पेश किये गये।
- 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया गया है।
- राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग है। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर सदस्यगण हो सकते है।
- राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव किया है जिसमें विधानपरिषद् की स्थापना की मांग की गई हैं। यदि ससंद के कानून से इसकी स्थापना की जाती है तो उसमें अधिक से अधिक 66 सदस्य हो सकते हैं।

- वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 25 है।
- विधानपरिषद् का सभापति विधानपरिषद् द्वारा चुना जाता है।
- विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है।
- राज्य, विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अन्तराल छह माह है।
- वर्ष 1977 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई।
- अनुच्छेद 178 के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष चयनित होता है।
- सार्वजनिक महत्व के एक मामले के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, राजस्थान विधानसभा का सदस्य अन्तःसत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है।
- न्यूनतम 40 सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।
- राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों को विधानसभाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है।
- राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई।
- राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद् में विश्वास के अभाव प्रकट करने सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तिता विश्वास प्रस्ताव को प्राप्त होगी।
- राजस्थान विधानसभा की सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्वनिर्धारित नहीं है।
- यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी।
- राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति तथा नियम उपसमिति, सामान्य उद्देश्य समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- श्रीगुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे।
- अनुच्छेद 189(3) में राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान है।
- सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
- तारा भण्डारी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) थी।
- इंदिरा शर्मा को राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उप–सचिव बनायी गई।
- राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार, प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या 3 है।
- राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) प्रद्युमन सिंह थे।
- राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम 4 सदस्य मनोनीत किए जा सकते है।
- राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करें एवं उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे।
- राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
- छठी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए।
- राजस्थान विधानसभा की बैठक (विधान भवन) जयपुर में होती है।
- जसवन्त सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे।
- जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटे है।
- राम निवास मिर्धा राजस्थान से अधिकतम चार बार राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए है।
- राजस्थान विधानसभा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 34, 25 आरक्षित है।
- सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बारहवीं विधानसभा में बनी।
- 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व तीन बार भंग की गई है।
- राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय भारत का निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है।
- नवीं विधानसभा का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है।
- राजस्थान विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 हो सकती है।
- भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में दो बार राजस्थान विधान सभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किये बिना सरकार बनायी है।

राजस्थान उच्च न्यायालय

- **राजस्थान उच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया।**
- **प्रथम मुख्य न्यायाधीश के साथ शपथ लेने वाले 11 न्यायमूर्ति एवं उनके गृह जिले–**

नाम	जिला
न्यायमूर्ति नवलकिशोर	जोधपुर
न्यायमूर्ति अमर सिंह जसोल	जोधपुर
न्यायमूर्ति के.एल. बापना(कुंवर लाल बापना)	जयपुर
न्यायमूर्ति इब्राहीम	जयपुर
न्यायमूर्ति जे.एस.राणावत(जवान सिंह राणावत)	उदयपुर
न्यायमूर्ति शार्दुलसिंह मेहता	उदयपुर
न्यायमूर्ति डीएस दवे(दुर्गा शंकर दवे)	बून्दी
न्यायमूर्ति त्रिलोचनदत	बीकानेर
न्यायमूर्ति आनन्द नारायण कोल	अलवर
न्यायमूर्ति के.के. शर्मा	भरतपुर
न्यायमूर्ति क्षेमचन्द गुप्ता	कोटा

नोट : जवान सिंह राणावत एवं डी.एस. दवे कालान्तर में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति के. के. वर्मा	29-08-1949	24-01-1950	--
2.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू	02-01-1951	10-08-1958	• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • विधि आयोग के सदस्य (1955) • उत्तर प्रदेश न्यायिक सुधार समिति के अध्यक्ष • इन्दौर फायरिंग जांच आयोग के एकमात्र सदस्य • धौलपुर उत्तराधिकार मामला आयोग के अध्यक्ष • जयपुर से लोकसभा सदस्य, जयपुर राज्य में मंत्री रहे। • सर्वाधिक कार्यकाल (राजस्थान मुख्य न्यायाधीश) • राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायायल में पदोन्नत हुए।
3.	न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद	28-02-1959	10-10-1961	---
4.	न्यायमूर्ति जे. एस. राणावत	11-10-1961	31-05-1963	---
5.	न्यायमूर्ति डी. एस. दवे	01-06-1963	17-12-1968	---
6.	न्यायमूर्ति डी. एम. भंडारी (दौलत मल भण्डारी)	18-12-1968	15-12-1969	• पहली लोकसभा के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी थे • जयपुर में ''आजाद मोर्चा'' का गठन किया (1942) • जयपुर राज्य में प्रजामण्डल का गठन • जयपुर राज्य के विकास व कृषिमंत्री (1947) • बार कांउसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील • राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व कानून आयोग के अध्यक्ष • कृष्णा–गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के सदस्य • भारतीय विधि संस्थान (नई दिल्ली) के संस्थापक सदस्य • लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष।

7.	न्यायमूर्ति जे. नारायण	16-12-1669	13-02-1973	---
8.	न्यायमूर्ति बी. पी. बेरी	14-02-1973	16-02-1975	---
9.	न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल	17-02-1975	05-11-1975	• भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।
10.	न्यायमूर्ति वी. पी. त्यागी	06-11-1975	27-12-1977	---
11.	न्यायमूर्ति सी. होनैया	27-04-1978	22-09-1978	---
12.	न्यायमूर्ति सी. एम. लोढ़ा (चान्दमल लोढ़ा)	12-03-1979	09-07-1980	• गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (1978)
13.	न्यायमूर्ति के. डी. शर्मा	07-01-1981	22-10-1983	---
14.	न्यायमूर्ति पी. के. बनर्जी	23-10-1983	30-09-1985	---
15.	न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता	12-04-1986	31-07-1986	---
16.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (जगदीश शरण वर्मा)	01-09-1986	22-05-1989	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष • दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामलें के बाद आपराधिक कानून में संशोधन पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट के अध्यक्ष • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश • भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे।
17.	न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल (कृष्ण चन्द्र अग्रवाल)	15-04-1990	07-04-1994	• कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश • इलाहाबाद लॉ जर्नल के संपादक।
18.	न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल	12-04-1994	03-03-1995	---
19.	न्यायमूर्ति ए. पी. रवानी	04-04-1995	10-09-1996	---
20.	न्यायमूर्ति एम. जी. मुखर्जी (मुकुल गोपाल मुखर्जी)	19-09-1996	24-12-1997	• पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
21.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	22-01-1999	14-03-2000	• भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।
22.	डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन (अरुणाचलम आर. लक्ष्मणन)	29-05-2000	25-11-2001	• मद्रास व केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष (2006-2009) (18वाँ विधि आयोग)
23.	न्यायमूर्ति अरूण कुमार	02-12-2001	02-10-2002	• भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।
24.	न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह	24-12-2002	22-10-2004	---
25.	न्यायमूर्ति एस. एन. झा	12-10-2005	15-06-2007	---
26.	न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल	16-09-2007	11-11-2007	---
27.	न्यायमूर्ति नारायण राय	05-01-2008	31-01-2009	---
28.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	06-03-2009	10-05-2009	• कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व स्थायी न्यायाधीश • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश • भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा दिलाया। • क्रिकेट संघ में खेल लोकपाल • अखिल भारतीय टेनिस संघ की तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष (2013) • भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।

29.	न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला	10-8-2009	31-10-2010	• हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बार कांउसिल में वकील रहे • उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष वकील • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • पंजाब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष • DAV कॉलेज लखनऊ के विधि संकाय के मानद प्रमुख
30.	न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा	26-11-2010	13-12-2012	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष (8वें) • कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश • भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।
31.	न्यायमूर्ति अमिताव रॉय	02-01-2013	05-08-2014	• ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • सिनेमाघरों में फिल्म स्क्रीनिंग से पहले भारत का राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया। • उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश
32.	न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी	24-03-2015	21-08-2015	• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन के आजीवन सदस्य • उच्च न्यायालय और राज्य ई–कोर्ट संचालन समिति के अध्यक्ष • उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष
33.	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल	05-03-2016	14-04-2016	---
34.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	14-05-2016	17-02-2017	• छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश • पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश • भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।
35.	न्यायमूर्ति प्रदीप नन्द्राजोग	02-04-2017	06-04-2019	• बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
36.	न्यायमूर्ति श्रीपति रविन्द्र भट्ट	05-05-2019	23-09-2019	• दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।
37.	न्यायमूर्ति इन्द्रजीत महन्ती	06-10-2019	12-10-2021	• त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • बॉम्बे और ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
38.	न्यायमूर्ति अकील कुरेशी	12-10-2021	06-03-2022	• त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • बॉम्बे उच्च न्यायालय व गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
39.	न्यायमूर्ति शंभाजी शिवाजी शिंदे (एस.एस. शिंदे)	21-06-2022	01-08-2022	• बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
40.	न्यायमूर्ति पंकज मिथल	14-10-2022	05-02-2023	• जम्मू–कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

				• उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त • राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) • ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ के अध्यक्ष • भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत।
41.	न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	30-05-2023	09-11-2023	• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे • वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश
42.	न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव	06-02-2024	21-07-2025	• 42वें मुख्य न्यायाधीश • राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके है। • मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश।
43.	न्यायमूर्ति कल्पथी राजेन्द्रन श्रीराम	21-07-2025	27-09-2025	• 43वें मुख्य न्यायाधीश • मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके है। • बाम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके।
44.	न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा	27-09-2025	लगातार	• वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश • वकील कोटे से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। • पटना और पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बने –

क्र.स	नाम	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू	भारत के 10 वें मुख्य न्यायाधीश रहे। स्वतंत्रता सेनानी, यह वकील नहीं थे ICS थे, स्वतंत्रता के पश्चात बनने वाले पहले विधि आयोग के सदस्य थे
2.	न्यायमूर्ति पी.एन. सिंघल	–
3.	न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा	भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। विशाखा गाइडलाइन जारी की। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन किया। • दो बार राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी काम किया।
4.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	कर्नाटक के लोकायुक्त रहे, NHRC के चैयरमेन रहे व सदस्य भी रहे।
5.	न्यायमूर्ति अरुण कुमार	–
6.	न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मणन	–
7.	न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल	–
8.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	–
9.	न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा	सबसे युवा चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला न्यूज लैटर शुरू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के विधि म्यूजियम का उद्घाटन किया।
10.	न्यायमूर्ति अमिताव राय	–
11.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	–
12.	न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट्ट	–
13.	न्यायमूर्ति पंकज मिथल	वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश।
14.	ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे या है –

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	न्यायमूर्ति ए.पी. सैन	2.	न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल
3.	न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल	4.	न्यायमूर्ति ए.के. माथुर
5.	न्यायमूर्ति पी.पी. नाओलेकर	6.	न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी
7.	न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा (सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे)	8.	न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान
9.	न्यायमूर्ति जी.एस. मिश्रा (महिला)	10.	न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे
11.	न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी	12.	न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी
13.	न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (सेवानिवृत)	14.	न्यायमूर्ति संदीप मेहता (वर्तमान)
15.	न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई (वर्तमान)		

भारत में 25 में से 8 उच्च न्यायालय ऐसे हैं, जिनकी एक या एक से अधिक खण्डपीठ (बैंच) है:–

क्र.स.	उच्च न्यायालय	मुख्यपीठ	खण्डपीठ
1	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	गुवाहाटी	कोहिमा, ईटानगर, आइजोल
2	मुम्बई उच्च न्यायालय	मुम्बई	नागपुर, औरंगाबाद, पणजी
3	कर्नाटक उच्च न्यायालय	बेंगलुरु	धारवाड़, गुलबर्ग
4	मद्रास उच्च न्यायालय	मद्रास	मदुरई / मदुरै
5	कलकत्ता उच्च न्यायालय	कलकत्ता	जलपाईगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर
6	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	जबलपुर	ग्वालियर, इंदौर
7	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	इलाहाबाद	लखनऊ
8	राजस्थान उच्च न्यायालय	जोधपुर	जयपुर

वे न्यायाधीश जिन्हें अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया

क्र.सं.	न्यायाधीश	न्यायालय
1.	न्यायमूर्ति सी.एस. लोढा	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
2.	न्यायमूर्ति एम.एल. श्रीमाल	सिक्किम उच्च न्यायालय
3.	न्यायमूर्ति जी.एम. लोढा	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
4.	न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
5.	न्यायमूर्ति मिलाप चन्द जैन	दिल्ली उच्च न्यायालय
6.	न्यायमूर्ति कांता भटनागर	मद्रास उच्च न्यायालय
7.	न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव	सिक्किम उच्च न्यायालय
8.	न्यायमूर्ति ए.के. माथुर	कलकत्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
9.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन (नगेन्द्र कुमार)	मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय
10.	न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी	आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय

11.	न्यायमूर्ति वाई.आर. मीना	गुजरात उच्च न्यायालय
12.	न्यायमूर्ति राजेश बलिया	पटना उच्च न्यायालय
13.	न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा	पटना उच्च न्यायालय
14.	न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद	झारखण्ड उच्च न्यायालय
15.	न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया	झारखण्ड उच्च न्यायालय
16.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन (नरेन्द्र कुमार)	सिक्किम उच्च न्यायालय
17.	न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी	कर्नाटक, मेघालय उच्च न्यायालय
18.	न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी	त्रिपुरा उच्च न्यायालय
19.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
20.	न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान	उत्तराखण्ड व तेलंगाना उच्च न्यायालय
21.	न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक	हिमाचल, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिसा उच्च न्यायालय
22.	न्यायमूर्ति एम.एन. भण्डारी	मद्रास उच्च न्यायालय
23.	न्यायमूर्ति संदीप मेहता	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
24.	न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
25.	न्यायमूर्ति अरुण भंसाली	इलाहाबाद उच्च न्यायालय

मुख्य पीठ जोधपुर/जयपुर पीठ

क्र.सं.	मुख्य पीठ, जोधपुर	जयपुर पीठ
1.	बालोतरा	अजमेर
2.	बांसवाड़ा	अलवर
3.	भीलवाड़ा	बारां
4.	बीकानेर	भरतपुर
5.	चित्तौड़गढ़	बूँदी
6.	चुरू	दौसा
7.	डूँगरपुर	धौलपुर
8.	गंगानगर	जयपुर जिला
9.	हनुमानगढ़	जयपुर मेट्रो प्रथम
10.	जैसलमेर	जयपुर मेट्रो द्वितीय
11.	जालौर	झालावाड़
12.	जोधपुर जिला	झुँझुनूँ
13.	जोधपुर मेट्रोपोलिटन	करौली
14.	मेड़ता	कोटा
15.	पाली	सवाई माधोपुर
16.	प्रतापगढ़	सीकर
17.	राजसमन्द	टोंक
18.	सिरोही	–
19.	उदयपुर	–

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- **राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कालान्तर में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने –** न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा।
- **राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कालान्तर में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने** – न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा।
- **वे मुख्य न्यायाधीश जिन्हें अन्य राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया**– न्यायमूर्ति एम.जी. मुखर्जी (पश्चिम बंगाल), न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला (पंजाब)
- **वे मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया–** न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा
- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल–** जे.एम. पांचाल (प्रथम कार्यवाहक)
- **मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल –** न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू
- **मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल –** न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल
- **ई–फाइलिंग सुविधा –** 31 जुलाई, 2020 से शुरू की गई।
- **राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री रहे–**फारूख हसन
- **प्रथम रजिस्ट्रार जनरल –** माधोप्रसाद गुप्ता
- **सर्वाधिक कार्यकाल वाले रजिस्ट्रार जनरल –** मोहनलाल राजदान
- **वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल –** चंचल मिश्रा (27 जनवरी, 2025 से लगातार)
- **राजस्थान उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश जो कालान्तर में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनी –** न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी।
- **राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीश –** न्यायमूर्ति कुमारी कान्ता भटनागर (प्रथम), न्यायमूर्ति मोहिनी कपूर, न्यायमूर्ति जी.एस. मिश्रा, न्यायमूर्ति मीना वी गोम्बर, न्यायमूर्ति नीशा गुप्ता, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर, न्यायमूर्ति कुमारी निर्मलजीत कोर, न्यायमूर्ति प्रभा शर्मा, न्यायमूर्ति शबीना।
- **वर्तमान में उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश –** न्यायमूर्ति रेखा बोराना, न्यायमूर्ति शुभा मेहता, न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी, न्यायमूर्ति संगीता शर्मा।

लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति जयपुर बैंच	**लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति जोधपुर बैंच**
• **अध्यक्ष :** माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता **सदस्य :** • श्री जस्टिस गणेश राम मीणा • सुश्री प्रियंका पारीक • सुश्री शालिनी श्योराण • श्री रमित पारीक • श्री रवि किरण माथुर • सुश्री अर्चना जैन	• **अध्यक्ष :** माननीय जस्टिस फरजंद अली **सदस्य :** • जस्टिस कुलदीप माथुर • श्रीमती तोशिता मालानी • डॉ. प्रतिष्ठा दवे • सुश्री पिंटू पारेख • श्री महावीर बिश्नोई • श्रीमती ममता कछवाहा
सुगम्यता/अभिगम्यता समिति जयपुर बैंच : सदस्य	**सुगम्यता/अभिगम्यता समिति जोधपुर बैंच : सदस्य**
• श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता • रजिस्ट्रार–सह–सीपीसी • श्री विजय इंडियन सेनु • श्री इशाक • श्री दिलीप उदय • श्री नरेश कुमार गुप्ता • श्री अरुण सिंह	• माननीय जस्टिस रेखा बोराणा • रजिस्ट्रार (क्लासिफिकेशन)–प्रथम • श्री गोविंद सोनी • श्री जय प्रकाश गुचिया • श्री राकेश कुमार • श्री अनिल कुमार शर्मा • श्री राकेश पटेल • सुश्री संतोष ताकर

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर स्थापित करने का निर्णय 21 जून, 1949 को लिया गया।
- राजस्थान उच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 ई. को राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया।
- इसी दिन राजस्थान उच्च न्यायालय के 1 मुख्य न्यायाधीशों एवं 11 अन्य न्यायधीशों ने शपथ ली।
- राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश–1976, इस आदेश के तहत 31 जनवरी, 1977 से जयपुर पीठ ने कार्य करना आरम्भ किया।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श उपरांत करेगा।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रथम रजिस्ट्रार जनरल माधोप्रसाद गुप्ता थे।
- वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल (45th) चंचल मिश्रा (27 जनवरी, 2025 से) है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है।
- राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952; 01 अक्टूबर, 1952 से प्रभावी हुए।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वाँचू ने भारत के राष्ट्रपति की 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश कर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नये वारंट जारी किये थे।
- अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है।
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं है।
- अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है या उच्च न्यायालय में अंतरण कर सकता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अक्षमता या सिद्धकदाचार के आधार पर उन्हें ससंद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्यपाल द्वारा दिलवायी जाती है जहां न्यायालय का मुख्य स्थान है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 50 है।
- संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान (जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1976 के तहत अपना कार्य 31 जनवरी, 1977 से प्रारम्भ किया।
- राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई।
- भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं।
- भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिये जाने वाला न्यायालय शुल्क राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
- भारत के संविधान अनुच्छेद के 366(14) के तहत उच्च न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया।
- उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है।

- राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फारूख हसन राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री के पद पर आसीन रहे है।
- राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर एवं कोटा संभाग आते है।
- उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष पर सेवानिवृत होते है।
- उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ है कि न्यायालय जो भी सभी अभिलेख संरक्षित रखता है साथ ही अवमानना के लिए दण्ड दे सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 (A) के अन्तर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है।
- उच्च न्यायालय की अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति अनुच्छेद 227 में प्राप्त है।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हैं।
- अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों के दायरे में कम हैं।
- उच्च न्यायालय के आयु संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर, प्रश्न का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में स्थित है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कैलाश नाथ वाँचू थे।
- राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधानपीठ के क्षेत्राधिकार में 19 जजशीप है।
- जब कैलाश नाथ वाँचू राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजो की नियुक्ति के नये वारंट जारी किये।

मुख्य सचिव

- **प्रथम नियुक्ति** – 13 अप्रैल, 1949, के. राधाकृष्णन
- **सर्वाधिक कार्यकाल**– श्री भगवंत सिंह मेहता (प्रथम राजस्थानी जो राजस्थान के मुख्य सचिव बने।)
- विपिन्न बिहारी लाल माथुर 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे। श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर, श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर।
- **न्यूनतम कार्यकाल** – आर.डी. थापर (50 दिन), राजीव स्वरूप (122 दिन), निहालचंद गोयल (123 दिन)।
- **प्रथम राजस्थानी व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव बने** – भगत सिंह मेहता
- **अनुसूचित जनजाति से प्रथम मुख्य सचिव**– ओम प्रकाश मीणा
- **अनुसूचित जाति से प्रथम मुख्य सचिव**– निरंजन आर्य
- **प्रथम महिला मुख्य सचिव**– श्रीमती कुशल सिंह (I), उषा शर्मा (II)
- **प्रथम मुस्लिम मुख्य सचिव**– सलाउद्दीन अहमद
- **वर्तमान मुख्य सचिव** – श्री सुधांश पंत (31-12-2023 से लगातार)
- **दो बार बनने वाले मुख्य सचिव**– श्री के. राधाकृष्णन, श्री भगत सिंह मेहता, श्री सी.एस. राजन, श्री मोहन मुखर्जी
- **मुख्य सचिव जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे** – श्री डी.बी. गुप्ता, श्री टी. श्रीनिवासन
- **मुख्य सचिव जो राज्य के एकमात्र एवं प्रथम उप–लोकायुक्त रहे**– श्री के.पी.यू. मेनन
- **मुख्य सचिव जो सचिवालय पुर्नगठन समिति (1969) के अध्यक्ष रहे**– श्री मोहन मुखर्जी
- **मुख्य सचिव जो प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष रहे** – श्री गोपाल कृष्ण भनोत
- **श्री मोहन मुखर्जी की पुस्तक** – 'Non-story of a Chief Secretary During Emergency, Et Cetera'

क्र.सं.	नाम	कब से	कब तक	समकालीन मुख्यमंत्री
1.	श्री के. राधाकृष्णन	13.04.1949	02.05.1950	श्री हीरालाल शास्त्री
2.	श्री वी. नारायणन	02.05.1950	01.09.1950	श्री हीरालाल शास्त्री
3.	श्री के. राधाकृष्णन	01.09.1950	31.01.1951	श्री हीरालाल शास्त्री, श्री सी.एस. वेंकटाचारी
4.	श्री एस डब्ल्यू शिवेश्वरकर	08.02.1951	16.02.1953	श्री सी.एस. वेंकटाचारी, श्री जयनारायण व्यास
5.	श्री बी जी राव	16.02.1953	30.12.1954	श्री जयनारायण व्यास, श्री मोहनलाल सुखाड़िया
6.	श्री कृष्ण पुरी	30.12.1954	12.01.1957	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
7.	श्री के एन सुब्रमण्यम	11.03.1957	06.05.1958	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
8.	श्री भगत सिंह मेहता	09.05.1958	26.09.1964	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
9.	श्री सांवल दान उज्ज्वल	26.09.1964	16.01.1965	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
10.	श्री भगत सिंह मेहता	16.01.1965	29.10.1966	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
11.	श्री के.पी.यू. मेनन	29.10.1966	22.10.1968	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, राष्ट्रपति शासन
12.	श्री आर.डी.माथुर	22.10.1968	16.05.1969	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
13.	श्री जेड एस झाला	17.05.1969	09.08.1971	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री बरकतुल्लाह खान
14.	श्री सुंदर लाल खुराना	09.08.1971	23.06.1975	श्री बरकतुल्लाह खान, श्री हरिदेव जोशी
15.	श्री मोहन मुखर्जी	07.07.1975	01.05.1977	श्री हरिदेव जोशी, राष्ट्रपति शासन
16.	श्री आर. डी. थापर	04.05.1977	22.06.1977	राष्ट्रपति शासन, श्री भैरोंसिंह शेखावत
17.	श्री मोहन मुखर्जी	22.06.1977	31.10.1977	श्री भैरोंसिंह शेखावत

Springboard ACADEMY

18.	श्री गोपाल कृष्ण भनोत	28.11.1977	29.12.1980	श्री भैरोंसिंह शेखावत, राष्ट्रपति शासन, श्री जगन्नाथ पहाड़िया
19.	श्री मदन मोहन कृष्णावली	29.12.1980	20.02.1984	श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री शिवचरण माथुर
20.	श्री आनंद मोहन लाल	21.02.1984	21.07.1985	श्री शिवचरण माथुर, श्री हीरालाल देवपुरा, श्री हरिदेव जोशी
21.	श्री नरेश चंद्र	22.07.1985	09.03.1986	श्री हरिदेव जोशी
22.	श्री विपिन बिहारी लाल माथुर	10.03.1986	31.01.1992	श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर, श्री भैरोंसिंह शेखावत
23.	श्री टी. वी. रमन	31.01.1992	30.08.1993	श्री भैरोंसिंह शेखावत, राष्ट्रपति शासन
24.	श्री गोविंद जी मिश्र	30.08.1993	28.01.1994	श्री भैरोंसिंह शेखावत, राष्ट्रपति शासन
25.	श्री मीठा लाल मेहता	02.02.1994	31.12.1997	श्री भैरोंसिंह शेखावत
26.	श्री अरुण कुमार	31.12.1997	31.12.1999	श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री अशोक गहलोत
27.	श्री इंदरजीत खन्ना	01.01.2000	26.12.2002	श्री अशोक गहलोत
28.	श्री आर.के. नायर	26.12.2002	28.02.2005	श्री अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे
29.	श्री अनिल वैश्य	28.02.2005	30.06.2007	श्रीमती वसुंधरा राजे
30.	श्री डी. सी. सामंत	30.06.2007	27.02.2009	श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री अशोक गहलोत
31.	श्रीमती कुशल सिंह	27.02.2009	31.10.2009	श्री अशोक गहलोत
32.	श्री टी. श्रीनिवासन	31.10.2009	31.08.2010	श्री अशोक गहलोत
33.	श्री सलाउद्दीन अहमद	31.08.2010	29.02.2012	श्री अशोक गहलोत
34.	श्री सी.के. मैथ्यू	29.02.2012	15.10.2013	श्री अशोक गहलोत
35.	श्री सी. एस. राजन	20.10.2013	22.12.2013	श्री अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे
36.	श्री राजीव महर्षि	22.12.2013	28.10.2014	श्रीमती वसुंधरा राजे
37.	श्री सी एस राजन	31.10.2014	30.06.2016	श्रीमती वसुंधरा राजे
38.	श्री ओम प्रकाश मीना	30.06.2016	30.06.2017	श्रीमती वसुंधरा राजे
39.	श्री अशोक जैन	30.06.2017	30.12.2017	श्रीमती वसुंधरा राजे
40.	श्री निहाल चंद गोयल	31.12.2017	30.04.2018	श्रीमती वसुंधरा राजे
41.	श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता	30.04.2018	03.07.2020	श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री अशोक गहलोत
42.	श्री. राजीव स्वरूप	03.07.2020	31.10.2020	श्री अशोक गहलोत
43.	श्री. निरंजन कुमार आर्य	01.11.2020	31.01.2022	श्री अशोक गहलोत
44.	श्रीमती उषा शर्मा	01.02.2022	31.12.2023	श्री अशोक गहलोत, श्री भजन लाल शर्मा
45.	श्री सुधांश पंत	31.12.2023	17.11.2025	श्री भजन लाल शर्मा
46.	श्री वी. श्रीनिवास	17.11.2025	लगातार	श्री भजन लाल शर्मा

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में श्री के. राधाकृष्णन की नियुक्ति 13 अप्रैल, 1949 को हुई।
- भगवन्त सिंह मेहता प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जो राजस्थान के मुख्य सचिव बने।
- राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव होता है।
- वर्ष 2004 में राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डी.सी. सामन्त की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया।
- मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।
- राजस्थान का मुख्य सचिव कैबिनेट के सचिव, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, सचिवों के मुखिया एवं सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है।
- राजस्थान के मुख्य सचिव को 'अवशिष्ट वसीयतदार' कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवण्टित नहीं किये जाते हैं।
- मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का मुख्यमंत्री द्वारा चयन किया जाता है।
- राजस्थान के सबसे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे।
- राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख मुख्य सचिव है।
- मुख्य सचिव राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पदसौपान में सर्वोच्च अधिकारी है।
- सांवलदान उज्ज्वल राजस्थान के मुख्य सचिव एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके है।
- राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव महर्षि जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किये गये।
- मोहन मुखर्जी राजस्थान के मुख्य सचिव ने ''नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी, एट सेट्रा'' पुस्तक लिखी।
- राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर दो महिलाएँ आसीन रह चुकी है।
- श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता राजस्थान के मुख्य सचिव थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसम्बर 2018 में सत्ता में आई।
- मुख्य सचिव सामाजिक लेखा परीक्षण, जवाबदेहिता, पारदर्शिता सोसायटी के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं।
- मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता हैं।
- मुख्य सचिव राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता हैं।
- मुख्य सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है।
- राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
- राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन् 1949 में की गई।
- राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन अध्यादेश, 1949 प्रख्यापित किया गया।
- मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद् का, साथ ही उसकी उप–समिति का भी सचिव होता है।
- राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं।

राजस्थान के महाधिवक्ता

1.	जी.सी. कासलीवाल–कार्यकाल सर्वाधिक रहा। (15 वर्ष) • जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष रहे। • एम.एल.ए रहे।	1957
2.	लक्ष्मीमल सिंघवी (लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहे, हाई– कमीश्नर यू.के में, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित)	1972
3.	एस.के. तिवारी	1977
4.	आर.के. रस्तोगी	1978
5.	एस.के. तिवारी	1980
6.	ए.के. माथुर (कार्यवाहक)	मार्च 1982
7.	एन.एल. जैन	जून 1982
8.	डी.सी. स्वामी	जुलाई 1988
9.	एम.आर. काला	दिसम्बर 1990
10.	बी.पी. अग्रवाल	मार्च 1990
11.	एस. एम. मेहता	दिसम्बर 1992
12.	बी.पी. अग्रवाल	दिसम्बर 1993
13.	एस.एम. मेहता	दिसम्बर 1998
14.	बी.पी. अग्रवाल	दिसम्बर 2003
15.	एन.एम. लोढ़ा	सितम्बर 2008
16.	जी.एस. बाफना	दिसम्बर 2008
17.	एन.एम. लोढ़ा	दिसम्बर 2018
18.	एम.एस. सिंघवी	जनवरी 2019 से नवम्बर 2023
19.	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (वर्तमान महाधिवक्ता)– जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) थे।	03 फरवरी 2024 से लगातार

ध्यान रखने योग्य राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

- अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है।
- अनुच्छेद 177 के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता हैं।
- राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार, राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया।
- जी.सी. कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने।
- राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता अधिकृत है।
- भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंन्त पद धारण करता है।
- महाधिवक्ता के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल –जी.सी. कासलीवाल
- महाधिवक्ता के रूप में तीन कार्यकाल –बी.पी. अग्रवाल।
- महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश विधि एवं विधिक कार्यविभाग द्वारा जारी किये जाते है।
- वर्तमान महाधिवक्ता का मुख्यालय जयपुर है।
- ''महाधिवक्ता और उनके विधि अधिकारी मूलतः राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दायर मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किये जाते हैं तथा सरकार और विधि अधिकारियों के बीच संबंध मुवक्किल और वकील का होता है'' उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय **जोगिंदर सिंह वासू बनाम पंजाब राज्य** (1994) वाद में दिया।
- **यू.पी. राज्य और अन्य बनाम यू.पी. राज्य लॉ ऑफिसर एसोसिएशन और अन्य (1994)** एडवोकेट जनरल और उनका ऑफिस राज्य सरकार के हितों की रक्षा करता है और राज्य सरकार को उसकी पॉलिसी बनाने और उसके फैसलों को लागू करने में बहुत कीमती कानूनी गाइडेंस देता है।

Springboard Academy

पंचायतीराज

पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूती देने के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें 29 कार्य समाहित है जो इन संस्थाओं के क्षेत्राधिकार व शक्ति में वृद्धि करते है। ये विषय है–

1. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन व भू–संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन और नदियों के मध्य भूति विकास।
4. पशुधन, दुग्ध का व्यवस्थाय तथा मुर्गी पालन।
5. मछली उद्योग
6. वन जीवन तथा वनों में कृषि।
7. लघु वन उत्पाद
8. लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है।
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण विकास
11. पेयजल
12. ईंधन व चारा
13. सड़क, पूल, नदी तट, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
14. ग्रामीण विद्युत एवं विद्युत विभाजन।
15. गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोंत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा–प्राथमिक व व्यावसायिक शिक्षा
18. तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय एवं वाचनालय
21. सांस्कृतिक गतिविधियाँ
22. मेले एवं बाजार
23. स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित संस्थाएँ – अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि।
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. समाज कल्याण, विशेषकर मानसिक विमंदित व दिव्यागों का कल्याण शामिल है।
27. समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर SC/ST के कल्याण व समृद्धि के कार्य।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सार्वजनिक सम्पतियों की देखरेख।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

[1994 का अधिनियम संख्यांक 13]

धारा	नाम
अध्याय–1 : प्रारम्भिक	
धारा 1	संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ
धारा 2	परिभाषाएँ
अध्याय–2 : [वार्ड] सभा	
धारा 3	वार्ड सभा और उसकी बैठकें
धारा 4	गणपूर्तिः [वार्ड सभा]
धारा 5	पीठासीन अधिकारी
धारा 6	संकल्प [वार्ड सभा]
धारा 7	वार्ड सभा के कृत्य
धारा 8	सतर्कता समिति [विलोपित]

अध्याय–2क : ग्राम सभा	
धारा 8क	ग्राम सभा और उसकी बैठकें
धारा 8ख	गणपूर्ति
धारा 8ग	पीठासीन अधिकारी
धारा 8घ	संकल्प
धारा 8ङ	ग्राम सभा के कृत्य
अध्याय–3 पंचायतीराज संस्थायें	
धारा 9	पंचायत की स्थापना
धारा 10	पंचायत समिति की स्थापना
धारा 11	जिला परिषद् की स्थापना
धारा 12	पंचायत की संरचना,
धारा 13	पंचायत समिति की संरचना
धारा 14	जिला परिषद् की संरचना
धारा 15	स्थानों का आरक्षण
धारा 16	अध्यक्षों के पदों का आरक्षण
धारा 17	पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन
धारा 18	निर्वाचक और निर्वाचक नामावलिया
धारा 18क	मिथ्या घोषणा करना
धारा 18ख	निर्वाचक नामावलियों को तैयारी आदि से संशक्त पदीय कर्त्तव्यों का भंग
धारा 18ग	मत देने का अधिकार
धारा 19	किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हतायें
धारा 19क	कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता
धारा 19ख	किसी पंचायतराज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध
धारा 20	किसी पंचायतीराज संस्था की एक साथ या दोहरी सदस्यता पर निर्बन्धन
धारा 21	किसी पंचायतीराज संस्था में [अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य] का पद और संसद या किसी राज्य विधान मण्डल आदि की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बन्धन
धारा 22	निर्वाचन अपराध
धारा 22क	यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन
धारा 23	निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन
धारा 24	शपथ या प्रतिज्ञान
धारा 25	कार्यभार का संभलाया जाना
धारा 26	सरपंच और उसका निर्वाचन
धारा 27	किसी पंचायत की स्थापना पर उप–सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया
धारा 28	प्रधान और उप–प्रधान का निर्वाचन
धारा 29	प्रमुख और उप–प्रमुख का निर्वाचन
धारा 30	सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि
धारा 31	सदस्यों के भत्ते आदि
धारा 32	सरपंच और उप–सरपंच की शक्तियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य
धारा 33	प्रधान की शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य
धारा 34	उप–प्रधान की शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य
धारा 34क	धारा 33 और धारा 34 के अधीन की कतिपय शक्तियों का प्रशासन और स्थापन्न समिति के अनुमोदन से प्रयोग किया जाना

धारा 35	प्रमुख और उप–प्रमुख की शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य
धारा 35क	35 के अधीन कतिपय शक्तियों का प्रयोग प्रशासन और स्थापन्न समिति के अनुमोदन से किया जाना
धारा 36	सरपंच, उप–सरपंच, पंच, प्रधान, उप–प्रधान, प्रमुख, उप–प्रमुख और पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्य के त्यागपत्र
धारा 37	अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में अविश्वास का प्रस्ताव
धारा 38	हटाया जाना और निलंबन,
धारा 39	सदस्यता की समाप्ति
धारा 40	निरहंताओं के प्रश्नों का विनिश्चय न्यायाधीश करेगा [विलोपित]
धारा 41	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को रिक्ति[विलोपित]
धारा 42	रिक्तियों का भरा जाना
धारा 43	निर्वाचनों के बारे में विवादों का अवधारण
धारा 44	कारबार का संचालन
धारा 45	पंचायत की बैठकें
धारा 46	पंचायत समिति की बैठकें
धारा 47	जिला परिषद् को बैठक
धारा 48	गणपूर्ति और प्रक्रिया
धारा 49	किसी पंचायतीराज संस्था के किसी कार्य का रिक्ति या अनियमितता द्वारा अविधिमान्य न होता
धारा 50	पंचायत के कृत्य और शक्तियां
धारा 51	पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियां
धारा 52	जिला परिषद् के कृत्य और शक्तियां
धारा 53	किसी पंचायत के कृत्यों का समनुदेशन
धारा 54	पंचायत समिति या जिला परिषद् को कृत्यों का समनुदेश
धारा 55	पंचायत समिति या जिला परिषद् की साधारण शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन
धारा 55क	पंचायत की स्थायी समितियां
धारा 56	पंचायत समिति की स्थायी समितियां
धारा 57	जिला परिषद् की स्थायी समितियां
धारा 58	स्थायी समितियों से अभिलेख मंगाने की शक्तियां[1]
धारा 59	स्थायी समितियों के विनिश्चियों को पुनरीक्षित करने की शक्ति[1]
धारा 60	स्थायी समिति बैठक
धारा 60क	सतर्कता समिति
धारा 61	पंचायतों के आदेशों की अपीलें
धारा 62	शास्ति अधिरोपित करने की पंचायत की शक्ति
धारा 63	सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति
धारा 64	निधियां
धारा 65	कर, जो किसी पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जा सकेंगे
धारा 66	सामुदायिक सेवा के लिये विशेष कर
धारा 67	पंचायत की फीसें प्रभारित करने की शक्ति
धारा 68	पंचायत समिति की कर अधिरोपित करने की शक्ति
धारा 69	जिला परिषद् की कर और फीसें अधिरोपित करने की शक्ति
धारा 70	कर और फीसों का भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होना

धारा 71	निर्धारण की अपील
धारा 72	उद्गृहण को निलम्बित करने की शक्ति
धारा 73	राज्य सरकार की आमदनी बढ़ोतरी करने की अपेक्षा करने की शक्ति
धारा 74	वार्षिक बजट
धारा 75	लेखे और संपरीक्षा
धारा 76	उधार और निक्षेप निधियां
धारा 77	उधार मंजूर करने की शक्तियां
धारा 78	सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति
धारा 79	विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी
धारा 80	पंचायत समिति का कर्मचारिवृन्द
धारा 81	विकास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य
धारा 81क	खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की शक्तियां और कृत्य
धारा 82	मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकरी
धारा 83	जिला परिषद् का कर्मचारीवृन्द
धारा 84	मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य
धारा 85	विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियाँ
धारा 86	सरकारी अधिकारियों की शक्ति
धारा 87	पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा पंचायतों के माध्यम से कार्यों और कार्यक्रमों का निष्पादन
धारा 88	अभिलेखों की अध्यपेक्षा करने का अधिकार
धारा 89	राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा का गठन
धारा 90	जिला स्थापन्न समिति का गठन और कृत्य
धारा 91	पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ और उन पर अधिरोपित दण्ड
धारा 91क	जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी की अनुशासनिक शक्तिया
अध्याय–4 : राज्य सरकार आदि की शक्तियाँ	
धारा 92	किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलम्बित करने की शक्ति
धारा 93	पंचायती राज संस्था के व्यतिक्रम करने पर कर्त्तव्यों के पालन की व्यवस्था करने की शक्ति
धारा 94	किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की सरकार की शक्ति
धारा 95	विघटन के परिणाम
धारा 95क	प्रशासकों के बारे में अन्तःकालीन उपबंध
धारा 96	अधिशेष निधियों को विनिहित करने की शक्ति
धारा 97	राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति
धारा 97क	अपीलें
धारा 98	शक्तियों का प्रत्यायोजन
धारा 99	सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति
धारा 100	राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण और जाँच

धारा 101	किसी पंचायतीराज संस्था की सीमाओं में परिवर्तन
धारा 102	नियम बनाने की शक्ति
धारा 103	जिला परिषद् की उप–विधियाँ बनाने की शक्ति
धारा 104	पंचायतों की उप–विधियाँ विचरित करने की शक्ति
धारा 105	पंचायत समिति और जिला परिषद् की उप–विधियाँ बनाने की शक्ति
धारा 106	नियमों और उप–विधियों का अतिलंघन
अध्याय–4क : किसी गाँव के आबादी क्षेत्र का विनियमन	
धारा 107	विवाद
धारा 107क	भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बन्धन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति
धारा 107ख	भू–खण्डों के उप–विभाजन या पुनर्गठन के लिए अनुज्ञा चाहने हेतु बाध्यता
धारा 107ग	कतिपय भूमियों के पट्टे की मंजूरी
धारा 107घ	कतिपय भूमियों का व्ययन
धारा 107ङ	आबंटन, विक्रय या अन्य अन्तरण का किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए होना
धारा 107च	आबादी भूमि के अभिलेख का पंचायत द्वारा तैयार किया जाना और संधारित किया जाना
धारा 107छ	इस अध्याय का अध्यारोही प्रभाव होना
धारा 107ज	व्यावृत्ति
अध्याय–5 : प्रकीर्ण	
धारा 108	सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे
धारा 109	पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के विरुद्ध वाद आदि
धारा 110	अपराधों के और पंचायतों को सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
धारा 111	पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का दायित्व
धारा 112	विधिक प्रतिनिधित्व का वर्जन
धारा 113	नोटिस की विधिमान्यता
धारा 114	पंचायतों द्वारा प्रवेश और निरीक्षण
धारा 115	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् स्थानों का अवधारण
धारा 116	साधारण निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये यानों इत्यादि की अध्यापेक्षा
धारा 117	कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जन
धारा 117क	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित
धारा 118	वित्त आयोग
धारा 119	राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारीवृन्द
धारा 119क	स्थानीय प्राधिकारियों आदि के लिए कर्मचारीवृंद का उपलब्ध किया जाना
धारा 119ख	अधिकारियों और कर्मचारिवृंद का राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना
धारा 119ग	कर्मचारिवृन्द्य के लिये शास्ति
धारा 120	निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन
धारा 121	जिला आयोजन के लिये समिति
धारा 122	वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
धारा 123	कठिनाईयों का निराकरण
धारा 124	निरसन और व्याववृत्तियाँ

अनुसूची

प्रथम अनुसूची : पंचायतों के कृत्य और शक्तियाँ (धारा 50)

1. साधारण कृत्य :
2. प्रशासन के क्षेत्र में:
3. कृषि विस्तार सहित कृषि
4. पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन और चारा
7. लघु सिंचाई
8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
9. ग्रामीण आवासन
10. पेयजल
11. सड़कें, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन
12. ग्रामीण विद्युतीकरण
13. गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत
14. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम –
15. शिक्षा (प्राथमिक)
16. प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा
17. पुस्तकालय
18. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
19. बाजार और मेले
20. ग्रामीण स्वच्छता
21. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
22. महिला और बाल विकास
23. विकलांगों और मंदबुद्धि बालकों के कल्याण सहित समाज कल्याण
24. कमजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
25. लोक वितरण व्यवस्था
26. सामुदायिक अस्तियों का रख–रखाव
27. धर्मशाआलों और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निर्माण और रख–रखाव।
28. पशु शेडों, पोखरों और गाड़ी स्टेण्डों का सन्निर्माण और रख–रखाव।
29. बूचड़खानों का सन्निर्माण और रख–रखाव।
30. लोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रख–रखाव।
31. लोक स्थानों में खाद के गड्डों का विनियमन ।
32. शराब की दुकानों का विनियमन।
33. पंचायतों की सामान्य शक्तियाँ।

द्वितीय अनुसूची : पंचायतों समितियों के कृत्य और शक्तियाँ (धारा 51)

1. साधारण कृत्य
2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुये कृषि
3. भूमि सुधार और मृदा संरक्षण
4. लघु सिंचाई, जल–प्रबन्ध और जल–विभाजक विकास
5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
6. पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन
7. मत्स्य पालन
8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
9. ग्रामीण आवासन
10. पेयजल

11. सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारा
12. सड़कें, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन
13. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत
14. प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा
15. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा
16. प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा
17. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
18. बाजार और मेले
19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
20. महिला और बल विकास
21. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण
22. कमजोर वर्गों और विशिष्टतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों का कल्याण
23. सामुदायिक आस्तियों का रख–रखाव
24. सांख्यिकी
25. आपात सहायता
26. सहकारिता
27. पुस्तकालय
28. पंचायतों का उनके सभी क्रियाकलापों और गाँव और पंचायत योजनाओं के निर्माण में पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन।
29. प्रकीर्ण
30. पंचायत समितियों की साधारण शक्तियाँ

तृतीय अनुसूची : जिला परिषदों के कृत्य और शक्तियाँ (धारा 52)

1. साधारण कृत्य
2. कृषि
3. लघु सिंचाई, भू–जल स्रोत और जल–विभाजक विकास
4. बागवानी
5. सांख्यिकी
6. ग्रामीण विद्युतीकरण
7. मृदा संरक्षण
8. सामाजिक वानिकी
9. पशुपालन और डेयरी
10. मत्स्य पालन
11. घरेलू और कुटीर उद्योग
12. ग्रामीण सड़कें और भवन
13. स्वास्थ्य और स्वास्थिकी
14. ग्रामीण आवासन
15. शिक्षा
16. समाज कल्याण और कमजोर वर्गों का कल्याण
17. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
18. समाज सुधार क्रियाकलाप
19. जिला परिषदों की साधारण शक्तियाँ

राजस्थान पेसा नियम 2011

- 2 नवम्बर, 2011 को लागू
- इस समय **मुख्यमंत्री** श्री अशोक गहलोत एवं **राज्यपाल** श्री शिवराज पाटिल थे।
- इसमें 8 अध्याय एवं 33 धाराएँ है–

अध्याय–1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्ररम्भ
2. निर्वचन

अध्याय–2 ग्राम सभा

3. संरचना
4. ग्राम सभा का सचिव
5. ग्राम सभा की बैठकें
6. गणपूर्ति
7. पीठासीन अधिकारी
8. ग्राम सभा की बैठक की तारीख और समय
9. ग्राम सभा की विशेष बैठक
10. ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकें

अध्याय–3 शान्ति, सुरक्षा और विवाद सुलझाना

11. शान्ति बनाये रखने और विवाद सुलझाने में ग्राम सभा की भूमिका
12. शान्ति समिति
13. अन्धविश्वास और भूतसिद्धि इत्यादि से संबंधित मामले
14. विवाद सुलझाने की प्रक्रिया
15. विवाद सुलझाने के संबंध में ग्राम सभा के विनिश्चय से असन्तुष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई
16. पुलिस की भूमिका

अध्याय–4 सामुदायिक स्त्रोतो का प्रबन्धन

17. ग्राम सभा का सामुदायिक स्त्रोतों की सुरक्षा करना

अध्याय–5 भूमि का अधिग्रहण, भूमि के अन्यसंक्रामण को रोकने की शक्ति, उधार पर धन देने पर नियंत्रण

18. ग्राम सभा के साथ परामर्श
19. भूमि अन्यसंक्रामण रोकना
20. बेदखली की शक्तियां
21. उधार पर धन देने पर नियन्त्रण
22. सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत की शक्तियां
23. रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत समिति की शक्तियाँ
24. महारजिस्ट्रार के रूप में आयुक्त जनजाति क्षेत्र विकास की शक्तियाँ

अध्याय–6 गौण वन उपज

25. गौण वन उपज
26. गौण वन उपज का संग्रहण और विपणन

अध्याय–7 गौण खनिजों पर नियंत्रण

27. सिफारिश करने का प्राधिकार
28. सिफारिश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

अध्याय–8 मत्तता नियंत्रण

29. किसी मत्तता के विक्रय और उपभोग को विनियमित करना
30. महिलाओं के विचारों का निर्णायक होना
31. जुर्माना और शास्तियां
32. कठिनाईयों का निराकरण
33. निरसन और व्यावृत्तियां

नोट : भारत में PESA अधिनियम, निम्न राज्यों में लागू है (तेलंगाना, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र)

नगरीय निकाय

शहरी निकायों के कार्यों एवं शक्तियों

शहरी निकायों के कार्यों एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12वी अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए है, जो निम्न है–

(i) नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी है।

(ii) भू–उपयोग नियमन व भवन निर्माण।

(iii) आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएँ।

(iv) सड़के एवं पूल।

(v) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु जल प्रबन्धन।

(vi) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबन्धन।

(vii) अग्निशमन सेवाएँ।

(viii) नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन।

(ix) समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों का संरक्षण।

(x) गन्दी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम।

(xi) शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम।

(xii) नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।

(xiii) सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विस्तार।

(xiv) श्मशान, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह गृहों का प्रबन्धन।

(xv) कॉजी गृहों का प्रबन्धन।

(xvi) जन्म मृत्यु पंजीयन।

(xvii) रोड लाइट, पार्किंग बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधा का विस्तार।

(xviii) वैधशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन।

पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना

- **कब** : 21 नवंबर, 2025 को राजस्थान के 41 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं नवीन पंचायतों के गठन की अधिसूचना।

नई पंचायतें	• 3,400 से अधिक नई पंचायतें जुड़ी। • अब कुल संख्या 11,194 से बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है।
पंचायत समितियाँ	• 33 जिलों में 85 नई समितियाँ बनीं। • कुल संख्या बढ़कर लगभग 450 हो गई है।
जिला परिषद	• संख्या 33 से बढ़कर 41 हो गई है।

- **सर्वाधिक / न्यूनतम** : सर्वाधिक 270 नई पंचायतें बाड़मेर में तथा सबसे कम झालावाड़ (19) में बनी।
- **नगर पंचायत समिति (डीग)** : वर्तमान में ब्रज नगर
- **सम पंचायत समिति (जैसलमेर)** : वर्तमान में खुहड़ी
- **समाप्त समितियाँ** : सीकरी (डीग) और भनोखर (अलवर)
- **अपवाद** : 8 जिलों (झालावाड़, भरतपुर, डीग, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली) में कोई नई पंचायत समिति नहीं बनी।

विधिक अधिकार : राजस्थान सरकार द्वारा पारित अधिनियम

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग [अधिसूचना : 5 अक्टूबर, 2011]

- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 **(2011 का अधिनियम संख्यांक 23)** की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित सेवाओं, जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे व उन सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करती है, **अर्थात्** :
- राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई।
- यह अधिनियम 14 नवम्बर, 2011 से प्रभावशील
- इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं राज्यपाल श्री शिवराज पाटिल थे।
- भारत के गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियम पारित।
- **अधिनियम से संबंधित धाराएं :**

धारा	प्रावधान
1	सक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ
2	**परिभाषाए :** (क) ''पदाभिहीत अधिकारी'' से, धारा 3 के अधीन कोई सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है; (ख) ''पात्र व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है; (ग) ''प्रथम अपील अधिकारी'' से ऐसा अधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है; (ङ) ''लोक प्राधिकारी'' (च) ''सेवा का अधिकार'' से, नियत, समय–सीमा के भीतर–भीतर धारा 4 के अधीन कोई सेवा प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है; (छ) ''द्वितीय अपील अधिकारी'' (ज) ''सेवा'' से, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही कोई सेवा, जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है; (ट) ''आयोग'' से धारा 8-क के अधीन गठित लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी आयोग अभिप्रेत है। (16-09-2013 को जोड़ा गया।)
3	सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी और नियत समय–सीमा की अधिसूचना
4	नियत समय–सीमा के भीतर–भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार
5	नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान कराना
6	**अपील** (1) धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन आवेदन के नामंजूर होने या नियत समय–सीमा की समाप्ति होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा। परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा। (2) प्रथम अपील अधिकारी उस पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को नामंजूर कर सकेगा। (3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से साठ दिवस के भीतर–भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकेगी : परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, साठ दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा (पर्याप्त कारण से प्रविरत रहने पर)। (4) क द्वितीय अपील प्राधिकारी, ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, उस पदाभिहित अधिकारी को सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को नामंजूर कर सकेगा। ख. द्वितीय अपील प्राधिकारी, सेवा प्रदान करने के आदेश के साथ–साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

	(6) इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होती है, अर्थात् (क) दस्तावेजों के पेश किए जाने और निरीक्षण की अपेक्षा करना; (ख) पदाभिहित अधिकारी और अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना ; और (ग) ऐसा कोई भी अन्य विषय, जो विहित किया जाये।
7	**शास्ति** (1) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी के अनुसार पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो वह ऐसी एकमुश्त राशि की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम और 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी; (ख) पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विलम्ब करने पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। (ग) खण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति पदाभिहित अधिकारी के वेतन से वसूलीय होगी। (2) जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, नियत समय–सीमा के भीतर–भीतर किसी अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम और 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जायेगा। (3) द्वितीय अपील प्राधिकारी यह आदेश भी दे सकेगा कि उप–धारा (1) या (2) या, यथास्थिति, दोनों के अधीन अधिरोपित शास्ति में से ऐसी रकम, जो इस प्रकार अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में दी जाये। (4) द्वितीय अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी पर्याप्त और युक्ति युक्त कारण बतलाये बिना, इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्त्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।
8	**पुनरीक्षण** द्वितीय अपील प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, आदेश की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर आयोग को, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा। (आयोग आवेदन की उक्त कालावधि समाप्ति के पश्चात आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदन पर्याप्त कारण से प्रस्तुत नहीं किया गया हो।)
8(क)	**आयोग का गठन** (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक आयोग का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन जो प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा। (2) आयोग एक मुख्य आयुक्त और इतने आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार द्वारा सूचित किये जाये। (3) मुख्य आयुक्त और आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेगे।
8(ख)	**मुख्य आयुक्त और आयुक्त की पदावधि और सेवा की शर्ते** (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त उस तारीख से जिसको वे पद ग्रहण करते है 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले जो भी पहले हो पद धारण करेगे। (2) वह व्यक्ति आयोग के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा यदि वह राज्य सरकार के मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी है या रहा है। (3) आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति अर्हित होगा जो निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करता है– (क) वह राज्य सरकार का कोई अधिकारी है या रहा है, और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव की रैंक धारण करता है या धारण की है, या (ख) वह कम से कम दस वर्ष की कालावधि से जिला न्यायाधीश है या ऐसी अवधि तक जिला न्यायाधीश रह चुका है, या (ग) वह लोकसेवा के क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति है या रहा है और उसने उन क्षेत्रों में कम से कम पंद्रह वर्ष की कालावधि तक कार्य किया है। (4) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित नोटिस द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

	(5) मुख्य आयुक्त और आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें। परन्तु मुख्य आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात न तो उनके वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के निबंधनों और शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन किये जायेंगे।
8 (ग)	**मुख्य आयुक्त या आयुक्त का पद से हटाया जाना** (1) मुख्य आयुक्त या आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ; या (ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कृर्त्तव्यों के अतिरिक्ता, किसी–भी संदत नियोजन में लगता है; या (ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या (ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दण्डादेश हो जाता है और राज्यपाल की राय में नैतिक अद्यमता से अन्तर्वलित है। (2) उप–धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग के मुख्य आयुक्त या आयुक्त को, साबित किये गये कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसके पद से, राज्यपाल के आदेश द्वारा केवल तब ही हटाया जायेगा जब राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश किये जाने पर, उच्च न्यायालय ने इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी जांच पर रिपोर्ट दी हो कि ऐसे किसी आधार पर मुख्य आयुक्त या आयुक्त को उसके पद से हटाया जाना चाहिए।
8(घ)	आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द
8 (ङ)	**आयोग के कृत्य :** आयोग, निम्नलिखित कृत्यों में से समस्त या इनमें से किसी भी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात् (क) अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना; (ख) अधिनियम के कार्यान्वयन में समस्याओं की पहचान करना और इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव देना; (ग) इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्धारण के लिए समय–समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन कराना; (घ) इस अधिनियम के क्रियान्वयन के मुद्दों पर आयोग को जानकरी उपलब्ध कराने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक स्वयंसेवकों से सम्पर्क रखाना। (ङ) लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए अधिनियम के उपबंधों का व्याापक प्रचार करने के लिए, और इस अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी परिवादों की जांच करने के लिए कदम उठाना ; (च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य, खण्ड और जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठके करना; (छ) ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करना जिनके विरूद्ध प्रारंभिक जांच के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन न किये जाने के परिवाद सही पाये जायें। (ज) राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये गये कोई भी अन्य कृत्य।
8 (च)	**हाजिर कराने और दस्तावेज पेश कराने की आयोग की शक्तियाँ** (1) आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 को केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात्– (क) किसी ऐसे व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। (ख) ऐसे दस्तावेज या अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में उपयोगी हो, का प्रकटीकरण करने और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना (घ) किसी भी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना (च) अपने विनिश्चय, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना (छ) कोई भी अन्य मामला जो विहित किया जाये।
8(छ)	**आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट** (1) आयोग, राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसा कोई अत्यावश्यकता विषय या महत्व का है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण तक आस्थगित नहीं रखा जाना चाहिए, किसी भी समय विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। (2) राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखवायेगी।
9	सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण
10	**नियम बनाने की शक्ति** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
11	**कठिनाइयों का निराकरण**

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम, 2011

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्या 23) की धारा 10 की उप–धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

नियम	नाम
1	सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (ये नियम 14 नवम्बर, 2011 से प्रवृत है।)
2	परिभाषाए
3	आवेदन प्राप्त करने के लिए पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राधिकार
4	आवेदक को अभिस्वीकृति जारी करना
5	सेवा उपलब्ध कराने में प्रत्याख्यान या विलम्ब
6	नियत समय सीमा की संगणना–लोक अवकाश दिन की गणना नहीं की जायेगी।
7	नोटिस बोर्ड पर जानकारी का प्रदर्शन
8	फीस की छूट
9	प्रथम अपील या द्वितीय अपील और पुनरीक्षण आवेदन के मेमो की विषय–वस्तु
10	प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
11	प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण का विनिश्चय करने की प्रक्रिया
12	**सुनवाई के नोटिस की तामील–**प्रथम अपील, द्वितीय अपील या, यथास्थिति, पुनरीक्षण की सुनवाई का नोटिस निम्नलिखित किसी भी रीति से तामील किया जायेगा– (i) पक्षकार या स्वयं व्यक्ति द्वारा; (ii) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से; (iii) सम्यक् अभिस्वीकृति के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा; या (iv) सम्बन्धित विभाग के माध्यम से।
13	स्वीय उपसंजाति (1) प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण में, अपीलार्थी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण के आवेदक को सुनवाई की तारीख से, सुनवाई की ऐसी तारीख से कम से कम 7 दिन पहले, सूचित किया जायेगा।
14	किसी अपील या पुनरीक्षण में आदेश
15	**शास्ति की वसूली** (1) नियम 14 के उप–नियम (4) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के आदेश की प्राप्ति पर आहरण और संवितरण अधिकारी पदाभिहित अधिकारी या, यथास्थिति, अपील अधिकारी के आगामी वेतन से शास्ति की रकम वसूल करेगा और उसे सरकारी खाते में जमा करवायेगा और चालान की एक प्रति संबंधित द्वितीय अपील प्राधिकारी को भेजेगा। (2) यदि पुनरीक्षण में, द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश पुनरीक्षित या उपान्तरित किया जाता है तो ऐसे आदेश की प्रति अनुपालन के लिए संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी और कोषाधिकारी को भेजी जायेगी।
16	प्रतिकर का संदाय
17	अभिलेख रखना
18	कार्यान्वयन की मानीटरी
19	राज्य सरकार द्वारा निदेश
20	प्रसार और प्रशिक्षण

प्ररूप	प्रारूप का नाम
1	अभिस्वीकृति का प्रारूप
2	नोटिस बोर्ड का प्रारूप
3	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
4	प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
5	द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
6	पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम 2011 की अधिसूचित सेवाएँ

क्र. सं.	विभाग	विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा		सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
		क्र. सं.	सेवा का विवरण					
1.	राजस्व एवं उप–निवेश विभाग	1.	लैण्ड रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाना					
		(1)	जमाबन्दी चौसाला (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	नायब तहसीलदार/तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
			(ii) तहसील स्तर पर	3 दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर/आयुक्त उपनिवेशन
		(2)	खसरा चौसाला (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	नायब तहसीलदार/तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
			(ii) तहसील स्तर पर	3 दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर/आयुक्त उपनिवेशन
		(3)	नक्शा ट्रेस (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	नायब तहसीलदार/तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
			(ii) तहसील स्तर पर	3 दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर/आयुक्त उपनिवेशन
		(4)	खसरा परिवर्तनशील (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	नायब तहसीलदार/तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
			(ii) तहसील स्तर पर	3 दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर/आयुक्त उपनिवेशन
		(5)	नामान्तरकरण (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
			(ii) तहसील स्तर पर	3 दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर/आयुक्त उपनिवेशन
		(6)	ढाल–बांछ/जमाबंदी परिवर्तनशील (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
			(ii) तहसील स्तर पर	3 दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर/आयुक्त उपनिवेशन
		(7)	दैनिक डायरी (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
		(8)	अर्ज ईरसाल (रसीद) (i) पटवारी स्तर पर	3 दिन	पटवारी	---	तहसीलदार	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन
			(ii) तहसील स्तर पर	3 दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर/आयुक्त उपनिवेशन
		(9)	राजस्व न्यायालयों के निर्णय/आदेशों की नकल	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 3 दिन	पीठासीन अधिकारी	---	पीठासीन अधिकारी का प्रथम अपीलीय अधिकारी	पीठासीन अधिकारी का द्वितीय अपीलीय अधिकारी

		(10)	**जिला कलक्टर कार्यालय स्तर पर जारी होने वाली लैण्ड रिकॉर्ड की नकलें**	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 3 दिन के अन्दर	प्रभारी, भू–अभिलेख शाखा	सदर कानूनगो/भू. अ. निरीक्षक, रिकॉर्ड	अतिरिक्त जिला कलक्टर	जिला कलक्टर
		(11)	**भू–प्रबन्ध रेकार्ड की प्रतियाः– (i) खसरा**	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(ii) खतौनी बन्दोबस्त	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(iii) नक्शा चाहत नया सर्वे	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(iv) नक्शा चाहत वक्त सफाई	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(v) नक्शा तालाब नाडा	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(vi) सूची लगान (डिमाण्ड स्लिप)	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(vii) पर्चा खतौनी तस्दीक	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(viii) पर्चा लगान	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(ix) सूची फलदार वृक्ष	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(x) सूची सीमा चिन्ह	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(xi) खसरा परिशोधन	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान

			(xii) दस्तूर गंवाई	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम / रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर) / अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(xiii) ग्राम विवरण पत्र	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम / रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर) / अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(xiv) फर्द मिलान क्षेत्रफल	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम / रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर) / अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(xv) ग्राम की दर (भूमि वर्गानुसार)	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम / रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर) / अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(xvi) नक्शा शीट	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम / रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर) / अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
			(xvii) नक्शे की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम / रिकॉर्ड कीपर	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर) / अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	आयुक्त भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान
		2.	**समयबद्ध कृषि भूमि नामान्तरकरण (i) पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में नामान्तरकरण का निर्णय**	47 दिवस	सरपंच	पटवारी / ILR / ग्राम सेवक	उपखण्ड अधिकारी	अतिरिक्त जिला कलक्टर (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)
			(ii) तहसीलदार / नायब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय	47 दिवस	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	पटवारी / ILR	SDO / सहायक आयुक्त उपनिवेशन	अतिरिक्त जिला कलक्टर (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत) / अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
			विशेष विवरण : पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने की अवधि 7 दिवस, भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच अवधि 10 दिवस तथा पंचायत / तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण का निर्णय करने की अवधि 30 दिवस होगी।					
		3.	**गैर–खातेदारी से खातेदारी सेवाएं (i) गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार**	15 दिवस	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	आफिस कानूनगो / पटवारी / ILR	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर
			(ii) उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी सनद	15 दिवस	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	आफिस कानूनगो / पटवारी / ILR	उपायुक्त उपनिवेशन	आयुक्त उपनिवेशन
			(iii) सह खातेदारों की सहमति से जोत विभाजन	22 दिवस	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	आफिस कानूनगो / पटवारी / ILR	उपखण्ड अधिकारी / सहायक आयुक्त उपनिवेशन	जिला कलक्टर / अतिरिक्त आयुक्त कम RAA उपनिवेशन
		4.	**कनवरशन सेवाएं (भूमि रूपान्तरण) (i) तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में**	30 दिवस	तहसीलदार	ऑफिस कानूनगो	SDO/सहायक आयुक्त उपनिवेशन	जिला कलक्टर / उपायुक्त उपनिवेशन

			(ii) उपखण्ड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में	30 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	संबंधित लिपिक	जिला कलक्टर	संभागीय आयुक्त
			(iii) जिला कलक्टर के अधिकार क्षेत्र में	30 दिवस	जिला कलक्टर	अतिरिक्त जिला कलक्टर	संभागीय आयुक्त	प्रमुख शासन सचिव राजस्व / शासन सचिव राजस्व
		5.	**जाति प्रमाण पत्र**	5 दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	ILR/ पटवारी / संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर
		6.	**मूल निवास प्रमाण पत्र**	5 दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	ILR/ पटवारी / संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर
		7.	**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र**	5 दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	ILR/ पटवारी / संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर
		8.	**हैसियत प्रमाण पत्र**	5 दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	ILR/ पटवारी / संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर
2.	**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**	**1.**	**हैण्डपम्प ठीक करवाना**	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
		2.	**नये जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना**	पानी उपलब्ध होने की स्थिति में 7 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
		3.	**पानी के बिल को ठीक करवाना** (Correction of Bills)	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
		4.	**पानी के मीटर बदलवाना**	7 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
3.	**जल संसाधन विभाग**	**1.**	**पेंशन संबंधी प्रकरण**	सेवा पुस्तिका पूर्ण एवं पेंशन कुलक प्रस्तुत करने के एक माह में	संबंधित वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी	वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी (वरिष्ठ लेखाधिकारी तक)	वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी के नियन्त्रण अधिकारी	वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी के नियंत्रण अधिकारी के नियंत्रण अधिकारी अथवा प्रशासनिक विभाग के सचिव (जो भी लगू हो)
		2.	**अरनेस्ट मनी**	निविदा का निर्णय होने के बाद असफल निविदाताओं को 15 दिवस में	संबंधित अधीक्षण अभियंता	तकनीकी सहायक या जिनको अधिशाषी अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है	---	---
4.	**सार्वजनिक निर्माण विभाग**	**1.**	**आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी)**	असफल निविदा दाताओं की धरोहर राशि का प्रतिदाय सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा के स्वीकार करने के लिए 15 दिवस में किया जावेगा	**(i) अधिशाषी अभियन्ता**	खण्डीय लेखाकार	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	शासन सचिव, सा. नि.वि.
					(ii) अधीक्षण अभियन्ता	सहायक लेखाधिकारी	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव	शासन सचिव, सा. नि.वि.
					(iii) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	वरिष्ठ लेखाधिकारी	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव	शासन सचिव, सा. नि.वि.
					(iv) अधीक्षक उद्यान / वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
					(v) उद्यानविज्ञ	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव

5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1.	**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (i) शहरी क्षेत्र**	90 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
			(ii) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
		2.	**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (i) शहरी क्षेत्र**	90 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
			(ii) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
		3.	**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (i) शहरी क्षेत्र**	90 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
			(ii) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
		4.	**राज्य विधवा पेंशन योजना (i) शहरी क्षेत्र**	90 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
			(ii) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
		5.	**राज्य निःशक्त पेंशन योजना (i) शहरी क्षेत्र**	90 दिवस	उपखण्ड अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
			(ii) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास अधिकारी	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जिला कलक्टर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
		6.	**पालनहार योजना**	90 दिवस	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	---	जिले में पदस्थापित उप निदेशक / सहायक निदेशक	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
		7.	**लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना**	90 दिवस	अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	उप निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	जिला कलक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	1.	**पोस्टमार्टम रिपोर्ट**	24 घंटे	चिकित्सा अधिकारी	स्टोर प्रभारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	अतिरिक्त (चिकि. प्रशा.)
		2.	**जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSY) अन्तर्गत दिए जाने वाली भुगतान की राशि** 1000/- (शहरी) 1400/- (ग्रामीण)	डिस्सचार्ज के समय	प्रभारी चिकित्सा संस्थान	नर्सिंग प्रभारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	निदेशक (प.क.)
		3.	**विकलांगता प्रमाण–पत्र Visible Disablity**	उसी दिवस को	संस्था का प्रभारी	स्टोर प्रभारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशा.)
		4.	**खाद्य अनुज्ञा–पत्र**	60 दिन	जिले का DO कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	FSO	न्यायानिर्णायक अधिकारी (Adjudicating officer)	आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)

7.	ऊर्जा विभाग	1.	**मीटर बदलवाना (i) निगम द्वारा निरीक्षण, चैंकिग एवं टैस्टिंग के दौरान मीटर के खराब (बंद होने, धीरे चलने, तेज चलने, एवं सही रीडिंग रिकार्ड नहीं होने की स्थिति) पाये जाने पर**	60 दिवस (खराबी पता चलने के दिन से)	कनिष्ठ अभियन्ता	लाईन मैन	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता
			(ii) उपभोक्ता द्वारा मीटर के सही न चलने एवं इसे बदलने जाने के लिए आवेदन पश्चात्	15 दिवस	कनिष्ठ अभियन्ता	लाईन मैन	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता
8.	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	1.	**नये राशन कार्ड बनवाने हेतु (i) जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र**	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस	जिला रसद अधिकारी / क्षेत्रीय रसद अधिकारी	--	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय)
			(ii) शेष नगरपालिका क्षेत्र में		नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त			
			(iii) ग्रामीण क्षेत्र के लिये		विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति			
			(vi) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत		सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी			
9.	गृह (पुलिस विभाग)	1.	**सर्विस सत्यापन**	30 दिवस	संबंधित उपायुक्त पुलिस / पुलिस अधीक्षक	पुलिस निरीक्षक जिला विशेष शाखा	संबंधित पुलिस आयुक्त / पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (IB) राजस्थान
		2.	**पासपोर्ट के लिए सत्यापन**	30 दिवस	संबंधित उपायुक्त पुलिस / पुलिस अधीक्षक	पुलिस निरीक्षक जिला विशेष शाखा	संबंधित पुलिस आयुक्त / पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (IB) राजस्थान
10.	यातायात विभाग	1.	**लर्निंग लाईसेन्स जारी करना (i) निजी वाहन (लर्नर लाईसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्)**	2 दिवस में	अनुज्ञ. अधिकारी (जि.परि.अधिकारी / मोटरवाहन निरी. / उप निरी.)	मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक	प्रा.प.अ.	परिवहन आयुक्त
			(ii) व्यावसायिक वाहन (लर्नर लाईसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्)	2 दिवस में	अनुज्ञ. अधिकारी (जि.परि.अधिकारी / मोटरवाहन निरी. / उप निरी.)	मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक	प्रा.प.अ.	परिवहन आयुक्त
		2.	**स्थायी ड्राईविंग लाईसेन्स (i) निजी वाहन (चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात्)**	2 दिवस में	अनुज्ञ. अधिकारी (जि.परि.अधिकारी / मोटरवाहन निरी. / उप निरी.)	मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक	प्रा.प.अ.	परिवहन आयुक्त
			(ii) व्यावसायिक वाहन (चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात्)	3 दिवस में	अनुज्ञ. अधिकारी (जि.परि.अधिकारी / मोटरवाहन निरी. / उप निरी.)	मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक	प्रा.प.अ.	परिवहन आयुक्त

		3.	**डुप्लीकेट लाईसेन्स (i) निजी वाहन**	3 दिवस में	अनुज्ञ. अधिकारी (जि.परि.अधिकारी / मोटरवाहन निरी./उप निरी.)	मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक	प्रा.प.अ.	परिवहन आयुक्त
			(ii) व्यावसायिक वाहन	3 दिवस में	अनुज्ञ. अधिकारी (जि.परि.अधिकारी / मोटरवाहन निरी. / उप निरी.)	मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक	प्रा.प.अ.	परिवहन आयुक्त
11.	**वित्त विभाग (समस्त विभाग)**	**1.**	**सेवा में रहते कर्मचारी की/ पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन एवं उपादान स्वीकृत का प्रकारण तैयार कर पेंशन विभाग की भिजवाना**	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के 1 माह में	पैतृक विभाग का कार्यालय अध्यक्ष	---	पैतृक विभाग का विभागाध्यक्ष	सचिव प्रशासनिक विभाग
	कोष लेखा विभाग एवं पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	**2.**	**राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तियाँ प्रदाय) नियम, 2004 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में रेस्टोरेन्ट बार लाईसेंस जारी करना बार/ क्लब बार लाईसेंस जारी करना।**	30 दिवस	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि) राजस्थान, उदयपुर	---	--- **विशेष विवरण :** तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।
12.	**चिकित्सा शिक्षा**	**1.**	**विकलांगता प्रमाण पत्र**	प्रत्येक सोमवार उसी दिन	संबंधित विभागाध्यक्ष	अतिरिक्त / उप अधीक्षक	अधीक्षक संबंधित चिकित्सालय	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज
		2.	**पोस्टमार्टम रिपोर्ट**	24 घंटे	विभागाध्यक्ष फोरेन्सिक मेडिसिन	सह आचार्य / सहायक आचार्य फोरेन्सिक मेडिसिन	अधीक्षक संबंधित चिकित्सालय	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज
13.	**नगरीय विकास विभाग**	**1.**	**दस्तावेज/मानचित्र की प्राप्ति प्रति करना**	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	संबंधित जोन उपायुक्त जविप्रा /जोविप्रा/ अति. मुख्य नगर नियो. (BPC) /न्यास के प्रभारी अधिकारी	संबंधित जोन तहसीलदार / DTP/ATP जविप्रा/ जोविप्रा / प्रकोष्ठ प्रभारी	सचिव, जविप्रा/ जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा/जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास
		2.	**लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र हेतु**	30 दिन (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	संबंधित जोन उपायुक्त जविप्रा /जोविप्रा/ अति. मुख्य नगर नियो. (BPC) /न्यास के प्रभारी अधिकारी	संबंधित जोन तहसीलदार / DTP/ATP जविप्रा/ जोविप्रा / प्रकोष्ठ प्रभारी नगर सुधार न्यास	सचिव, जविप्रा/ जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा/जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास
		3.	**योजना का मानचित्र अनुमोदन**	90 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	अति. मुख्य नगर नियो. (BPC) जविप्रा/ जोविप्रा /न्यास के प्रभारी अधिकारी	संबंधित जोन तहसीलदार / DTP/ATP जविप्रा/ जोविप्रा / प्रकोष्ठ प्रभारी नगर सुधार न्यास	सचिव, जविप्रा/ जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा/जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास

		4.	**भवन मानचित्र अनुमोदन**	60 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	अति. मुख्य नगर नियो. (BPC) जविप्रा / जोविप्रा / जोन के संबंधित उप नगर नियोजक जविप्रा / जोविप्रा / न्यास के प्रभारी अधिकारी	संबंधित जोन तहसीलदार / DTP/ATP जविप्रा / जोविप्रा / प्रकोष्ठ प्रभारी नगर सुधार न्यास	सचिव, जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास
		5.	**कब्जा पत्र**	15 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमार्केशन एवं सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात्)	(i) जविप्रा / जोविप्रा – संबंधित जोन उपायुक्त	(i) जविप्रा / जोविप्रा–संबंधित जोन तहसीलदार, अधिशाषी अभि. DTP/ATP	(i) सचिव, जविप्रा / जोविप्रा	(i) आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा
					(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित प्रभारी अधिकारी	(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित तहसीलदार, सहायक अभि. एवं संबंधित लिपिक	(ii) सचिव, नगर सुधार न्यास	(ii) अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास
		6.	**लीज डीड जारी करना**	30 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमार्केशन एवं सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात्)	(i) जविप्रा / जोविप्रा – संबंधित जोन उपायुक्त	(i) जविप्रा / जोविप्रा–संबंधित जोन तहसीलदार, अधिशाषी अभि. DTP/ATP	(i) सचिव, जविप्रा / जोविप्रा	(i) आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा
					(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित प्रभारी अधिकारी	(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित तहसीलदार, सहायक अभि. एवं संबंधित लिपिक	(ii) सचिव, नगर सुधार न्यास	(ii) अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास
		7.	**विक्रय अनुमति**	21 दिवस (लीज डीड की शर्तों की पूर्ण पालना होने पर एवं सम्पूर्ण देय राशि जमा होने के पश्चात्)	(i) जविप्रा / जोविप्रा – संबंधित जोन उपायुक्त	(i) जविप्रा / जोविप्रा–संबंधित जोन तहसीलदार, अधिशाषी अभि. DTP/ATP	(i) सचिव, जविप्रा / जोविप्रा	(i) आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा
					(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित प्रभारी अधिकारी	(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित तहसीलदार, सहायक अभि. एवं संबंधित लिपिक	(ii) सचिव, नगर सुधार न्यास	(ii) अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास
		8.	**ले–आउट अनुमोदन पश्चात् पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से संबंधित)**	30 दिवस (टाउन–शिप पॉलिसी के तहत न्यूनतम विकास कार्य एवं सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने पर कैम्प आयोजित किये जायेंगे)	(i) जविप्रा / जोविप्रा – संबंधित जोन उपायुक्त	(i) जविप्रा / जोविप्रा–संबंधित जोन तहसीलदार, अधिशाषी अभि. DTP/ATP	(i) सचिव, जविप्रा / जोविप्रा	(i) आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा
					(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित प्रभारी अधिकारी	(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित तहसीलदार, सहायक अभि. एवं संबंधित लिपिक	(ii) सचिव, नगर सुधार न्यास	(ii) अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास
		9.	**अनापत्ति प्रमाण पत्र**	21 दिवस (अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् देय राशि)	(i) जविप्रा / जोविप्रा – संबंधित जोन उपायुक्त	(i) जविप्रा / जोविप्रा –संबंधित जोन तहसीलदार, अधिशाषी अभि. DTP/ATP	(i) सचिव, जविप्रा / जोविप्रा	(i) आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा
					(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित प्रभारी अधिकारी	(ii) नगर सुधार न्यास–संबंधित लेखाधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता लिपिक	(ii) सचिव, नगर सुधार न्यास	(ii) अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास

		10.	**भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में (i) भवन मानचित्र अनुमोदन**	30 दिन	निदेशक आयोजना (विकास) प्राधिकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास) प्राधिकरण	सचिव (विकास) प्राधिकरण	आयुक्त (विकास) प्राधिकरण
			(ii) भू–खण्डों का उप विभाजन एवं पुनर्गठन	सक्षम स्तर पर स्वीकृति के निर्णय के पश्चात् शुल्क जमा होने के 15 कार्य दिवस	वरिष्ठ अथवा नियोजक (नगर सुधार न्यास)	सहायक नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	नगर सुधार न्यास	चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)
		11.	**राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90A के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण की कार्यवाही**	60 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण)/ (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण)/ (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त, (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)
		12.	**लीज डीड जारी करना**	**30 दिवस**	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण)/ (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण)/ (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त, (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)
		13.	**ले–आउट प्लान अनुमोदन पश्चात् पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से सम्बन्धित)**	30 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण)/ (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण)/ (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त, (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)
14.	**स्वायत्त शासन विभाग/ स्थानीय निकाय**	**1.**	**अग्निशमन एवं अन्य सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (i) प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना**	आवेदन पत्र मय सम्पूर्ण दस्तावेज के जमा हो जाने के बाद मौका निरीक्षण 15 कार्य दिवस में	**निगम स्तर पर** मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जोन आयुक्त	**निगम स्तर पर** मुख्य अग्निशमन अधिकारी /जोन आयुक्त लेखाकार संबंधित लिपिक कैशियर	महापौर/सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम परिषद/ पालिका मण्डल संबंधित निकाय
				फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, शुल्क जमा होने के 7 कार्य दिवस में	**नगर परिषद्** आयुक्त **नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	**नगर परिषद्/ नगरपालिका** अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी /कर्मचारी कार्यालय सहायक लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी/ राजस्व निरीक्षक / संबंधित लिपिक)	**विशेष विवरण** : फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहे जाने पर सभी वांछित दस्तावेज प्रापत होने के 30 कार्य दिवस में निस्तारण आवश्यक रूप से किया जावेगा।	
		2.	**गन्दी नालियों व गलियों की सफाई**	(i) नियमित सफाई का कार्य प्रतिदिन किया जावेगा।		तकनीकी अधिकारी (अभियंता)		
				(ii) सफाई के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर उसका निस्तारण 7 कार्य दिवस में		राजस्व अधिकारी कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक		
				(iii) नालों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर 15 कार्य दिवस में	**नगर परिषद्** आयुक्त	**नगर परिषद्** स्वास्थ्य अधिकारी तकनीकी अधिकारी (अभियंता)		

		3.	**कुत्तों का वेक्सीनेशन एवं नसबन्दी**	सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस में।	**नगर पालिका** अधिशाषी अधिकारी	नगरपालिका तकनीकी अधिकारी (अभियंता) सफाई निरीक्षक राजस्वनिरीक्षक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक		
		4.	**जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करना (जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत् किया जाना कानूनन अनिवार्य है) (i) जन्म अथवा मृत्यु का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिये घटना की सूचना 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाने पर**	सम्पूर्ण वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर इसका निस्तारण 7 कार्य दिवसों में	**निगम स्तर** मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त	**निगम स्तर पर** पंजीयक सांख्यिकी सहायक उप पंजीयक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक कैशियर	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
			(ii) 21 दिन के बाद जन्म–मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रेशन नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	सम्पूर्ण वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर इसका निस्तारण 15 कार्य दिवसों में	**नगर परिषद** आयुक्त	**नगर परिषद** पंजीयक मुख्य सफाई निरीक्षक राजस्व निरीक्षक कार्यालय सहायक		
			(iii) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टी को ठीक या रद्द करना या जुड़वाना, (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	सम्पूर्ण वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर इसका निस्तारण 30 कार्य दिवसों में	**नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	**नगर पालिका** पंजीयक स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक		
		5.	**विवाह पंजीयन एवं प्रमाण–पत्र जारी करनाः (i) दिनांक 25-05-2006 एवं इसके बाद सम्पन्न होने वाले विवाहों का पंजीयन**	समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्ति के पश्चात् 7 कार्य दिवसों में	**निगम स्तर** मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त	**निगम स्तर पर** पंजीयन हेतु अधिकृत अधिकारी सांख्यिकी सहायक उप पंजीयक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक कैशियर	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
			(ii) दिनांक 25-05-2006 से पूर्व सम्पन्न होने वाले विवाहों का पंजीयन	समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्ति के पश्चात् 7 कार्य दिवसों में	**नगर परिषद** आयुक्त **नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	**नगर परिषद, नगर पालिका** पंजीयक हेतु अधिकृत अधिकारी कार्यालय सहायक		
		6.	**भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन/आवंटन**	60 दिवस	**निगम/परिषद स्तर** पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) **पालिका स्तर** पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	**निगम स्तर पर** नगर नियोजक/सहायक अभियंता /राजस्व अधिकारी/ कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित)	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय

						नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियंता / कार्यालय सहायक /कैशियर /वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) **नगर पालिका स्तर** पर कनिष्ठ अभियंता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)		
		7.	**भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो) (i) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (आवासीय) भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व.मी. तक (व्यावसायिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (औद्योगिक)**	15 दिवस	**निगम/परिषद स्तर पर** आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) **पालिका स्तर पर** अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	**निगम स्तर पर** नगर नियोजक/ सहायक अभियंता /राजस्व अधिकारी /कार्यालय सहायक /वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) **नगर परिषद स्तर पर** राजस्व अधिकारी /कनिष्ठ अभियंता /कार्यालय सहायक /कैशियर वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) **नगर पालिका स्तर पर** कनिष्ठ अभियंता /राजस्व निरीक्षक /कार्यालय सहायक /वरिष्ठ लिपिक /वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
		8.	**अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र**	7 दिवस	**निगम/परिषद स्तर पर** आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) **पालिका स्तर पर** अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	**निगम स्तर पर** मुख्य अग्निशमन अधिकारी/जोन आयुक्त/ लेखाकार/ संबंधित लिपिक/कैशियर **नगर परिषद स्तर पर** अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी)/कर्मचारी कार्यालय सहायक **नगर पालिका स्तर पर** कनिष्ठ अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी)/कर्मचारी कार्यालय सहायक	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय

		9.	**सीवर–कनेक्शन जारी करना**	3 दिवस	**निगम/परिषद स्तर पर** आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) **पालिका स्तर पर** अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	**निगम स्तर पर** वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी/ (अभियंता) अधीक्षण अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/संबंधित लिपिक **नगर परिषद स्तर पर** सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/संबंधित लिपिक **नगर पालिका स्तर पर** सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/संबंधित लिपिक	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
		10.	**इन्दिरा रसोई योजना के संबंध में शिकायत**	2 कार्य दिवस	**निगम स्तर पर** मुख्य कार्यकारी अधिकरी/ आयुक्त **नगर परिषद,** आयुक्त, **नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	उपायुक्त/ स्वास्थ्य अधिकारी/ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/ मुख्य सफाई निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
		11.	**स्ट्रीट लाईट रिपेयरिंग**	2 कार्य दिवस	**निगम स्तर पर** मुख्य कार्यकारी अधिकरी/ आयुक्त **नगर परिषद,** आयुक्त, **नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	उपायुक्त/ अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)/विद्युत निरीक्षक/ सहायक विद्युत निरीक्षक/ लाईनमैन/ विद्युत कर्मी एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
		12.	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के अतिरिक्त नकले एवं सूचना**	5 कार्य दिवस या पुराने रिकार्ड से संबंधित सूचना के लिए अधिकतम 30 दिवस	**निगम स्तर पर** मुख्य कार्यकारी अधिकरी/ आयुक्त **नगर परिषद,** आयुक्त, **नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त / उपायुक्त/ राजस्व अधिकारी/ असेसर/ रिकार्ड कीपर/ शाखा प्रभारी/ संबंधित कार्मिक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
		13	**स्ट्रीट वेंडर्स लाईसेंस जारी करना**	3 कार्य दिवस	**निगम स्तर पर** मुख्य कार्यकारी अधिकरी/ आयुक्त **नगर परिषद,** आयुक्त, **नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	उपायुक्त/ स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/ मुख्य सफाई निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय

		14.	**दुग्ध डेयरी बूथ आवंटन करना**	7 कार्य दिवस नियमों के अनुसार	**निगम स्तर पर** मुख्य कार्यकारी अधिकरी/ आयुक्त **नगर परिषद,** आयुक्त, **नगरपालिका** अधिशाषी अधिकारी	उपायुक्त/ राजस्व अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/ मुख्य सफाई निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ राजस्व निरीक्षक तकनीकी अभियंता एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
15.	**अल्पसंख्यक मामलात विभाग**	**1.**	**अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र**	आवेदन प्राप्ति से 3 दिवस में	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	जिला प्रोग्राम अधिकारी	जिला कलक्टर	निदेशक अल्प–संख्यक मामलात विभाग
16.	**पंचायती राज विभाग**	**1.**	**प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना**	30 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
		2.	**पूर्व में जारी पट्टे की नकल जारी करना**	15 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
17.	**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम**	**1.**	**राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/अनुमोदन अनुसार देय निःशुल्क/ रियायती यात्रा सुविधाओं के लिए परिचय पत्र जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने**	**विशेष विवरण :** (i) उक्त सभी निःशुल्क/ रियायती यात्राएँ राजस्थान राज्य के निवासियों को ही देय है। अतः राजस्थान राज्य में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। (ii) वांछित प्रपत्रों के साथ दो पासपोर्ट साइज की फोटो प्रस्तुत किया जाना एवं निर्धारित फीस निगम कोष में जमा की जानी अपेक्षित है।				
		2.	**विद्यार्थी**	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैंनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)
				विशेष विवरण : राजकीय अथवा शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत का प्रमाण व विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर, निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल III/परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।				
		3.	**वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष व अधिक आयु)**	15 दिवस (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	उप महा प्रबंधक (यातायात)	कार्यकारी निदेशक (यातायात)
		4.	**मानसिक रुग्णता**	3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैंनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)
				विशेष विवरण : मानसिक रुग्णता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।				
18.	**उद्योग विभाग**	**1.**	**जल कनेक्शन हेतु**	20 कार्य दिवस	संबंधित इकाई प्रभारी, रीको	---	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) रीको	प्रबन्धक निदेशक, रीको
		2.	**भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु**	15 कार्य दिवस	संबंधित इकाई प्रभारी, रीको	---	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) रीको	प्रबन्धक निदेशक, रीको
19.	**श्रम विभाग**	**1.**	**राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण**	एक दिन	जिला स्तरीय श्रम अधिकारी	---	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त

20.	**सहकारिता विभाग**	**1.**	**सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाइटी का पंजीकरण करना**	पूर्व पत्रादि/ऑन लाइन आवेदन करने के तीस कार्य दिवस के भीतर	रजिस्ट्रार, संस्थाएँ, संबंधित इकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय रजिस्ट्रार, संस्थाएँ में पदस्थापित तकनीकी सहायक/ निरीक्षक, जिस की रजिस्ट्रार, संस्थाएँ, द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ (संबंधित खण्ड)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर
21.	**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल**	**1.**	**जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति)**	4 माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
					क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
22.	**आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग**	**1.**	**शहरी क्षेत्र (i) जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना**	7 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/आयुक्त, नगर परिषद् अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका	महापौर/सभापति / अध्यक्ष
			(ii) विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	7 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/आयुक्त, नगर परिषद् अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका	महापौर/सभापति / अध्यक्ष
		2.	**ग्रामीण क्षेत्र में (i) विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना**	7 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं कार्यकारी अधिकारी
		3.	**जन आधार पंजीयन कर आई.डी. व जन–आधार ई–कार्ड जारी करना**	45 दिवस	विकास अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी	तहसीलदार	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (उप /सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	जिला कलक्टर (जिला जन आधार योजना अधिकारी)
23.	**पर्यटन विभाग**	**1.**	**राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रदान करना**	15 दिवस	निदेशक/आयुक्त पर्यटन	संयुक्त निदेशक (निवेश)	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	---

अधिसूचनाएँ (2)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार विभागों के समस्त प्रभारी सचिवों को उनके अपने–अपने विभागों के लिए पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में इसके द्वारा नामनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए प्रभारी सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव या सचिव जो तत्समय विभाग का सम्पूर्ण प्रभारी है, अभिप्रेत है।

अधिसूचनाएँ (3)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन प्रथम अपील के निपटान के लिए नियत समय–सीमा, अपील फाइल करने की तारीख से इक्कीस दिन, इसके द्वारा अधिसूचित करती है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

अधिसूचनाएँ

1. **यह अधिनियम दिनांक 11-06-2012 से प्रभावी हुआ :** राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (एक्ट नं. 22 ऑफ 2012) जो राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 1 जून, 2012 को प्रकाशित किया गया।
2. **परिवाद के सुनवाई एवं निपटारे के लिए समय सीमा 15 दिन की गई :** राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन परिवाद की सुनवाई और निपटारे के लिए, परिवाद की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस नियत सीमा के रूप में इसके द्वारा अधिसूचित करती है। (राजस्थान राजपत्र में दिनांक 7-6-2012 को प्रकाशित)।
3. **परिवाद या अपील के विनिश्चय की संसूचना के लिए समय–सीमा 7 दिन :** धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिवाद या अपील के विनिश्चय की संसूचना के लिए सात दिवस की नियत समय–सीमा इसके द्वारा अधिसूचित करती है।
4. **प्रथम अपील निपटारे हेतु समय सीमा 21 दिन की गई :** धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन प्रथम अपील के निपटारे के लिए अपील की फाइल किए जाने की तारीख से 21 दिवस नियत समय सीमा के रूप में इसके द्वारा अधिूसचित करती है।
5. **विभाग के प्रभारी सचिवों को पुनरीक्षण प्राधिकारी बनाया गया :** धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विभागों के प्रभारी सचिवों को, उनके अपने अपने विभागों के लिए, पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में इसके द्वारा नामनिर्दिष्ट करती है।
6. **लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी अधिूसचित :** धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा निम्नानुसार लोक सुनवाई अधिकरी, प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करती है–

क्र. सं.	परिवाद की विषयवस्तु का स्तर	लोक सुनवाई अधिकार	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1.	पंचायत	1. पटवारी, राजस्व मामलों में	तहसीलदार	राज्य सरकार द्वारा गठित उपखण्ड लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
		2. ग्राम सेवक, राजस्व से भिन्न मामलों के लिए	ब्लॉक विकास अधिकारी	राज्य सरकार द्वारा गठित उपखण्ड लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति।
2.	तहसील	1. तहसीलदार, उसकी अधिकारिता में के राजस्व मामले	उपखण्ड अधिकारी	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
		2. ब्लॉक विकास अधिकारी, राजस्व को छोड़कर पंचायती राज को अन्य विभागों के अन्तरित क्रियाकलापों से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हुए तहसील स्तर के मामले	उपखण्ड अधिकारी	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
3.	उप–खण्ड अधिकारी	1. उपखण्ड अधिकारी, उसकी अधिकारिता में के अधीन राजस्व मामलों के लिए	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति	संभागीय आयुक्त
		2. सम्बन्धित विभागों के समस्त उपखण्ड स्तर के अधिकारी उनके विभागों से संबंधित परिवादों के लिए	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति	संभागीय आयुक्त

4.	जिला	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व मामलों से सम्बन्धित परिवादों के लिए	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	संभागीय आयुक्त
		2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित परिवादों के लिए	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	संभागीय आयुक्त
		3. अन्य विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, उनके अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित परिवादों के लिए	क्षेत्रीय/खण्ड स्तर के अधिकारी	संभागीय आयुक्त
		4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, नगर निगम से संबंधित परिवादों के लिए	महापौर, नगर निगम	प्रभारी सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग
		5. आयुक्त, नगर परिषद, नगर परिषद से संबंधित परिवादों के लिए	सभापति, नगर परिषद्	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कतता समिति की उप–समिति
		6. कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, नगरपालिका बोर्ड से संबंधित परिवादों के लिए	अध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
5.	संभाग	1. अतिरिक्त खण्ड आयुक्त, राजस्व मामलों और खण्ड आयुक्त के कार्यालय से सम्बन्धित अन्य मामलों के परिवादों के लिए	संभागीय आयुक्त	राजस्व बोर्ड/सम्बन्धित प्रमुख सचिव
		2. संबंधित विभागों के क्षेत्रीय/खण्ड स्तर के अधिकारी, उनके विभागों से संबंधित परिवादों के लिए	संभागीय आयुक्त	विभाग का प्रभारी सचिव

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्या 22)

- राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई एवं अधिसूचना 22 मई, 2012 को राजपत्र में प्रकाशित की गई।
- यह भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया।
- इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं राज्यपाल महोदया श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी।

धारा	नाम
1	सक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ
2	**परिभाषाएँ** 1. **"सुनवाई का अधिकार"** से नियत समय–सीमा के भीतर किसी परिवाद पर नागरिकों को प्रदत्त सुनवाई का कोई अवसर और परिवाद पर सुनवाई में किये गये विनिश्चय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है; **2.** **" सूचना और सुगम केन्द्र"** से ग्राहक सेवा केन्द्र, कॉल सेन्टर, हेल्प डैस्क और जन सहायता केन्द्र को सम्मिलित करते हुए, धारा 5 के अधीन स्थापित कोई सूचना और सुगम केन्द्र अभिप्रेत है; **3.** **"लोक प्राधिकारी"** से राज्य सरकार और इसके विभाग अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य विधानमण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा उपलबध करायी गयी निधियों से सारतः वित्त पोषित, कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था सम्मिलित है;

	4. **"नियत समय–सीमा"** से किसी परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को, या किसी अपील का विनिश्चय करने के लिए प्रथम अपील प्राधिकारी या द्वितीय अपील प्राधिकारी को, या परिवादी या, यथास्थिति, अपीलार्थी को ऐसे परिवाद या, यथास्थिति, अपील के विनिश्चय के बारे में सूचित करने के लिए पूर्वोक्त प्राधिकारियों को, अनुज्ञात अधिकतम समय–सीमा अभिप्रेत है ; **5.** **"विनिश्चय"** से इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित लोक सुनवाई अधिकारी या अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी परिवाद या अपील या पुनरीक्षण पर किया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है और इसमें परिवादी या, यथास्थिति, अपीलार्थी को भेजी गई सूचना सम्मिलित है ; **6.** **"परिवाद"** से अभिप्रेत है – राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संचालित किसी नीति, कार्यक्रम या योजना के संबंध में किसी नागरिक अथवा नागरिकों के समूह द्वारा लाभ अथवा प्रतितोष की मांग हेतु, अथवा ऐसे लाभ या प्रतितोष के प्रदाय में विफलता या विलंब, अथवा किसी लोक प्राधिकारी द्वारा कार्य के संपादन में विफलता, अथवा विधि, नीति, आदेश, कार्यक्रम अथवा योजना के उल्लंघन से उत्पन्न किसी विषय पर लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया आवेदन।
3	लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा नियत समय–सीमा की अधिसूचना
4	**नियत समय–सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार** 1. कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी सहायता की मांग उपधारा (2) के अधीन की गई है, उसकी सहायता मांगने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को समस्त सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसा अन्य अधिकारी या, यथास्थिति, कर्मचारी, लोक सुनवाई अधिकारी माना जायेगा।
5	**सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना** 1. जनता की शिकायत का दक्षता और प्रभावी तरीके से निराकरण करने, परिवादों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्रों की स्थापना करेगी। जिनमें ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित हो सकेगी। 2. इस हेतु नियम राज्य सरकार बनायेगी।
6	**अपील** 1. कोई भी व्यक्ति, जिसे नियत समय–सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है या जो लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, नियत समय–सीमा की समाप्ति से या लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा। परन्तु प्रथम अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। 2. लोक सुनवाई अधिकारी के अनुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे ही प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा। 3. प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा। 4. प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील, प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को होगी : परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। 5. कोई व्यथित व्यक्ति सीधे ही द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा, यदि लोक सुनवाई अधिकारी उपधारा (3) के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना नहीं करता है या प्रथम अपील प्राधिकारी नियत समय–सीमाओं के भीतर अपील का निपटारा नहीं करता है, उसे द्वितीय अपील की रीति से निपटाया जायेगा। 6. द्वितीय अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने या, यथास्थिति, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा। 7. द्वितीय अपील प्राधिकारी, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश के साथ–साथ, लोक सुनवाई अधिकारी पर धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

	8. प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् (क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना (ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली तात्विक सामग्री को प्रकट करना और प्रस्तुत करना (ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना (घ) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना (च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना और/या (छ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।
7	**शास्ति** (1) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से नियत समय–सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने करने में विफल रहा है वहां वह उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगी किन्तु पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी : परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शासित अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति लोक सुनवाई अधिकारी के वेतन से वसूलीय होगी। (3) द्वितीय अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी, पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है तो उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगा।
8	**पुनरीक्षण** इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के सम्बन्ध में द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा। नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का पिटारा करेगा : परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
9	**सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण** इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।
10	**न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन** किसी सिविल न्यायालय को किसी भी प्रश्न पर सुनवाई, विनिश्चय या कार्यवाही करने या किसी भी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सुने अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सुने जाने विनिश्चित किये जाने या कार्यवाही किये जाने या अवधारित किये जाने के लिए अपेक्षित है।
11	**विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबन्ध** इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

12	**नियम बनाने की शक्ति** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, इनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन के अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
13	**कठिनाइयों का निराकरण** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो : परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार नियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्या 22) [अधिसूचना 7 जून, 2012]

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 12 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

नियम	नियम के नाम
1	**सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकर नियम, 2012 है। (2) ये 11 जून, 2012 से ही प्रवृत्त होंगे।
2	**परिभाषाए** (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो– (क) **"अधिनियम"** से राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) अभिप्रेत है ; (ख) **"केन्द्र"** से अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित सूचना और सुगम केन्द्र अभिप्रेत है।
3	**परिवाद** (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सुनवाई चाहता है, प्ररूप 1 में या सादे कागज पर परिवादी का नाम और पता और परिवाद की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए लोक सुनवाई अधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करेगा।
4	**अभिस्वीकृति** परिवाद की प्राप्ति पर लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केन्द्र, प्ररूप 2 में परिवादी को परिवाद की अभिस्वीकृति देगा।
5	**परिवाद का अन्तरण** जहां कोई परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी को किया जाता है और उसका यह विचार है कि परिवाद की विषयवस्तु दूसरे लोक सुनवाई अधिकारी के कृत्यों से संसक्त है या दूसरे लोक सुनवाई अधिकारी की अधिकारिता में आती है तो वह परिवाद को ऐसे दूसरे लोक सुनवाई अधिकारी को अन्तरित कर देगा और परिवादी को ऐसे अन्तरण के बारे में सात दिन के भीतर सूचित करेगा।
6	**सुनवाई के दिवस** प्रत्येक लोक सुनवाई अधिकारी अधिनियम के अधीन प्राप्त परिवादों की सुनवाई के लिए सप्ताह में कम से कम दो दिवस नियत रेगा और उसे उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्ररूप 4 में अधिसूचित किया जायेगा।

7	**परिवादों की सुनवाई** लोक सुनवाई अधिकारी परिवाद की प्राप्ति पर, नियत समय सीमा के भीतर, परिवादी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगा और उसे विनिश्चित् करेगा। लोक सुनवाई अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर प्ररूप 4 में अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।
8	**सूचना पट्ट पर सूचना का प्रदर्शन** लोक सुनवाई अधिकारी अधिनियम के अधीन सुनवाई से सम्बन्धित समस्त सुसंगत सूचना प्ररूप 4 में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। सूचना पट्ट लोक सुनवाई अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा।
9	**नियत समय सीमा की संगणना** इन नियमों के अधीन नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाशों की गणना नहीं की जायेगी।
10	**सुनवाई उपलब्ध कराने में प्रत्याख्यान या विलम्ब** लोक सुनवाई अधिकारी, नियत समय सीमा के भीतर, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और यदि सुनवाई के अवसर का प्रत्याख्यान किया जाता है या उसमें विलम्ब किया जाता और नियत समय सीमा के भीतर विनिश्चय से संसूचित नहीं किया जाता है तो लोक सुनवाई अधिकारी परिवादी को निम्नलिखित से संसूचित करेगा– (i) ऐसे प्रत्याख्यान का विलम्ब के कारण (ii) वह कालावधि, जिसके भीतर ऐसे प्रत्याख्यान या विलम्ब के विरुद्ध अपील की जा सकेगी और (iii) सुसंगत अपील प्राधिकारी के बारे में जानकारी।
11	**फीस** परिवाद, प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई फीस संदेय नहीं होगी।
12	प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन की अन्तर्वस्तु
13	प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
14	प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण को विनिश्चित् करने की प्रक्रिया
15	सुनवाई की सूचना की तामील
16	**स्वीय उपसंजाति** (1) अपीलार्थी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण के आवेदक को सुनवाई की तारीख से, ऐसी तारीख से कम से कम सात पूर्ण दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा। (2) अपीलार्थी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण का आवेदक अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई के समय व्यक्तिशः उपस्थित हो सकेगा या सुनवाई में उपस्थित नहीं होने का विकल्प दे सकेगा।
17	अपील या पुनरीक्षण में आदेश
18	**शास्ति की वसूली** (1) अधिनियम की धारा 7 के अधीन शास्ति के अधिरोपण के आदेश की प्राप्ति पर आहरण एवं वितरण अधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, सम्बन्धित लोक सुनवाई अधिकारी के आगामी वेतन से शास्ति की रकम वसूल करेगा और उसे सरकारी लेखा में निक्षिप्त करेगा तथा चालान की एक प्रति सम्बन्धित द्वितीय अपील प्राधिकारी को भेजेगा।
19	अभिलेख का रखा जाना
20	**सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना** (1) राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना कर सकेगी जिसमें ग्राहक सेवा केन्द्र, कॉल सेन्टर, हैल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्र या कोई भी अन्य ई–मित्र, राजीव गांधी सेवा केन्द्र या सूचना और सुगम केन्द्र के रूप में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अन्य संस्थाएं सम्मिलित हो सकेंगी।
21	**क्रियान्वयन की मानीटरी** राज्य सरकार परिवादों की समबद्ध सुनवाई की केन्द्रीयकृत मॉनीटरी के लिए और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन और मॉनीटरी के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु एक प्रति विकसित कर सकेगी।
22	प्रसार और प्रशिक्षण
23	राज्य सरकार द्वारा निदेश

प्ररूप	प्रारूप का नाम
1	आवेदन का प्रारूप
2	अभिस्वीकृति
3	कार्यालय का नाम/विभाग :
4	राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अधीन सुनवाई से संबंधित सूचना
5	नामनिर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
6	प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
7	द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप
8	पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

Springboard ACADEMY